

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक ०५ मार्च, १९९४

की
कार्य-सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5 मार्च, 1998

में विनारणीय प्रस्तावित विषयों की सूची

1. लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.8.97 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण। ०१
2. लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.8.97 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या। १२
3. लखनऊ विकास प्राधिकरण की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या। २७
4. ल0वि0प्रा0 की बैलेन्स शीट 92-93, 93-94, 94-95, 95-96 का अनुमोदन। २८
5. वास्तुकला एवं नियोजन कार्यो हेतु प्राइवेट वास्तुविदों की भागीदारी से सम्बन्धित। ३१
6. पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका में म्यूजिकल फाउन्टेन के कार्यो की कार्योत्तरस्वीकृति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित। ४४
7. मल्टी स्टोरी व्यवसायिक काम्पलेक्स में भू-तल प्रयोग हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.8.97 के मद् संख्या-16 के अर्न्तगत गठित उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त। ४५
8. ल0वि0प्रा0 की योजनाओ में विभिन्न समुदायों के धार्मिक, अध्यात्मिक तथा उपासना भवनों/केन्द्रो की स्थापना के लिये भूमि आवंटन से सम्बन्धित। ४७
9. प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओ के अर्न्तगत हरित पट्टिका/ मनोरंजनात्मक भूमि के अनुरक्षण एवं उपयोग के सम्बन्ध में। ५४
10. प्राधिकरण की योजनाओ में सफाई एवं अनुरक्षण व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्ताव। ६२
11. दण्ड व्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफ किये जाने से संबंधित। ६६
12. गे0 राधारा इन्डिया लि. को अपोलो अस्पताल के निर्माण हेतु गोमती नगर योजना में भूमि आवंटन से सम्बन्धित। ६८
13. अलीगंज योजना के सेक्टर डी में हैप्पी वर्ड स्कूल को आवंटित भूमि पर लगाये गये दण्ड व्याज को माफ किये जाने से सम्बन्धित। ८९

विषय संख्या : १

पृष्ठ संख्या : १ए

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३० अगस्त, १९९७
के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

~~~~~

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक ३० अगस्त,

१९९७ का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु

संलग्न है।

का कार्यभार

उपस्थित:

|     |                        |                                                       |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|
| १.  | श्री देश दीपक वर्मा    | अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल। |
| २.  | श्री अनिल कुमार गुप्ता | आवास आयुक्त, उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।        |
| ३.  | श्री जय शंकर मिश्र     | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| ४.  | श्री वीरेश कुमार       | विशेष सचिव, आवास विभाग।                               |
| ५.  | श्री आर.प्रसाद,        | अपर निदेशक, पर्यटन विभाग।                             |
| ६.  | श्री मुरली धर          | अपर निदेशक, उद्योग विभाग।                             |
| ७.  | ई.एस.एम.हम्माद,        | मुख्य अभियन्ता, उ.प्र. जलनिगम।                        |
| ८.  | श्री एम.पी.अनेजा       | वरिष्ठ नियोजक, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।      |
| ९.  | श्री बृजलाल रायत       | सभासद/सदस्य, ल.वि.प्रा.।                              |
| १०. | श्री विजय शंकर बाजपेयी | सभासद/सदस्य, ल.वि.प्रा.                               |
| ११. | श्री शिव कुमार         | सभासद/सदस्य, ल.वि.प्रा.।                              |
| १२. | श्रीमती उमा शंकर लोधी  | सभासद/सदस्या, ल.वि.प्रा.।                             |
| १३. | श्री राम अन्धार सिंह   | सदस्य, ल.वि.प्रा.।                                    |

क्रमशः—

*f 2008*

14. श्री गंगा चरन राजपूत, सांसद को गो.न.यो.के विराम खण्ड एन.आई.सी. गान संख्या 1/155 पर लगाये गये दण्ड व्याज की 50% धनराशि रु0 1,58,205.18 पै0 माफ किये जाने के सम्बन्ध में। ९१
15. श्रीमती नीरा गुप्ता को कानपुर रोड योजना के अर्न्तगत आवंटित भवन संख्या:बी-27 पर लगाये दण्ड व्याज की 50% धनराशि विलम्ब से जमा करने पर लगाये गये व्याज को माफ किये जाने से सम्बन्धित। ९२
16. श्रीमती कल्पना सिंह को आवंटित भूखण्ड संख्या:सी-1/42 डी गोमती नगर योजना विनीत खण्ड पर लगाये गये पूर्ण व्याज को माफ किये जाने से सम्बन्धित। ९४
17. गोमती नगर फेज-2 के आवंटियों को कब्जा दिये जाने की तिथि से दो वर्ष तक बिना लेवी शुल्क लिये भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित। ९६
18. रायवरेली रोड योजना स्थित चेशायर होम के भवन मानचित्रों पर आरोपित मलवा शुल्क व जल, व्यय शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में। ९७
19. एक योजना से दूसरी योजना में तथा उसी योजना में भवन के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव। १००
20. गोमती नगर योजना के अर्न्तगत नेहरू इन्क्लेव उपयोजना में आवंटित भवनों का परिवर्तन अन्य खण्डों के भवनों/भूखण्डों में करने पर परिवर्तन शुल्क न लिये जाने से सम्बन्धित। १०३
21. गोमती नगर योजना के अर्न्तगत भूमि खसरा संख्या:7 ग्राम उजरियांव क्षेत्रफल बीघा 0-4-14-0 के समायोजन से सम्बन्धित। १०४
22. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1997 की धारा 26.ए.5 में उल्लिखित शक्तियों का प्रतिनिधायन नगर निगम की सम्पत्तियों हेतु नगर निगम अधिकारियों को किये जाने से सम्बन्धित। १०५
23. नगर निगम की ग्राम शेखपुर कसेला स्थित खसरा नं.96 पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माणों को अधिग्रहीत करने से सम्बन्धित। १०६

२४. गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में  
प्राधिकरण भवन के निर्माण कार्य से सम्बन्धित। १०७
२५. गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भूमि खसरा  
संख्या- ८५, ग्राम विजईपुर, क्षेत्रफल बीघा १-१-०-०  
का समायोजन करने के सम्बन्ध में। १०८
२६. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

|     |                   |                                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| १८. | श्री सिंगाराम     | प्रबन्धक, ल. वि. वि. / सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।                 |
| १९. | श्री जयपाल सिंह   | संस्थापक/प्रबन्धक, रानी लक्ष्मी बाई स्कूल पूर्व गदरग, ल. वि. प्रा.। |
| १६. | श्री आर. एन. सिंह | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।                                         |

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय अध्याक्ष महोदय द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों का परिचय प्राप्त किया गया तथा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों का अभिवादन किया गया।

विषय संख्या: १

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक ६ दिसम्बर, १९९६ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय :


लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ६ दिसम्बर, १९९६ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या: २

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ६ दिसम्बर, १९९६ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय:

प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। आख्या का अवलोकन करते समय विषय संख्या: ४ अमर शहीद पथ से गोमती नदी पर पुल बनाते हुए तीन फलाई ओवर की व्यवस्था के साथ रायबरेली रोड से मिलाने के प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के सम्बन्धित अधिकारियों को बैठक में बुलाकर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये।



विषय संख्या: ३

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

निर्णय:

प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। विशेष रूप से व्यावसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण एवं रेन्ट सम्पत्ति के निस्तारण से हुई उपलब्धियों से अवगत कराते हुए सम्बन्धित अधिकारी अपर सचिव एवं अनुसचिव-आर श्री राम प्रकाश सिंह द्वारा किये गये कार्यों की सराहना उपाध्यक्ष द्वारा बैठक में की गई। समस्त उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि व्यावसायिक सम्पत्ति के निस्तारण से ८.४७ करोड़ रुपये तथा किराये की सम्पत्ति की बिक्री से रु० २.६६ करोड़ की आय प्राधिकरण को प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बल्क सेल की सम्पत्ति के बिक्रय से रु० १०.०० करोड़ की आय प्राप्त की गई। इसके लिये श्री के.बी.सर्वेना, कार्ट एका. एवं इको.प्लानर द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की गई।

विषय संख्या: ४

लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय-व्ययक लेखा तथा बैलेन्स शीट ८९-९०, ९०-९१ तथा ९१-९२ पर आख्या।

निर्णय:


प्रस्तुत की गई बैलेन्स शीट वर्ष ८९-९०, ९०-९१ एवं ९१-९२ का अवलोकन किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही इस बात पर अग्रसन्नता व्यवत की गई की बैलेन्स शीट बहुत विलम्ब से प्रस्तुत की गई एवं निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक में वर्ष १९९५-९६ तक की बैलेन्स शीट अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायें।

विषय संख्या: ५

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय के भवन डिजाइन हेतु प्राइवेट वास्तुविद के चयन के सम्बन्ध में।

निर्णय:

विचारोपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि आर्किटेक्ट्स का नया पेगल यथा-शर्ष चयनित किया जाये। अन्यथा भविष्य में इस प्रकार की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।



कमरा—

विषय संख्या: ६

कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर के पदनाम परिवर्तन से सम्बन्धित।

निर्णय:

विचारोपरान्त कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर के स्थान पर "लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता" पदनाम रखे जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि शासन को इसकी सूचना भेज दी जाये।

विषय संख्या: ७

श्री मानसिंह अवर अभियन्ता एवं श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज सुपरवाइजर की विकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित।

निर्णय:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री मानसिंह अवर अभियन्ता की विकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री राम कुमार शुक्ला (वर्कचार्ज सुपरवाइजर) को किडनी के ऑपरेशन हेतु रु० २५,०००/- का अनुदान मानवीय आधार पर अपवाद स्वरूप स्वीकृत किया जाता है परन्तु भविष्य में इसे दृष्टान्त न बनाया जाये।

विषय संख्या: ८

न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन रु० ३७५/- निर्धारित किये जाने से सम्बन्ध में।

निर्णय:

विचारोपरान्त शासनादेश संख्या: श-३-१६१२/दस-११८-८७, दिनांक २७.६.९० के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या: ९

ब्राइट-वे स्कूल को भूखण्ड आवंटन से सम्बन्ध में।

निर्णय:

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त ब्राइट-वे स्कूल को सेक्टर-एफ में आवंटित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल ४२०९ वर्ग मी. के स्थान पर सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत ही सेक्टर एच भाग-२ में ५,३१९.७५ वर्ग मी. का भूखण्ड स्कूल प्रयोजन हेतु आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु अतिरिक्त क्षेत्रफल का मूल्य वर्तमान दर से प्राप्त किया जायेगा।

विषय संख्या: १०

उ.प्र. चीनी निगम को गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में कार्यालय प्रयोजन हेतु आवंटित भूमि से संलग्न हरित पट्टिका की भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय:

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या ११

लोक परिवहन मापदण्डक सुविधाओं हेतु भूमि के आवंटन से सम्बन्धित।

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों के अधीन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय सेवाकेन्द्र को ५०० वर्गमीटर भूमि एवं "दि इटरनल ट्रस्ट" लखनऊ को १००० वर्गमीटर भूमि रु० १०० प्र.वर्ग मीटर की दर से आवंटित किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि सचिव, ल.वि.प्रा. यह सुनिश्चित कर लें कि यह भूमि ग्रीन बेल्ट की न हो। संस्थागत प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि ही इस प्रयोजन हेतु आवंटित की जा रही है।

विषय संख्या: १२

भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय विभिन्न शुल्क लगाये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय

विचारोपरान्त प्रस्ताव के अर्न्तगत प्रस्तावित शुल्क लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या: १३

शमन उपविधि के प्राविधानों से सम्बन्धित।

निर्णय

विचारोपरान्त प्रस्ताव में प्रस्तावित शर्तें प्राविधानित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या: १४

शमन उपविधि, १९९६ लागू होने से पूर्व के प्रकरणों के निस्तारण से सम्बन्धित।

निर्णय

विचारोपरान्त प्रस्ताव पर विचार कर पन्द्रह दिन में संस्तुति प्रस्तुत करने हेतु निर्माकृत अधिकारियों की उपसमिति गठित की गई-

१. सचिव, ल.वि.प्रा.
२. वरिष्ठ नियोजक, नगर नियोजन विभाग, उ.प्र.,
३. चारट एकाउन्टेन्ट एवं इन्वे.प्लानर
४. मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. (संयोजक)

अग्राह्य मतेदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि शासनादेश द्वारा इस निर्मित कानपुर विकास प्राधिकरण के लिये किये गये प्राविधानों को ल.वि.प्रा. के लिये भी लागू किया जा सकता है।

विषय संख्या: १५

सुदृढीकरण एवं विकास शुल्क से सम्बन्धित।

निर्णय

सुदृढीकरण एवं विकास शुल्क चसूल किये जाने के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित प्राविधानों को क्रियान्वित किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई।

विषय संख्या: १६

मल्टी स्टोरी कार्मार्शियल काम्प्लेक्स में भू-तल को केवल पार्किंग के लिये अनुमन्य रखा जाना।

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बेसमेन्ट को केवल पार्किंग की सुविधा हेतु अनुमन्य किया जाये तथा भू-तल को केवल पार्किंग हेतु अनुमन्य रखे जाने के सम्बन्ध में विचार हेतु निम्नांकित समिति गठित की गई-

१. सचिव, ल.वि.प्रा.
२. अपर सचिव, ल.वि.प्रा.
३. वरिष्ठ नियोजक, नगर नियोजन विभाग, उ.प्र.।
४. श्री राम अक्षर सिंह

उक्त समिति अपनी संस्तुतियाँ पन्द्रह दिनों के अन्दर अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी तथा इस समिति के संयोजक मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. होंगे।

विषय संख्या: १७

निर्णय

दण्ड ब्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ल.वि.प्रा. की पूर्व बैठक दिनांक १ नवम्बर, १९९५ के अन्य प्रस्ताव के बिन्दु-३ के अन्तर्गत "सेवारत या सेवानिवृत्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व केन्द्र तथा राज्य सरकार के निगमों व प्राधिकरणों के अभिचारियों, कर्मचारियों को आवन्टित सम्पत्ति के परिवर्तन शुल्क रु० ३५,०००/- तक माफ़ किये जाने के अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रदान किये गये हैं। अब इस सुविधा का लाभ उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. द्वारा जन-सामान्य के परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने के प्रकारणों में भी अपने विवेक से उपर्युक्त सीमा तक गुंण-अवगुंण का परीक्षण कर प्रदान किया जा सकेगा। साथ ही अन्य बिन्दुओं का विश्लेषण कर अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करने हेतु एक उपसमिति का भी गठन किया गया जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे-

१. सचिव, ल.वि.प्रा.
२. अपर सचिव, ल.वि.प्रा.
३. कास्ट एका. इकोनामिक प्लानर (संयोजक)

विषय संख्या: १८

श्री कैलाश शंकर अवस्थी को आवन्तित भूखण्ड संख्या:बी-२/४८, विपुल खण्ड, गोमती नगर पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क को माफ करने के सम्बन्ध में।

निर्णय:

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

विषय संख्या: १९

गोमती नगर योजना में श्री गोपाल कुष्ण, माननीय सदस्य विधान सभा के भूखण्ड के प्रति देय दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में।

निर्णय:

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १३ मई, २५ नवम्बर/२दिसम्बर, १९९३ के अर्न्तगत पूर्व में जो निर्णय लिया जा चुका है कि गोमती नगर द्वितीय चरण के अर्न्तगत किसी भी आवन्टी का दण्ड ब्याज माफ न किया जाये। इस निर्णय में अपवाद स्वरूप कोई परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या: २०

अनु.विषय संख्या: ७

विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत आवन्तित सम्पत्ति को एक योजना से दूसरी योजना के अर्न्तगत तथा उसी योजना में आवन्तित भवन के स्थान पर भूखण्ड एवं भूखण्ड के स्थान पर भवन परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय:

विचारोपरान्त कार्यवृत्त के साथ संलग्न विवरण के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लिखित १, २, ८ एवं ३ प्रकरण में सम्पत्ति परिवर्तित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

अनु. विषय संख्या: १

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक १९९७-९८

निर्णय:

लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल आय-व्ययक, १९९७-९८ पर विचारोपरान्त इस उपबन्ध सहित स्वीकृत प्रदान की गई कि जन-प्रतिनिधि, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के सदस्य नामित हैं वे अपनी आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हों, तो दस दिन के अन्दर अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा देंगे जिनका यथा-सम्भव समावेश मूल-आय व्ययक में अध्यक्ष महोदय के आदेशोपरान्त किया जा सकेगा।

अनु. विषय संख्या: २

सीतापुर रोड योजना के अर्न्तगत श्रीमती प्रतिभा कुमारी की भूमि के समायोजन का प्रस्ताव।

निर्णय:

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।

अनु. विषय संख्या: ३

हरदोई रोड योजना के अर्न्तगत रिवर व्यु. सहकारी आवास समिति की भूमि के बदले ६० प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय:

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को निर्णय हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

अनु. विषय संख्या: ४

प्रदेश की राजधानी, लखनऊ के विकास के लिये प्राधिकरण द्वारा परिचालित विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में टिप्पणी।

निर्णय:

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अम्बेडकर उद्यान एवं अन्य क्षेत्रों में विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के प्रस्तुत विवरण का अवलोकन किया गया। अम्बेडकर उद्यान के कार्यों के विषय में अवगत कराया गया कि कार्यवाही शासन स्तर पर सम्पन्न की जा चुकी है।


अनु. विषय संख्या: ५

अम्बेडकर उद्यान के अर्न्तगत सेवा केन्द्र व बुध्द प्रतिभा स्थल की डिजाइन निजी वास्तुविद से कराने के सम्बन्ध में।

निर्णय:

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।


- अनु. विषय संख्या: ६ स्व. प. दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका की डिजाइन निजी वास्तुविद से कराने के सम्बन्ध में।
- निर्णय विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
- अनु. विषय संख्या: ८ महायोजना मार्ग (वजीर हसन रोड) की चौड़ाई के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।
- निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त इस प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लेने हेतु निम्नांकित उपसमिति गठित की गई
१. अपर सचिव, ल.वि.प्रा.
  २. वरिष्ठ नियोजक, नगर नियोजन विभाग, उ.प्र.,
  ३. मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. (संयोजक),
  ४. श्री विजय शंकर बाजपेयी
- अनु. विषय संख्या: ९ श्री मनोहर भागवत व्यास ट्रस्ट भूखण्ड संख्या-४, लालबाग पर निर्मित निर्माण के शमन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
- निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण को निर्णय हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।
- अनु. विषय संख्या: १० परिवर्तन चौक के समीप स्थित डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लक्ष्मण जी एवं जियालाल पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु निजी आर्किटेक्ट अनुबन्धित किये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिया लाल पार्क का अलग आस्तित्व बना रहे, इसे दृष्टिगत रखते हुए सौन्दर्यीकरण कराया जाये।




अध्यक्ष महोदय की  
अनुमति से अन्य विषय


१. चर्कोलों का नया पैनल शीघ्र पुनर्गठित किये जाने के निर्देश दिये गये।
२. सम्पत्ति विभाग में पाच वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।
३. विकसित कालोनियों को यथा-शीघ्र नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में उपाध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

  
10/9/67  
( आर. एन. सिंह )  
सचिव

  
11.9.67  
( जे. एस. मिश्र )  
उपाध्यक्ष

अ नु मो दि त


  
( देश दीपक वर्मा )

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण  
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,  
लखनऊ।

सम्पत्ति परिवर्तन से सम्बन्धित विवरण

//

| क्रमांक | आपत्ती का नाम                               | फिसा योजना से           | फिसा योजना में परिवर्तन किया गया |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1.      | 2.                                          | 3.                      | 4.                               |
| 1.      | श्री गजेन्द्र नाथ पाण्डेय                   | गोमती नगर में भवन       | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 2.      | श्री बरखू राग चर्मा                         | गोमती नगर में भवन       | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 3.      | श्रीमती मायावती                             | प्रियदर्शिनी में भूखण्ड | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 4.      | " गीना गेहरोत्रा                            | शारदा नगर में भूखण्ड    | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 5.      | " गीता गुप्ता                               | शारदा नगर में भूखण्ड    | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 6.      | डा० विजय शंकर शुक्ला                        | अलीगंज में भूखण्ड       | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 7.      | श्री जनार्दन गुप्ता                         | गोमती नगर में भूखण्ड    | कानपुर रोड में भूखण्ड            |
| 8.      | " जे०पी०प्रताप                              | टिकेतारा में भवन        | कानपुर रोड में भवन               |
| 9.      | श्रीमती दीप्ति सिंह                         | गोमती नगर में भवन       | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 10.     | श्री मुकेश बाबू शुक्ला                      | गोमती नगर में भवन       | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 11.     | " राज नारायण सिंह                           | शारदा नगर में भवन       | गोमती नगर में भवन                |
| 12.     | " फुगीत श्रीवास्तव एवं<br>"एस०के०श्रीवास्तव | शारदा नगर में भूखण्ड    | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 13.     | श्री नृपेन्द्र मिश्र                        | शारदा नगर में भूखण्ड    | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 14.     | " वी०एल०अग्रवाल                             | प्रियदर्शिनी में भूखण्ड | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 15.     | श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव                   | शारदा नगर में भूखण्ड    | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 16.     | " निर्मला भारती                             | अलीगंज में भूखण्ड       | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 17.     | श्री रवीन्द्र नाथ सिंह                      | विपुल में पंजीकरण       | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 18.     | " बनवारी लाल कच्छल                          | शारदा नगर में भूखण्ड    | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 19.     | " गोमती यादव                                | शारदा नगर में भूखण्ड    | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 20.     | " राघव राग मिश्र                            | शारदा नगर में भूखण्ड    | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 21.     | श्रीमती रंजना रावरोजा                       | अलीगंज में भूखण्ड       | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 22.     | श्री हरि प्रसाद मिश्रा                      | विपुल खण्ड में भवन      | गोमती नगर में भूखण्ड             |
| 23.     | " प्रभुवन राय                               | विपुल खण्ड में भवन      | गोमती नगर में भूखण्ड             |

  
 1-11/97

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३० अगस्त, १९९७  
मे लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

| विषय संख्या    | विषय एवं लिये गया निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अनुपालन आख्या                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| विषय संख्या: १ | लखनऊ विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक ६ दिसम्बर, १९९६ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| निर्णय :       | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ६ दिसम्बर, १९९६ के कार्यवृत्त को पुष्टि की गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नोट किया गया।                        |
| विषय संख्या: २ | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ६ दिसम्बर, १९९६ मे लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| निर्णय:        | प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। आख्या का अवलोकन करते समय विषय संख्या: ४ अमर शाहीद पथ से गोमती नदी पर पुल बनाते हुए तीन फुल्टाई ओवर की व्यवस्था के साथ रायवरेली रोड से मिलाने के प्रोजेक्ट के सम्बन्ध मे कृत कार्यवाही पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के सम्बन्धित अधिकारियों को बैठक मे बुलाकर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। | निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। |

विषय संख्या

विषय एवं लिय गया निर्णय

अनुपालन आख्या

विषय संख्या: ३

की

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों  
भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

निर्णय

प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। विशेष रूप से व्यवसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण एवं रेन्ट सम्पत्ति के निस्तारण से हुई उपलब्धियों से अवगत कराते हुए सम्बन्धित अधिकारी अपर सचिव एवं अनुसचिव-आर श्री राम प्रकाश सिंह द्वारा किये गये कार्यों की सराहना उपाध्यक्ष द्वारा बैठक में की गई। सनस्त उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि व्यवसायिक सम्पत्ति के निस्तारण से ८.४७ करोड़ रुपये तक किराये की सम्पत्ति की विक्री से रु० २.६६ करोड़ की आय प्राधिकरण को प्राप्त हुई है। इसी प्रकार वल्क सेल की सम्पत्ति के विक्रय से रु० १०.०० करोड़ की आय प्राप्त की गई। इसके लिये श्री के.वी.सक्सेना, कास्ट एका. एवं इको.प्लानर द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की गई।

कोई कार्यवाही वाञ्छित नहीं थी।

वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या

अलग से अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

विष्णु संख्या

विषय एवं लिय गय निर्णय

अनुपालन आख्य

विष्णु संख्या: ५

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय के भवन डिजाइन हेतु प्राइवेट वास्तुविद के चयन के सम्बन्ध में।

निर्णय

विचारोपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि आर्किटेक्ट्स का नया पैनल चयन-शक्ति चयनित किया जाये अन्यथा भविष्य में इस प्रकार की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

निर्णयानुसार म्युरलेज वास्तुविद से कार्य कराया गया।

आर्किटेक्ट्स के पैनल गठन का प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

विष्णु संख्या: ६

कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर के पदनाम परिवर्तन से सम्बन्धित।

निर्णय

विचारोपरान्त कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर के स्थान पर "लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता" पदनाम रखे जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि शासन को इसकी सूचना भेज दी जाये।

शासन को पत्र भेज दिया गया है। अनुपालन पूर्ण किया गया।

विषय संख्या

विषय एवं लिय गय निर्णय

अनुपालन आख्या

विषय संख्या: ७

श्री मानसिंह अवर अमिचन्ता एवं श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज सुपरवाइजर की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित।

निर्णय

विचारोपरान्त निर्णय लिय गय कि श्री मानसिंह अवर अमिचन्ता की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री राम कुमार शुक्ला(वर्कचार्ज सुपरवाइजर) को किडनी के आपरेशन हेतु रु० २५,०००/- का अनुदान मानवीय आधार पर अपवाद स्वरूप स्वीकृत किया जाता है परन्तु भविष्य में इसे दृष्टांत न बनाया जाये।

निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।

विषय संख्या: ८

न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन रु० ३७५/- निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय

विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-श-३-१६१२/दस्-११८-८७ दिनांक २७.६.९० के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।

विषय संख्या

विषय एवं लिय गय निर्णय

अनुपालन आख्य

विषय संख्या: ९

ब्राइट-वे स्कूल के भूखण्ड अधिपत के सम्बन्ध में।

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त ब्राइट-वे स्कूल को सेक्टर-एन में आवन्तित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल ४२०९ वर्ग मी. के स्थान पर सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत ही सेक्टर-एच भाग-२ में ५,३१९.३५ वर्ग मी. का भूखण्ड स्कूल प्रयोजन आवन्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु अतिरिक्त क्षेत्रफल का मूल्य वर्तमान दर से प्राप्त किये जायेगा।

निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई। भुगतान हेतु पक्ष को सूचित कर दिया गया है।

विषय संख्या १०

उ.प्र. राज्य चीनी निगम को रोहती नगर योजना के विभिन्न खण्ड में कार्यालय प्रयोजन हेतु आवन्तित भूमि से संलग्न हरित जट्टिका की भूमि आवन्तित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय

गया।

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया

गई।

निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही पूर्ण की

| विषय संख्या    | विषय एवं लिया गया निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अनुपालन आख्य                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषय संख्या ११ | हॉरिज पब्लिका/सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि के आवन्तन से सम्बन्धित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवन्तित किये जाने वाला भू-भाग ग्रीन-बेल्ट नहीं है।                                                                                                        |
| निर्णय         | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों के अर्धान् ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय सेवाकेन्द्र को ५०० वर्गमीटर भूमि एवं "द्वि इन्टरनल ट्रस्ट" लखनऊ को १००० वर्गमीटर भूमि रु० १०० प्र.वर्ग मीटर की दर से आवन्तित किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि सचिव, ल.वि.प्र. यह सुनिश्चित कर लें कि यह भूमि ग्रीन बेल्ट की न हो। संस्थागत प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि ही इस प्रयोजन हेतु आवन्तित की जा रही है। | संस्थागत प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि का आवन्तन निर्णय के अनुसार सम्बन्धित संस्थाओं को कर दिया गया है। सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा २५ प्रतिशत धनराशि जमा कर दी गई है। अनुपालन पूर्ण किया गया। |
| विषय संख्या १२ | भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय विभिन्न शुल्क लगाये जाने से सम्बन्धित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
| निर्णय         | विचारोपरान्त प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित शुल्क लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | लिये गये निर्णय के अनुसार शुल्क आरोपित किया जा रहा है।                                                                                                                                   |

| विषय संख्या     | विषय एवं लिय गया निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                             | अनुपालन आख्य                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषय संख्या: १३ | शानन उपविधि के प्राविधानों से सम्बन्धित।                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| निर्णय          | विचारोपरान्त प्रस्ताव ने प्रस्तावित शर्तें प्राविधानित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।                                                                                                                                                                                               | निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।                                                                    |
| विषय संख्या: १४ | शानन उपविधि, १९९३ लागू होने से पूर्व के प्रकरणों के निस्तारण से सम्बन्धित।                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| निर्णय          | विचारोपरान्त प्रस्ताव पर विचार कर पन्द्रह दिन में संस्तुति प्रस्तुत करने हेतु निम्नांकित अधिकारियों की उपसमिति गठित की गई-<br>१. सचिव, ल.वि.प्रा.<br>२. वरिष्ठ नियोजक, नगर नियोजन विभाग, उ.प्र.,<br>३. कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इको.प्लानर<br>४. मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. (संयोजक) | गठित उपसमिति की बैठक हो गई है। बैठक में लिये गये निर्णय एवं संस्तुतियाँ अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है। |
|                 | अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि शासन-देश द्वारा इस निमित्त कानपुर विकास प्राधिकरण के लिये किये गये प्राविधानों को ल.वि.प्रा. के लिये भी लागू किया जा सकता है।                                                                                                        |                                                                                                         |

| विषय संख्या     | विषय एवं लिये गये निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अनुपालन आख्य                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| विषय संख्या: १५ | सुदृढ़ीकरण एवं विकास शुल्क से सम्बन्धित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| निर्णय:         | सुदृढ़ीकरण एवं विकास शुल्क वसूल किये जाने के प्रस्ताव पर विचारेपरान्त प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित प्राविधानों को क्रियान्वित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।               |
| विषय संख्या: १६ | मल्टी स्टोरी कार्पोरेशन कॉम्प्लेक्स में धूल को केवल पार्किंग के लिये अनुमत्त रख जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| निर्णय:         | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारेपरान्त निर्णय लिया गया कि वेसमेन्ट को केवल पार्किंग की सुविधा हेतु अनुमत्त किया जाये तथा धूल को केवल पार्किंग हेतु अनुमत्त रख जाने के सम्बन्ध में विचार हेतु निम्नांकित समिति गठित की गई-<br>१. सचिव, ल.वि.प्रा.<br>२. अपर सचिव, ल.वि.प्रा.<br>३. वरिष्ठ निदेशक, नगर नियोजन विभाग, उ.प्र.।<br>४. श्री राम अक्षर सिंह<br>उक्त समिति अपनी संस्तुतियां पन्द्रह दिनों के अन्दर अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी तथा इस समिति के संयोजक मुख्य नगर निदेशक, ल.वि.प्रा. होंगे। | उपसमिति की बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है। |

विषय संख्या

विषय एवं लिय गय निर्णय

अनुपालन आख्य

विषय संख्या : १७

उपड व्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विद्यमान निर्णय लिय गय कि ल.वि.प्र. की पूर्व बैठक दिनांक १ नवम्बर, १९९७ के अन्त प्रस्ताव के विन्दु-३ के अन्तर्गत 'भारत च नैव निवृत्त' केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व केन्द्र तथा राज्य सरकार के निगमों व प्राधिकरणों के अधिकारियों, कर्मचारियों के आवन्ति सम्पत्ति के परिवर्तन शुल्क रु० ३५,०००/- तक माफ़ किये जाने के अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रदान किये गये हैं। अब इस सुविधा का लाभ उपाध्यक्ष, ल.वि.प्र. द्वारा जन-सान्नात्य के परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने के प्रकरणों में भी अपने विवेक से उपर्युक्त सीमा तक गुण-अवगुण का परीक्षण कर प्रदान किये जा सकेगा। साथ ही अन्य विन्दुओं का विश्लेषण कर अपनी सन्तुष्टि प्रस्तुत करने हेतु एक उपसमिति का भी गठन किये गय जिन्से निम्नांकित सदस्य होंगे:-

१. सचिव, ल.वि.प्र.
२. अपर सचिव, ल.वि.प्र.
३. कास्ट एका. इकोनामिक प्लानर (संयोजक)

उपसमिति की बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है।

विषय संख्या

विषय एवं लिय गया निर्णय

अनुपालन आख्य

विषय संख्या: १८

श्री कैलाश शंकर अवस्थी को आवन्ति झूखण्ड संख्या: २/४८, विजुल खण्ड, गोनती नगर ज लगाये गये परिवर्तन शुल्क को माफ करने के सम्बन्ध में।

निर्णय

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

निर्णय के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।

विषय संख्या: १९

गोनती नगर योजना में श्री गोपाल कुप्प, माननीय सदस्य विधान सभ के झूखण्ड के प्रति देय दण्ड व्यय के सम्बन्ध में।

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १३ नई, २५ नवम्बर/२दिसम्बर, १९९३ के अन्तर्गत पूर्व में जो निर्णय लिया जा चुका है कि गोनती नगर द्वितीय चरण के अन्तर्गत किसी भी आवन्ती का दण्ड व्यय माफ न किया जाये। इस निर्णय ने अपवाद स्वरूप कोई परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये।

कोई कार्यवाही वाञ्छित नहीं थी।

| विषय संख्या                        | विषय एवं लिया गया निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अनुपालन आख्य                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषय संख्या: २०<br>अनु. विषय सं: ३ | विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्ति को एक योजना से दूसरी योजना के अन्तर्गत तथा उसी योजना में आवंटित भवन के स्थान पर भूखण्ड एवं भूखण्ड के स्थान पर भवन परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| निर्णय                             | विचरोपरान्त कार्यवृत्त के साथ संलग्न विवरण के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लिखित १२, ८, एवं ३ अन्य प्रकरणों में सम्पत्ति परिवर्तित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।                                                                                                                                                                                          | निर्णय के अनुपालन में २३ प्रकरणों में से १९ प्रकरणों में समायोजन की कार्यवाही पूर्ण की गई। अवशेष प्रकरणों में उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। |
| अनु. विषय संख्या: १                | लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक १९९७-९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| निर्णय                             | लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल आय-व्ययक, १९९७-९८ पर विचरोपरान्त इस उपबन्ध सहित स्वीकृति प्रदान की गई कि जन-प्रतिनिधि, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के सदस्य नानित हैं वे अपनी आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हों, तो दस दिन के अन्दर अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा देंगे जिनका यथा-सम्भव समावेश मूल-आय व्ययक में अध्यक्ष महोदय के आदेशोपरान्त किया जा सकेगा। | कोई आपत्ति प्राप्त न होने के फलस्वरूप प्रस्तुत आय-व्ययक यथावत् स्वीकृत माना गया। तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।                                     |

| विषय संख्या         | विषय एवं लिय गया निर्णय                                                                                                                                                                                                                        | अनुपालन आख्य                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| अनु. विषय संख्या: २ | सांतापुर रोड योजना के अन्तर्गत श्रीमती प्रतिभा कुमारी की भूमि के समायोजन का प्रस्ताव।                                                                                                                                                          |                                                                        |
| निर्णय              | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।                                                                                                                                                                                       | निर्णय के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।<br>अनुबन्ध निष्पादित किया गया। |
| अनु. विषय संख्या: ३ | हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत रिक्टर व्यु. सहकारी आवास समिति की भूमि के बदले ६० प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।                                                                                                                  |                                                                        |
| निर्णय              | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विन्तार से चर्चा हुई। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को निर्णय हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।                                                                                                             | निर्णयानुसार प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है।                  |
| अनु. विषय संख्या: ४ | प्रदेश की राजधानी, लखनऊ के विकास के लिये प्राधिकरण द्वारा परिचालित विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में टिप्पणी।                                                                                                                                  |                                                                        |
| निर्णय              | लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अम्बेडकर उद्यान एवं अन्य क्षेत्रों में विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के प्रस्तुत विवरण का अवलोकन किया गया। अम्बेडकर उद्यान के कार्यों के विषय में अवगत कराया गया कि कार्यवाही शासन स्तर पर सम्पन्न की जा चुकी है। | कोई कार्यवाही वाञ्छित नहीं थी।                                         |

| विषय संख्या         | विषय एवं लिय गये निर्णय                                                                                                                                                                                                                                           | अनुपालन आ व्यव                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनु. विषय संख्या: ५ | अम्बेडकर उद्यान के अन्तर्गत सेवा केंद्र व बुध्द प्रतिमा स्थल की डिजाइन निजी वास्तुविद से कराने के सम्बन्ध में।                                                                                                                                                    |                                                                                          |
| निर्णय              | विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।                                                                                                                                                                                                                  | लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।                                         |
| अनु. विषय संख्या: ६ | स्व. प. दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका की डिजाइन निजी वास्तुविद से कराने के सम्बन्ध में।                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| निर्णय              | विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।                                                                                                                                                                                                        | लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।                                         |
| अनु. विषय संख्या: ८ | महायोजना मार्ग (वज़ार हसन रोड) की चौड़ाई के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| निर्णय              | प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त इस प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लेने हेतु निम्नांकित उपसमिति गठित की गई-<br>१. अपर सचिव, ल.वि.प्रा.<br>२. वरिष्ठ नियोजक, नगर नियोजन विभाग, उ.प्र..<br>३. मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. (संयोजक)<br>४. श्री विजय शंकर वाजपेयी | निर्णयनुसार गठित उपसमिति की बैठक हुई। उपसमिति का निर्णय/संस्तुतियां संलग्न की जा रही है। |

विषय संख्या

विषय एवं लिय गया निर्णय

अनुपालन आख्य

अनु. विषय संख्या: ९

श्री मनोहर मार्गव धारा ट्रस्ट भूखण्ड संख्या-१, लखवाग पर निर्मित निर्माण के शसन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिय गया कि प्रस्तुत प्रकरण के निर्णय हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये

निर्णयानुसार प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है।

अनु. विषय संख्या: १०

पाणवत चौक के समीप स्थित डा. जयान प्रसाद मुखर्जी, लक्ष्मण जी एवं जियालाल पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु निजी आर्किटेक्ट अनुबन्धित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिया लाल पार्क का अलग अस्तित्व बना रहे, इसे दृष्टिगत रखते हुए सौन्दर्यीकरण कराया जाये।

निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।

विषय संख्या

विषय एवं लिया गया निर्णय

अनुपालन का स्वरूप

अध्यक्ष महोदय को

अनुमति से अन्य विषय

१. वकीलों का नया पैनल शीघ्र पुनर्गठित किये जाने के निर्देश दिये गये।
२. सम्पत्ति विभाग ने पांच वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।
३. विकसित कालोनियों को यय-शीघ्र नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही प्रगति पर है।

लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही पूर्ण की गई।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : ३

पृष्ठ संख्या : 27

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में

किये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय

प्रगति आख्या अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय-व्यय विवरण एवं बैलेन्स-शीट वर्ष १९९२-९३, ९३-९४, ९४-९५ एवं १९९५-९६ का अनुमोदन।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट वर्ष 1992 तक बोर्ड बैठक दिनांक 30 अगस्त, 1997 को अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा वर्ष 1995-96 की बैलेन्स शीट पूर्ण रूप से तैयार करा कर प्रस्तुत की जा रही है। वर्ष 1996-97 की बैलेन्स शीट संकलन में है।

बैलेन्स शीट की असेट्स साईड अवलोकन करने पर यह विदित होगा कि प्राधिकरण निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर है।

|                                   | 1992-93  | 1993-94  | 1994-95  | 1995-96  |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Fixed Assets and work in Progress | 1096.88  | 1088.95  | 1130.09  | 1136.76  |
| Traded Property                   | 8447.07  | 8800.96  | 8671.22  | 8833.00  |
| Receivable Amount from Public     | 5245.15  | 5436.49  | 6880.12  | 6225.50  |
| Other Cash Assets                 | 1792.84  | 2227.83  | 2316.19  | 3129.95  |
|                                   | 16581.94 | 17554.23 | 18997.62 | 19325.21 |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राधिकरण के निर्धारित पाने तथा चल रहे कार्यों में महत्वपूर्ण गिरावट नहीं तथा व्यवसायिक सम्पत्ति जो वर्ष 1992-93 में रु० 1096.88 लाख थी वह वर्ष 1995-96 में बढ़कर रु० 1136.76 लाख हो गई अर्थात् प्राधिकरण के दायित्व के अनुपात में है। इस सम्पत्ति के अतिरिक्त प्राप्त योग्य धनराशि रु० 5245.15 लाख से बढ़कर रु० 6225.50 लाख हुयी है। इससे प्रकट होता है कि प्राधिकरण ने अधिक से अधिक मात्रा में आवंटन किये तथा जनता से आवंटन धनराशि/क्रस्तों की धनराशि प्राप्त सुनिश्चित की थी।

इसके आतिरिक्त केश पत्रने भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे । इस प्रकार तीनों वर्षों में Financial Viability प्राधिकरण के हित में तथा सन्तोषजनक रही है और प्राधिकरण के कार्य संचालन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है ।

### प्राधिकरण के दायित्व

दायित्व पत्र में प्राधिकरण श्रोतों से प्राप्त ऋणों की अदायगी पंजीकृत डिपॉजिट प्रोत्तेकर के भुगतान की प्रमुख मदे है जिनका धिवरण निम्नवत् है ।

| दायित्व पक्ष                                      | 1992-93  | 1993-94  | 1994-95  | 1995-96  |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| शासकीय तथा संस्थागत ऋणों का दायित्व               | 9802.48  | 9236.18  | 10099.58 | 10523.52 |
| चालू दायित्व प्रोत्तेकर जनता की पंजीकरण की धनराशि | 6779.46  | 6921.16  | 7768.48  | 7825.99  |
| आय का व्यय पर आधिक्य                              | 1337.28  | 1396.89  | 1129.55  | 975.70   |
|                                                   | 16581.94 | 17554.23 | 18997.62 | 19325.21 |

शासन तथा अन्य क्षेत्रों से प्राप्त ऋणों की धनराशि से अधिक मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है वरिष्ठ प्राधिकरण ने मूलधन के भुगतान पत्र ओर किये तथा उसी अनुपात में नया ऋण प्राप्त किये ।

प्रोत्तेकर तथा अन्य जनता डिपॉजिट की धनराशि में निरन्तर कमी हो रही है जो विदित करता है कि प्राधिकरण अपने दायित्व चुकता करने का भरसक प्रयास कर रहा है तथा वर्ष 1992-93 में ₹06779.46 लाख से बढ़कर वर्ष 1995-96 में ₹0 7825.99 लाख हो गई ।

:: : ::

आय का व्यय पर अधिक्य वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा वर्ष 1995-96 में क्रमशः रु0 1337.28 लाख, रु0 1396.82 लाख, रु0 1129.55 लाख, रु0 975.70 लाख रहा है ।

उक्त वर्षों की बैलेन्स शीट प्राधिकरण जो सुदृढ़ Financial Viability को दर्शित करती है । प्राधिकरण वित्त संचालन में कोई भी आपत्तिजनक बिन्दु नहीं है । प्राधिकरण कृपया उक्त वर्षों की बैलेन्स शीट अनुमोदित करने का कष्ट करे ताकि इसे निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग तथा अगली महालेखाकार ऑडिट में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जा सके ।

अनुमोदनार्थ प्रेषित है ।

मुख्य लेखाधिकारी

सचिव

(जे.ए.सि. मिश्र)

उपाध्यक्ष

विषय:- विकास प्राधिकरण के वास्तुकला एवं नियोजन के कार्यों में प्राइवेट वास्तुविदों की भागीदारी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के वास्तुकला, नियोजन एवं लेण्डस्केपिंग से सम्बन्धित कार्यों को प्राइवेट वास्तुविदों से कराये जाने के सम्बन्ध में पेनल गठित किये जाने का निर्णय विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-8-97 में लिया गया था। निर्णय की छायाप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। प्राधिकरण के निर्णयानुसार प्राइवेट वास्तुविदों का पेनल गठित करने हेतु विज्ञापन दिनांक 5-9-97 को दैनिक समाचार पत्र "टाइम्स आफ इण्डिया" दिल्ली एवं लखनऊ तथा हिन्दी के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित किया गया था। विज्ञप्ति प्रकाशन के फलस्वरूप 138 आवेदन-पत्र (समयावधि दिनांक 20-9-97 तक प्राप्त हुए। प्राइवेट वास्तुविदों से कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2/9-आ-5-92-623डी0ए/91, दिनांक 22 जनवरी, 1992 के अनुपालन में वास्तुविदों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करने हेतु उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि, मुख्य वास्तुविद, उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण नामित किये गये। समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24-10-97 को आहूत की गयी। बैठक द्वारा अन्तिम रूप से जिन वास्तुविदों को चयनित किया गया, उसमें "ए" श्रेणी में 5, "बी" श्रेणी में 14, "सी" श्रेणी में 8, लेण्ड-स्केप हेतु 2 तथा नगर नियोजक हेतु 6 आवेदकों को चयनित किया गया। समिति के प्रथम बैठक की कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है।

समिति द्वारा वास्तुविदों के पेनल को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु विचार-विमर्श के उपरान्त यह पाया गया कि वास्तुविदों से साक्षात्कार/विचार-विमर्श करके वास्तुविदों/नगर नियोजकों की सूची को अन्तिम रूप दिया जाय। इस कार्य हेतु प्राथमिक सूची के वास्तुविदों/नगर नियोजकों को दिनांक 4-11-97 को प्रातः 10:30 बजे साक्षात्कार/विचार-विमर्श हेतु आमन्त्रित किया गया। साक्षात्कार में 37 वास्तुविदों/नगर नियोजकों में से केवल 24 लोगों ने भाग लिया, जिनकी उपस्थिति संलग्न है। साक्षात्कार के उपरान्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर श्रेणी "ए" में 3 वास्तुविद, श्रेणी "बी" में 10 वास्तुविद तथा श्रेणी "सी" में 5 वास्तुविद तथा 2 नगर नियोजक /अर्बन डिजाइनर अन्तिम रूप से चयनित किये गये। समिति की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्ताव के साथ संलग्न है। लेण्ड-स्केप आर्किटेक्ट्स को वास्तुविदों की सूची में ही सम्मिलित कर लिया गया।

शासनादेश में यह उल्लेख है कि प्राइवेट वास्तुविदों से कार्य कराये जाने की दशा में चयन की भी स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए तथा यह चयन उच्चतम स्तर पर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बाहरी वास्तुविदों से कराये जाने वाले कार्यों का विवरण एवं निर्धारित की गयी शर्तों आदि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्राधिकरण की बैठक में रखा जाना चाहिए और कार्य प्राधिकरण के अनुमोदन से ही कराया जाना चाहिए।

विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी बाहरी वास्तुविदों से अवध अपार्टमेण्ट, विकास प्राधिकरण मुख्यालय-भवन, महिला महाविद्यालय तथा दीनदयाल स्मृतिका एवं लक्ष्मण पार्क आदि के कार्य कराये गये हैं। यह सभी कार्य वास्तुविदों से विचार-विमर्श करने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एवं निर्धारित शर्तों एवं फीस पर कराये गये हैं। अम्बेडकर उद्यान

के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाओं में वास्तुविद को 2 प्रतिशत तक फीस प्रदान की गयी है। कार्य हेतु शर्तें योजनाओं में निहित कार्य के अनुरूप निर्धारित की गयी है, जैसे: "यदि भवन के डिजाइन का कार्य है, तो आगणन, स्ट्रक्चरल डिजाइन तथा सर्विस ड्राइंग एवं स्पेसिफिकेशन आदि का उपलब्ध कराये जाने की शर्तें निर्धारित की गयी है, जबकि नगर नियोजक/अर्बन डिजाइन के कार्यों हेतु सर्वेक्षण, "सोशियो इकोनॉमिक स्टडी", अवस्थापना सुविधाओं का नियोजन, सेक्टरल प्लानिंग तथा ले-आउट के साथ सम्पूर्ण योजना को विभिन्न चरणों में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति हेतु चरणबद्ध योजना तैयार किये जाने हेतु शर्तें अलग से निर्धारित की जाती है।

वर्तमान में नियोजन विभाग में 2 सहायक नगर नियोजक, जो नियोजन सहायक के पद से प्रोन्नत हुए हैं, जो प्राधिकरण के दैनिक कार्यों को सम्पादित कराते हैं। प्राधिकरण की नवीन विकसित की जाने वाली योजनाओं, जैसे: हरदोई रोड, सीतापुर रोड, अम्बेडकर नगर एवं अन्य बहुखण्डीय योजनाओं के डिजाइन/नियोजन हेतु अर्ह वास्तुविद एवं नगर नियोजक कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे इन विशिष्ट प्रकार की योजनाओं का कार्य कराया जा सके। अतः इन योजनाओं को बाहरी वास्तुविदों/नगर नियोजकों से कराया जाना विचारणीय है। इन योजनाओं में से वास्तुकला की योजनाओं को गठित पेनल में से सीमित वास्तुविदों के मध्य प्रतियोगिता कराकर तथा नियोजन सम्बन्धी योजनाओं हेतु वित्तीय आफर प्राप्त करके कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार निम्न विन्दु प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है:-

1) वास्तुविदों/नगर नियोजकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर समिति द्वारा चयनित किये गये वास्तुविदों/नगर नियोजकों के पेनल को अनुमोदित किया जाय।

2) हरदोई रोड, सीतापुर रोड तथा अम्बेडकर नगर योजना के नियोजन का कार्य पेनल के नगर नियोजकों से तथा वास्तुविदिक कार्य वास्तुविदों से कराया जाय।

3) वास्तुविदों/नगर नियोजकों को दी जाने वाली फीस एवं शर्तों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाना प्रस्तावित है:-

क) प्राधिकरण द्वारा पूर्व में वास्तुविदों को वास्तुकला/लेण्डस्केपिंग हेतु 2 प्रतिशत की फीस दी गयी है। अनुवर्ती प्रकार की डिजाइनों हेतु 0.5 प्रतिशत फीस देय होगी।

ख) नगर नियोजकों हेतु प्राधिकरण द्वारा पूर्व में वित्तीय आफर प्राप्त करके कार्य दिया गया है। अतः वही प्रक्रिया अपनायी जानी उचित प्रतीत होती है।

ग) वास्तुविदों/नगर नियोजकों को कार्य का दायित्व सौपने से पूर्व कार्य एवं शर्तों के अनुसार अनुबन्ध का परीक्षण गठित समिति द्वारा किया जाय।

वास्तुविदों के पैनल गठित करने हेतु उपसमिति की दिनांक 24.10.97 को सायंकाल 4:30 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त:  
=====

वास्तुविदों के पैनल गठित करने हेतु प्राधिकरण के विज्ञापन दिनांक- 5 सितम्बर, 1997 के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन-पत्रों में से वास्तुविदों को चयनित कर पैनल गठित करने हेतु बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित थे:-

1. श्री जय शंकर मिश्र - अध्यक्ष  
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. श्री ए.पी. त्यागी - सदस्य  
मुख्य वास्तुविद, लोकनिर्माण विभाग,  
उत्तर प्रदेश।
3. श्री एम.पी. अनेजा - सदस्य  
वरिष्ठ नगर नियोजक, ग्राम एवं नगर-  
नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. श्री सुरेन्द्र सिंह - सदस्य  
मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
5. श्री जी.पी. श्रीवास्तव - सदस्य/संयोजक  
मुख्य नगर नियोजक,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण।


बैठक में प्रस्तुत सूची में अंकित विभिन्न वास्तुविदों से प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर पैनल गठित करने हेतु निम्न बिन्दुओं के संदर्भ में समिति द्वारा विचार किया गया:-

- §1§ प्राधिकरण के कार्यों की प्रकृति को दृष्टिगत करते हुए वास्तुविदों, नगर नियोजकों, तथा लैण्ड-स्केप वास्तुविदों की अलग-अलग सूची तैयार की जाय।
- §2§ वास्तुविदों की योग्यता, अनुभव तथा पूर्ण कराये गये कार्यों के आधार पर वास्तुविदों को विभिन्न तीन श्रेणियों में विभक्त करके सूची तैयार की जाय।
- §3§ विकास प्राधिकरण के कार्यों की महत्ता, आवश्यकता तथा कार्यों को सम्पादित कराये जाने हेतु तौमित समय को दृष्टिगत करते हुए वास्तुविदों का चयन किया जाय।
- §4§ अनन्तिम रूप से तैयार की गयी सूची में अंकित वास्तुविदों को




- साक्षात्कार/विचार विमर्श हेतु बुलाया जाय।


उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए संलग्न सूची के अनुसार "ए" श्रेणी में 5 वास्तुविद, "बी" श्रेणी में 14 वास्तुविद तथा "सी" श्रेणी में 8 वास्तुविदों के नाम अंकित हैं। इसी प्रकार से नगर नियोजक के कार्य हेतु 5 फर्मों को एवं 2 फर्मों को "लेण्ड-स्केप" से सम्बन्धित कार्यों को कराने हेतु प्राथमिक रूप से चयनित किया गया है। इस सूची को अन्तिम रूप साक्षात्कार/विचार विमर्श के उपरान्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।




॥जी. पी. श्रीवास्तव॥  
मुख्य नगर नियोजक।



॥गुरेन्द्र सिंह॥  
मुख्य अभियन्ता।



॥स. म. अनेजा॥  
वरिष्ठ नगर नियोजक।



॥स. पी. त्यागी॥  
मुख्य वास्तुविद।

॥जे. एस. मिश्र॥  
उपाध्यक्ष।

Presence of the Architects/Landscape Architects/Town planners in the 35 meeting on 4.11.97


| Sl. No.  | Name of the Architect.                                                                    | Name of the firm                              | Signature |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| (D) ✓ 1  | MUKESH PANIKA                                                                             | PERCEPTION                                    |           |
| (D) ✓ 2  | R. JATSWAL                                                                                | JATSWAL & ASSOCIATES                          |           |
| (D) ✓ 3  | P.K. MEHRAPTRA                                                                            | N.P. ... Ltd. New Delhi                       |           |
| ✓ 4      | VIMAL AWASTHY                                                                             | VIMAL AWASTHY & ASSOC                         |           |
| ✓ 5      | ARUN KUMAR                                                                                | DESIGN GROUP                                  |           |
| ✓ 6      | RAJIV KACKER                                                                              | POINT                                         |           |
| ✓ 7      | AJAI BEHL                                                                                 | CIVIL CONSULTANTS                             |           |
| ✓ 8      | SANJAY SAXENA                                                                             | DESIGN GROUP                                  |           |
| (D) ✓ 9  | LAVESH KANSAL                                                                             | SVQ CONSULTANTS (P) LTD.                      |           |
| (D) ✓ 10 | VIPENDER KANNA                                                                            | VK&P                                          |           |
| ✓ 11     | PUNEET M. BALA                                                                            | DESIGN STUDIO.                                |           |
| ✓ 12     | SANDEEP SETH                                                                              | DESIGN STUDIO                                 |           |
| ✓ 13     | SAMIR CHATURVEDI                                                                          | CIVIL CONSULTANTS                             |           |
| ✓ 14     | ASHOK KUMAR                                                                               | ARCHITEN DESIGN CENTRE                        |           |
| ✓ 15     | ARCHITECTS SAVITA-ROHIT. MURALAGE                                                         | M/S MURALAGE. BIO small byre Hotel club. Ltd. |           |
| ✓ 16     | W.C. DASGUPTA                                                                             | M/S PLANCON                                   |           |
| ✓ 17     | S. R. AGARWAL                                                                             | VASTU SEWA                                    |           |
| ✓ 18     | S. N. MISRA<br>Architect Bhavadwaj Bhavadwaj & Associates<br>of ... Shikhar.<br>New Delhi | Bhavadwaj Bhavadwaj & Assoc - New Delhi       |           |
| (D) ✓ 19 | SK MOHAN, KOTHARI & ASSOCIATE<br>NEW DELHI                                                |                                               |           |
| (D) ✓ 20 | REKHA RAJIV - New Delhi                                                                   |                                               |           |
| ✓ 21     | HARSH VADHAN                                                                              | DESIGNER. Ltd                                 |           |
| ✓ 22     | RAJIVA KUMAR<br>Associates.                                                               | RAJIVA KUMAR & ASSOCIATES                     |           |

23. VIJAY SINHA  
SKYLINE ARCHITECTURE  
CONSULTANTS PVT LTD

V. J. Sinha

24. RAJESH & ASSOCIATES.  
3. G.N. RD, Lucknow.

Rajesh.



D.P.

वास्तुविदों के पैनल गठित करने हेतु उपसमिति की दिनांक 4.11.97 को प्रातः 10:30 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्तः

वास्तुविदों के पैनल गठित करने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति की बैठक विकास प्राधिकरण के कार्यालय भोमती नगर, विरवास खण्ड में आहूत की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे:-

- 1. श्री जय शंकर मिश्र - अध्यक्ष  
उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
- 2. श्री एम.पी.अनेजा - सदस्य  
वरिष्ठ नगर नियोजक,  
ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग,  
उ०प्र०लखनऊ ।
- 3. श्री सुरेन्द्र सिंह - सदस्य  
मुख्य अभियन्ता,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
- 4. श्री जी.पी.श्रीवास्तव - सदस्य/संयोजक  
मुख्य नगर नियोजक,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

समिति के सदस्य श्री ए.पी. त्यागी, मुख्य वास्तुविद, लोकनिर्माण विभाग, लखनऊ शहर से बाहर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिनांक 5.10.97 को प्रकाशित विज्ञापन के फलस्वरूप 138 आवेदन-पत्र निर्धारित समय में प्राप्त हुए थे। समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.10.97 में आवेदन-पत्रों में अंकित सूचनाओं के आधार पर "शार्टलिस्ट" किया गया जहाँ श्रेणीवार अनन्तम सूची तैयार की गयी। अनन्तम सूची में साक्षात्कार हेतु 35 वास्तुविद/नगर नियोजक चयनित किये गये। इन वास्तुविदों का साक्षात्कार आज दिनांक 4.11.97 की बैठक में किया गया, जिसमें से कुल 24 वास्तुविद/नगर नियोजक उपस्थित हुए।

उपस्थित वास्तुविदों/नगर नियोजकों को उनकी फर्म की वरिष्ठता फर्म में पार्टनर एवं वास्तुविद की अर्हता रखने वाले/कार्मिकों की संख्या तथा उनके द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों के अनुभव को दृष्टिगत करते हुए श्रेणीवार सूचीबद्ध करते हुए चयन की कार्यवाही सम्पन्न की गयी। साक्षात्कार-

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

- के पत्रघात वास्तुविदों/नगर नियोजकों की श्रेणीवार सूची निम्नवत् है:-

| क्रमसंख्या                  | वास्तुविद का नाम/<br>फर्म का नाम                                                | पता एवं दूरभाष नं०                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>श्रेणी "ए"</b><br>=====  |                                                                                 |                                                                         |
| 1.                          | वीरेन्द्र खन्ना एण्ड एसोसिएट्स<br>लिमिटेड<br>श्री वीरेन्द्र खन्ना ।             | ए-1, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।<br>फोन: 6415722, 6415585                  |
| 2.                          | एन. बी. सी. सी. लिमिटेड।<br>श्री एल. आर. वाथम,<br>§मुख्य अभिगण, कंसल्टेन्सी §   | एन. बी. सी. सी. भवन, लोधी रोड<br>नई दिल्ली।<br>फोन: 4590314-17, 4615038 |
| 3.                          | जायसवाल एण्ड एसोसिएट्स<br>श्री आर. जायसवाल,<br>श्री विजय कुमार ।                | बी-109, सर्वोदय इंडस्ट्रियल,<br>नई दिल्ली ।<br>फोन: 6865971, 6866207    |
| <b>श्रेणी "बी"</b><br>===== |                                                                                 |                                                                         |
| 4.                          | सिविल कंसल्टेंट ।<br>श्री अजय बेदी,<br>श्री समीर वर्तुर्वेदी ।                  | 9/7 "ए" राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।<br>फोन: 212669, 270129                  |
| 5.                          | म्युरेल ।<br>श्री रोहित अग्रवाल                                                 | बी-10, अवधबाजार होटल कार्पोरेशन,<br>लखनऊ।                               |
| 6.                          | भारद्वाज भारद्वाज एण्ड एसोसिएट्स<br>श्री अजय भारद्वाज,<br>श्री दक्षा भारद्वाज । | सी-58, डिफेन्स कालोनी,<br>नई दिल्ली।<br>फोन: 4018786, 4619312           |
| 7.                          | गुकेश पत्रिका ।<br>श्री गुकेश पत्रिका ।                                         | ए-10, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन,<br>नई दिल्ली।<br>फोन: 6523416, 6854346     |

§कुममः पेज-3, पर § .....

8. राजेश एण्ड ससो  
श्री राजेश अग्रवाल ।  
3, बी. एन. रोड, कैसरबाग,  
लखनऊ ।  
फोन: 226838
9. एस. वी. जी. कंसल्टेंट प्राइडो  
लिमिटेड ।  
श्री जे. वी. जोशी,  
श्री लयेश कंसल ।  
9/1, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,  
अरुणा आरामजाली-मार्ग, नई दिल्ली ।  
फोन: 6867317, 6867352,  
668523
10. आर्य-इन-डिज़ाइन सेन्टर।  
श्री अशोक कुमार ।  
306, थर्ड-फ्लोर, नई दिल्ली।  
फोन: 0522-2727, 282888
11. "अ" डिज़ाइन ग्रुप  
श्री अरुण कुमार ।  
हलवासिया बौट, हजरतगंज,  
लखनऊ ।  
फोन: 241943, 383145
12. स्काईलाइन आर्किटेक्चरल-  
कंसल्टेंट प्राइडोलिमिओ ।  
श्री अजय सिन्हा ।  
9 "बी", अवधबाजार, होटल-  
बनारस अवध, लखनऊ ।  
फोन: 217272, 217282
13. आर्कीटेक्ट एण्ड ससो ।  
श्रीमती रेखा राजीव ।  
ए-262, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी,  
नई दिल्ली ।  
फोन: 6814368, 6823763

श्रेणी "सी"  
=====

14. वास्तुसेवा ।  
श्री एस. आर. अग्रवाल ।  
आरिफ चेंबर, सेक्टर-एच  
अलीगंज, लखनऊ ।
15. च्वाइंट ।  
श्री राजीव कवकड़,  
श्री मो० सबाहत ।  
1, कैसर चेंबर, गौड-फ्लोर 46/69,  
वजीर हसन रोड, लखनऊ ।  
फोन: 233817

B.

any


any


क्रमांक: पेज-4, पृष्ठ .....


16. डिज़ाइनर्स । सी-1510, इन्दिरानगर, अरावलीमार्ग,  
श्री हर्षवर्धन । लखनऊ । फोन: 380094
17. विमल अवस्थी एण्ड असो । 11, छावनी रोड, लखनऊ ।  
श्री विमल अवस्थी । फोन: 218744
18. राजीव कुमार एण्ड एसो । ए-869, नीलगिरि काम्पलेक्स,  
श्री राजीव कुमार श्रीवास्तवा इन्दिरानगर, लखनऊ ।  
फोन: 344283, 386559


नगर नियोजक/अर्बन डिज़ाइनर की सूची:  
=====

19. ईपर आनवर्ड-ग्रुप । पाकेट सी-43 बी-सिद्धार्थ एक्सप्रेस,  
श्री जे. पी. भार्गव, नई दिल्ली ।  
श्री अरविन्द कुमार सिंह, फोन: 6849054, 6820690  
श्री राजीव भार्गव ।
20. प्लानकान । सी-60, सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ ।  
श्री यू. सी. दास । फोन: 217783, 378599

  
श्री. पी. श्रीवास्तव  
मुख्य नगर नियोजक

  
श्री सुरेन्द्र सिंह  
मुख्य अभियन्ता।

  
श्री एम. पी. अनेजा  
वरिष्ठ नगर नियोजक।

  
श्री. ए. ए. मिश्र  
उपाध्यक्ष।

(६६)

॥ १ ॥

१११

विषय संख्या ३

समानक विचार प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्य की शैक्षिक एवं वित्तीय प्रगति जांचना

निर्णय

प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। विशेष रूप से व्यावसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण एवं खेद सम्पत्तियों के निस्तारण में हुई अपूर्णताओं से अवगत कराया गया। सम्बन्धित अधिकारी अपर सचिव एवं अग्रेसरिच-आर श्री राम प्रकाश सिंह द्वारा किये गये कार्य की सराहना तथा ब्याज बेटक में की गई प्रत्यक्ष उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि व्यावसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण से ८.४७ करोड़ रुपये तथा किराये की सम्पत्तियों की बिक्री से रु० २.६६ करोड़ की आय प्राधिकरण को प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बल्क सेल की सम्पत्तियों के बिक्री से रु० १०.०० करोड़ की आय प्राप्त की गई। इसके लिये श्री के.बी.सरोजिया, कार्ट एन. एन. इको.प्लानर द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की गई।

विषय संख्या ४

समानक विचार प्राधिकरण का आग-व्ययक लेखा तथा बैलेन्स शीट ८९-९०, ९०-९१ तथा ९१-९२ पर जांचना

निर्णय

प्रस्तुत की गई बैलेन्स शीट वर्ष ८९-९०, ९०-९१ एवं ९१-९२ का अवलोकन किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही इस बात पर उपरानता व्यक्त की गई कि बैलेन्स शीट बहुत विस्तृत में प्रस्तुत की गई एवं निर्देश दिये गये कि आगामी बेटक में वर्ष १९९१-९२ तक की बैलेन्स शीट अनुमोदनीय प्रस्तुत की जायें।

॥ विषय संख्या ५

बैतकी सुभाष चक्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय के मन्त्र निवाइन हेतु प्राज्ञोपचार विभाग के मन्त्र के सम्बन्ध में।

निर्णय

विचारोपसृत प्रस्ताव पर स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि ऑफिसियल नाम नया पेशल तथा-शोध चर्चानत किया जाय। अन्यथा भविष्य में इस प्रकार की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

श्री श्री श्री  
 वास्तविकता  
 पत्रावली पर  
 (६६) १११  
 २०१६/१७

(CTP नं० (पं० १११/१७))

१११

कमरा

( 55 )

179  
42

महत्त्वपूर्ण

सं०-2/9-आ-5-92-625डी 090/91

प्रेषक,

2570/अ/र

श्री रवीन्द्र शंकर माथुर,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन

192

11-12-देवामें,

- 1- उपर्युक्त, महत्त्व विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ।
- 2- उपर्युक्त, महत्त्व विद्युत क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ०प्र० ।

707/9

आवास अनुभाग-5,

संलग्न: दिनांक: 22 जनवरी, 92,

24-1-92

विषय:- प्राधिकरण की आवासीय एवं अन्य योजनाओं के निष्पन्न एवं अभिकल्प डिजाइन का कार्य प्राइवेट वास्तुविदों से कराया जाना।

महोदय,

शासन के संज्ञान में कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें कतिपय विकास प्राधिकरणों ने बड़े पैमाने पर आवासीय एवं अन्य योजनाओं के निष्पन्न और डिजाइन का कार्य प्राइवेट वास्तुविदों से कराया है। यही नहीं यह कार्य लागत के नियंत्रित प्रतिपात के आधार पर कराया गया है जबकि बहुत सी इमारतें बिल्कुल एक ही छत हैं और किसी तरह की डिजाइन के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी।

25/1/92

25/1/92

25/1/92

2- यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर वास्तु विदों से डिजाइन कराये जाने पर सिद्धान्ततः आपरिचित नहीं होनी चाहिये परन्तु यह कार्य इतने बड़े पैमाने पर किया जाना, जबकि इसके लिये प्राधिकरण में स्टाफ द्वारा है कि प्राधिकरणों की योजनाओं के निष्पन्न एवं अभिकल्प का कार्य यदि उसमें कोई विनिश्चित प्रवृत्ति का कार्य नियमित न हो तो सामान्यतः प्राधिकरण के स्टाफ के माध्यम से ही कराया जाना चाहिये; फिर भी यदि किसी विनिश्चित योजना के लिए वास्तु विदों से कार्य कराया

25/1/92

25/1/92

25/1/92

25/1/92

25/1/92

25/1/92

25/1/92

जाना आवश्यक समझा जाय तो इसके लिये प्रस्तावों की संबंधित कार्य के निष्पन्न एवं निष्पन्न की गयी शर्तों के अन्तर्गत उपरोक्त उद्देश्य के लिये प्राधिकरण की बैठक में रखा जाना चाहिये और कार्य प्राधिकरण के अनुमोदन से ही कराया

25/1/92

25/1/92

25/1/92

(JBS)

25/1/92

प्र. वा. (१९९०) १०१/१८

जाना चाहिये । उचित होगा कि संलग्नित प्रत्येककरण इस बारे में एक  
 निश्चित प्रक्रिया भी निर्धारित कर लें जिसमें यह उल्लेख है कि किन  
 परिस्थितियों में कार्य प्रोजेक्ट कार्टुपिडों से कराया जायगा, फिर  
 तरह की इमारतों का कार्य करते करवा जायेगा तथा ऐसा कार्य कराये  
 जाने की क्या बातें आदि होंगी । साथ ही ऐसी दशा में जबकि प्रोजेक्ट  
 कार्टुपिडों से कार्य कराया जाया प्रस्तावित हो तो उनके धन की भी  
 स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिये और यह धन भी उच्चतम स्तर पर ही किया  
 जाना चाहिये क्योंकि जिन प्रकरणों का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें  
 यह भी पाया गया कि प्रोजेक्ट कार्टुपिडों से धन की भी कोई निर्धारित  
 प्रक्रिया नहीं अपनाई गई ।

3- यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

मपदीय,

1 एम. ए. शर्मा सचिव ।  
2 प्र. वा. सचिव ।

संख्या: 2111/५-आ-5-92-623300ए/92 तददिनांक:

प्रतिनिधि आवास विभाग के तत्कालिक कार्य/अनुभागों का  
सूचना प्रेषित ।

आज्ञा से,  
 (प्र. वा. सचिव)  
 1 एम. ए. शर्मा सचिव ।  
 तत्कालिक सचिव,

विषय: पं० दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका में म्यूजिकल फाउन्टेन के कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित ।

पं० दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका का निर्माण नारबाग के निम्न प्राधिकरण द्वारा कराया गया है । इस स्मृतिका में पं० दीनदयाल उपाध्याय की एक भव्य मूर्ति के अतिरिक्त दो सामान्य फाउन्टेन तथा एक म्यूजिकल फाउन्टेन लगाया जाना था । इस स्मृतिका के निर्माण के दौरान दिनांक 18.9.97 को श्री लालजी टन्डन, मंत्री आवास एवं नगर विकास, उ०प्र० सरकार द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये कि म्यूजिकल फाउन्टेन का कार्य भी इस स्मृतिका के लोकार्पण दिनांक 25.9.97 तक पूर्ण कर लिया जाये । इतनी अल्प अवधि में म्यूजिकल फाउन्टेन के कार्य को कोटेशन प्राप्त कर कराने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था ।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में प्राधिकरण द्वारा रु.9.00 लाख (रुपये नौ लाख मात्र) की लागत म्यूजिकल फाउन्टेन के कार्य का कोटेशन प्राप्त कर कराया गया । अतः उपरोक्त की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.8.97 के मदसंख्या-18 के अन्तर्गत गठित उपसमिति की बैठक दिनांक 22.12.97 का कार्यवृत्त:

विकास प्राधिकरण की गा. बैठक दिनांक 30.8.97 के मदसंख्या-16 के अन्तर्गत मल्टी स्टोरी कार्मिरीयल काम्पलेक्स के भू-तल को केवल पार्किंग के लिए अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था. जिस सम्बन्ध में एक उपसमिति का गठन करके संस्तुति विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे. इस उपसमिति की बैठक आयोजित की गयी. जिसमें निम्न अधिकारियों ने भाग लिया:-

- |    |                                                                                    |   |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1. | श्री आर.एन.सिंह<br>सचिव,<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण।                                  | - | अध्यक्ष      |
| 2. | श्री भूपेन्द्र सिंह<br>अपर सचिव,<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण।                          | - | सदस्य        |
| 3. | श्री एम.पी.अनेजा<br>वरिष्ठ नियोजक,<br>नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,<br>उत्तर प्रदेश। | - | सदस्य        |
| 4. | श्री राम अथार सिंह<br>सदस्य, लखनऊ विकास-<br>प्राधिकरण।                             | - | सदस्य        |
| 5. | श्री जी.पी.श्रीवास्तव<br>मुख्य नगर नियोजक,<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण।                | - | संयोजक       |
| 6. | श्री आर.पी.शुक्ला<br>अधीक्षक अभियन्ता,<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण।                    | - | विशेष आगन्वी |

बैठक में मल्टी स्टोरी कार्मिरीयल काम्पलेक्स के भू-तल में अनिवार्य रूप से पार्किंग उपलब्ध कराये जाने तथा अनुमन्य किये जाने के बिन्दु पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श तकनीकी, विधिक तथा वित्तीय दृष्टिकोण को दृष्टिगत करते हुए किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्न प्रकार संस्तुतियाँ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया:-

१। बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विषय में सामान्यतयः नियम उपलब्ध न होने की दशा में अथवा नियमों को प्राधिकृत किये जाने हेतु "नेशनल बिल्डिंग कोड" का आधार लिया जाता है। इस संदर्भ में एन.बी.टी. तथा डी.डी.ए. के भवन अधिनियम का अध्ययन किया गया-


-और पाया गया कि व्यावसायिक भवनों के विकास में कमी पर भी अनिवार्य रूप से भू-तल, पार्किंग हेतु आरक्षित किये जाने का प्रावधान नहीं है।


इस विन्दु को उपरोक्त विकास एवं योजना अधिनियम-1973 के संदर्भ में भी लीजना भारत लीजा गया तथा यह पाया गया कि इस अधिनियम में भी भू-तल के सम्पूर्ण क्षेत्रफल को पार्किंग/कुले उपयोग हेतु छोड़े जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसे देखते हुए तर्जिमत द्वारा प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गयी।


§2§ इस विन्दु पर भी विचार किया गया कि भू-तल पर विभिन्न पक्षकारों से अनिवार्य रूप से पार्किंग हेतु स्थल छोड़वा लिया जाय तथा उनके इस क्षेत्रफल का लाभ भवन के अपररो मीजलों पर दे दिया जाय। ऐसी दशा में महान विचार के उपरान्त यह पाया गया कि पक्ष को अतिरिक्त क्षेत्रफल का लाभ मिल जाएगा, किन्तु भू-तल पर छोड़े गये पार्किंग के स्थल को भीषण में पक्ष द्वारा ही अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक स्थल में परिवर्तित करने की प्रबल सम्भावना रहेगी। अतः इस दृष्टिकोण से भी भू-तल पर अनिवार्य रूप से पार्किंग स्थल प्राविधानित कराया जाना उचित नहीं पाया गया।


§3§ प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही व्यावसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण की व्यावहारिकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुमूल्य भू-तल को पार्किंग प्रयोग हेतु क्रेता को छोड़ना होगा, जिससे योजना की आर्थिक उपादेयता संभव न होगी।

अतः उपर्युक्त की संस्तुति उपरोक्तानुसार विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

  
§मू.प. सिंह §  
अपर सचिव।

  
§म.प. अ. अ. अ. §  
वरिष्ठ नियोजक।

  
§राम अ. अ. सिंह §  
सदस्य, लॉवंगुग।

  
§आर. ए. न. सिंह §  
सी. ए. ए.  
अध्यक्ष उपर्युक्त।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में विभिन्न समुदायों के धार्मिक, अध्यात्मिक तथा उपासना भवनों/केन्द्रों की स्थापना के लिये आवास विकास परिषद के अध्यक्ष द्वारा जारी पत्र के समरूप भूमि के आवंटन से सम्बन्धित ।

उपरोक्तानुसार भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में समय समय पर प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते हैं। इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित न होने के कारण भूमि आवंटित नहीं की जा सकी है।

2. उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से इस सम्बन्ध में जानकारी की गई। आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में धार्मिक संस्थाओं की स्थापना हेतु परिषद द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स हैं, जिनकी प्रति उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न की गई है। उपरोक्त पत्र के साथ गाइड लाइन्स तथा परिषद की बैठक दि० 28-3-80 के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है (संलग्नक-1 व 2) ।

3. संलग्न गाइड लाइन्स में निम्न संशोधनों सहित प्रस्ताव निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है:-

1. संलग्न गाइड लाइन्स की क्रम सं०5 में सदस्यों की संख्या कम से कम 500 का जो उल्लेख है, उसे 500 से कम करके 100 कर दिया जाय।
11. संलग्न गाइड लाइन्स की क्रम सं० 10 में दो वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण करने का उल्लेख है, इसमें यह संशोधन कर दिया जाय कि भूमि का कब्जा दिये जाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा तीन वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा।
111. संलग्न गाइड लाइन्स की क्रम सं० 16 में संशोधन करके निम्न उप समिति गठित कर दी जाय:-

क: उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण-अध्यक्ष समिति

- |                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| ख: मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक            | -- सदस्य |
| ग: सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण              | -- सदस्य |
| घ: मुख्य लेखा अधिकारी, ल०वि०प्रा०          | -- सदस्य |
| ड: लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता ल०वि०प्रा० | -- सदस्य |

राकेश कुमार मिश्रा  
आई.ए.एस.  
आवास आयुक्त



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्  
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 226 001  
दूरभाष-का-221415, फा-393589  
फै.म. 0522-216178

21(1) 2011-1

48

कार्यालय-प्रभारी (लखनऊ सेल)

संख्या... 959 अ. अ. लखनऊ सेल/1997

दिनांक... 21/11/97

संदर्भ संख्या...

495/50/ML

दिनांक...

21-11-97

प्रिय श्री मिश्रा,

दिनांक 05.11.97 को हुई परिषद की बैठक, जिसमें आप भी उपस्थित थे, परिषद की योजनाओं में धार्मिक संस्थाओं की स्थापना हेतु भूमि का प्राविधान किये जाने का प्रकरण आया था। आपने इस संबंध में परिषद द्वारा निर्धारित गाइड लाईन्स की जानकारी चाही थी। उक्त गाइड लाईन्स की एक प्रति आपको भेजी जा रही है।  
सुक्रवादि (सिद्ध)।

संलग्न: उपरोक्तानुसार  
पि

भवनिष्ठ,

(राकेश कुमार मिश्रा)

-श्री जे0एस0 मिश्रा,  
उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

परिषद योजनाओं में धार्मिक स्थानों की स्थापना के लिए भूमि के प्राविधान के सम्बन्ध में परिषद की दिनांक १०.१२.७९ की बैठक के संकल्प सं०-५(२८)७९ द्वारा गठित उप समिति की दिनांक २४.३.८० को मुख्यालय पर मीटिंग कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारी उपस्थित थे:-

- |    |                                                     |        |
|----|-----------------------------------------------------|--------|
| १. | श्री जे०पी०दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक         | सदस्य  |
| २. | श्री राम औतार दीक्षित, एम०एल०सी०                    | सदस्य  |
| ३. | डा० विशम्भर नाथ तिवारी, उप आवास आयुक्त/सचिव         |        |
| ४. | श्री अरूण कुमार पचोरी, वरिष्ठ नगर नियोजक/वास्तुविद् | संयोजक |

बैठक में परिषद की विभिन्न योजनाओं में धार्मिक संस्थाओं को भूमि प्रस्तावित/आवंटित करने की सम्भावनाओं पर विचार किया गया । समिति का यह विचार था कि धार्मिक स्थानों के लिए परिषद को विशेषकर बड़ी योजनाओं में भूमि आरक्षित करना योजना की सफलता के लिए आवश्यक है परन्तु साथ में यह भी आवश्यक है कि केवल न्यूनतम मामलों में ही धार्मिक स्थानों के लिए भूमि आवंटित की जाय । किसी धर्म विशेष की भूमि आवंटित करने से अन्य धर्म के अनुयायियों को प्रतिस्पर्धा हो सकती है । अतः जिन्हें धार्मिक स्थान परिषद योजनाओं में आवंटित करना सम्भव हो उन्हें निम्नलिखित "गाइड लाइन्स" एवं शर्तों के अनुसार भूमि माँग के अनुसार परिषद द्वारा आवंटित की जाय:-

१. जिन योजनाओं में धार्मिक स्थानों हेतु भूमि उपलब्ध करायी जा सकती है, उन्हीं योजनाओं में भूमि दिये जाने पर विचार किया जा सकता है, परन्तु जिन योजनाओं में खुली जगह (ओपन स्पेस) का उपयोग केवल वाक्स/टाटलीट्स के लिए प्रस्तावित है वहाँ पर धार्मिक स्थानों के लिए भूमि देने पर विचार किया जाना उचित नहीं होगा ।
२. साधारणतः एक संस्था के लिए ५०० वर्गमी० तक भूमि दी जा सकती है, परन्तु जिन योजनाओं में अधिक भूमि उपलब्ध है वहाँ अधिक से अधिक १००० वर्गमी० तक भूमि दी जा सकती है ।
३. संस्था द्वारा भूमि का मूल्य प्रचलित दर का ५० प्रतिशत देय होगा । ५०० वर्गमी० से अधिक भूमि का मूल्य प्रचलित दर के बराबर ( ) देय होगा ।
४. भूमिका मूल्य एक किश्त में देय होगा ।
५. संस्था पंजीकृत हो तथा सदस्यों की संख्या कम से कम २०० ( ) होनी आवश्यक है जो प्रश्नगत कालोनी के आवंटी हो ।

६. किसी धर्म विशेष के अनुयायियों के संगठनों को एक योजना में एक ही स्थान पर भूमि दी जा सकती है।
७. संस्था को प्रस्तावित निर्माण का अनुमानित लागत का २५ प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में देना होगा।
८. संस्था की अपना संविधान प्रस्तुत करना होगा।
९. संस्था को जिन उद्देश्यों के लिए भूमि प्रदिष्ट हुई है उसके अतिरिक्त किसी प्रयोजन में प्रयोग नहीं लायेगी।
१०. संस्था को दो वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराना होगा।
११. संस्था को भूमि अन्तरण करने, किराये पर देने अथवा बेचने का अधिकार नहीं होगा।
१२. आच्छादित क्षेत्रफल अधिक से अधिक ५० प्रतिशत होगा तथा एफ०ए०आर० ०.७५ से अधिक नहीं होगा।
१३. आवंटित भूमि की सीमा पर कोई भी निर्माण (स्थायी/अस्थायी)की अनुमानित नही दी जायेगी।
१४. कोई भी निर्माण की स्वीकृति परिषद के नियत प्राधिकारी से नियमानुकूल प्राप्त करनी होगी।  
परिषद की दिनांक २८.३.८० की बैठक के संकल्प सं०-११/२०/८० द्वारा इस प्रतिबन्ध से स्वीकृत कि।
१५. १०० एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली भूमि में धार्मिक संस्थाओं या स्थानों को देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जायेगा।
१६. प्रस्ताव में निहित गाइड लाइन्स के आधार पर भूमि प्रदिष्ट किये जाने के संबंध में गुण-दोष के आधार पर प्रत्येक मामले पर विचार कर निर्णय लेने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की एक उप समिति बनाई गयी:-

१-श्री जे०पी० दुवे

२-श्री राम औतार दीक्षित

३-श्री कमल पाण्डे

परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करने की अनुमति प्रदान की।

11/(12)/80

परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करने की अनुमति प्रदान की।

51

नए भूमि विकास एवं परियोजना सं-2, नए।

11/(13)/80

परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करने की अनुमति प्रदान की।

परिषद अधिनियम की रा 28, 29 के अन्तर्गत पंक्तियों की सुनुवाई हेतु योजना समितियों का गठन।

11/(14)/80

परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त विधिक राय लेने के उपरान्त प्रस्ताव पुनः रखने के निदेश दिये।

मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग गृह निर्माण के अन्तर्गत मकान बनाने हेतु व्यक्तिगत आवेदकों को ऋण वितरण हेतु वर्ष-1973-74 में शासन से परिषद को प्राप्त ऋण के अवशेष पर ध्यान आवेदकों से लिए जाने वाले व्याज का निर्धारण।

11/(15)/80

परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण के अन्तर्गत मकान बनाने हेतु व्यक्तिगत आवेदकों को ऋण वितरण हेतु वर्ष-1978-79 में शासन से परिषद को प्राप्त ऋण पर आवेदकों से लिये जाने वाले व्याज का निर्धारण।

11/(16)/80

परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण के अन्तर्गत मकान बनाने हेतु व्यक्तिगत आवेदकों को ऋण वितरण हेतु वर्ष-1978-79 में शासन से परिषद को प्राप्त ऋण पर आवेदकों से लिये जाने वाले व्याज का निर्धारण।

11/(17)/80

परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

परिषद द्वारा निर्धारित मध्यम आय वर्ग/अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण हेतु आवेदन पत्र के अनुलम्बक-3 प्रारूप का प्राकृतन (तखमीनी) नोट का संशोधन।

11/(18)/80

परिषद ने प्रस्तावित नोट को इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की कि अल्प आय वर्ग रेट 35 से 45 रुपये प्रति वर्ग फुट होना चाहिए।

परिषद कर्मचारियों तथा परिषद प्रतिनिधियों पर आय कर कर्मचारियों को परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत प्रदिष्ट सम्पत्ति के मूल्य बढ़ना दो वर्ष की सेवा अवधि के लिए 10% की कट दिया जाना।

11/(19)/80

परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

परिषद योजनाओं में धार्मिक धान स्थापना के लिये भूमि का अधिदान।

11/(20)/80

परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद की योजनाओं में धार्मिक संस्थाओं के भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में गाइड लाइन एवं शर्तों की प्रति प्रदान की तथा निम्नलिखित निर्देश दिये: - 1-100 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली भूमि में धार्मिक संस्था या संघों को 405030

Handwritten signature

देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया  
जायेगा।

2- प्रस्ताव में निहित गारुड वास्तु के  
आधार पर भूमि प्रदिष्ट किये जाने के  
सम्बन्ध में भूमि-दोष के आधार पर प्रत्येक  
भूमि पर विचार का निर्णय लेने के लिये  
निम्नलिखित सदस्यों की एक उपसमिति  
बनाई गई:-

- 1- श्री जे०पी०दुवे
- 2- श्री राम औतार दीक्षित
- 3- श्री कमल पाठे

|                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विनियमों में              | 11/(21)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से विधिक वर्गीय<br>कर्मचारियों के प्रस्तावित संशोधित सेवा<br>विनियमों की स्वीकृति प्रदान की।                                                                                                                                                                                                  |
| श्री अनुमति<br>अन्य विषय। | 11/(22)/80 | फ्लाईंग लेफ्टीनेन्ट वार्ड०एम०तोमर को<br>प्रदिष्ट भवन संख्या-सी०-1255 के स्थान<br>पर भवन संख्या-ए०-402 प्रदिष्ट करने<br>के सम्बन्ध में।<br>=====                                                                                                                                                                   |
|                           |            | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव<br>को स्वीकृति प्रदान नहीं की।                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | 11/(23)/80 | निर्माण कार्य की समीक्षा(29-2-80 तक)-<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           |            | परिषद ने निर्माण कार्यों की समीक्षा<br>तथा अधिक से अधिक संख्या में तथ्य प्राप्त<br>के लिये अधिकारियों को बंधाई दी।                                                                                                                                                                                                |
|                           | 11/(24)/80 | नन्दनपुरा झंसी में दो दुकान 4 फ्लैट<br>तथा 1 सामुदायिक केंद्र का निर्माण<br>=====                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |            | परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति<br>से स्वीकार किया।                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | 11/(25)/80 | परिषद मुख्यालय पर जनसूचना केंद्र<br>के भवन का निर्माण।<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           |            | परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति<br>से स्वीकार किया।                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | 11/(26)/80 | तातकटोरा योजना तखनऊ में विद्युत<br>परिषद को सब-स्टेशन हेतु निःशुल्क<br>भूमि देने के सम्बन्ध में।<br>=====                                                                                                                                                                                                         |
|                           |            | परिषद ने विनियोगान्त यह निर्णय<br>लिया कि टिप्पणी में दर्शाये गये कारणों<br>की मद्दे नजर रखते हुये इस विशेष<br>भूमि में भूमि निःशुल्क रक्षित करने<br>की स्वीकृति दी जाती है। यह निर्णय<br>केवल अपवाद स्वरूप ही लिया जा रहा<br>है। इसे <i>precedent</i> नहीं समझा<br>जाये।                                         |
|                           | 11/(27)/80 | दृष्टी तथा हरिप्रोम आश्रम ट्रस्ट द्वारा<br>संयुक्त रूप से संचालित 'ती कास्ट'<br>हॉस्टिंग डिजाइन कम्पटीशन अक्टूबर-<br>1979' द्वारा उ०प्र०आवास एवं विकास<br>परिषद की राम सागर मित्र नगर<br>योजना तखनऊ तथा नन्दनपुरा रोड<br>झंसी में क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय<br>पुरस्कार प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।<br>===== |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

परिषद ने सर्वसम्मति से प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार की प्राप्ति पर परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बाधाई दी एवम् उनके लगन एवं परिश्रम की सराहना की तथा यह निदेश दिये कि एक सामूहिक उत्सव में उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाय जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में कार्य किया।

पुष्टि की गई

अध्यक्ष  
7.6.80

विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हरित-पर्दिका / मनोरंजनात्मक भूमि के अनुरक्षण एवं उपयोग के संबंध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में महायोजना के प्राविधानों के अनुसार भू-विन्यास बनाते समय हरित पर्दिका/मनोरंजनात्मक भूमि छोड़ी गयी। उपरोक्त भूमि पर समय-समय पर हुए अतिक्रमण को हटाने हेतु लॉकडाउन द्वारा गत माहों में प्रभावी कार्यवाही की गयी है। इस कार्यवाही के अंतर्गत अलीगंज योजना, कांपुर रोड योजना में हरित पर्दिका/मनोरंजनात्मक भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया है। उपरोक्त भूमि का कोई उपयोग न होने के कारण तथा पर्यावरण को दृष्टि से उत खाली रखने से समय-समय पर अतिक्रमण होते रहे है। अतिक्रमण हटाये जाने के पश्चात् कुछ समय पश्चात् पुनः अतिक्रमण हो जाता है। अतः पर्यावरण को दृष्टि से हरित-पर्दिका को जो भूमि छोड़ी गयी है उसका अभिप्राय ही अतिक्रमण होने से समाप्त हो जाता है, तथा वातावरण और अधिक दूषित हो जाता है।

2. अतः हरित पर्दिका/मनोरंजनात्मक भूमि का सदुपयोग करने हेतु अतः भूमि पर ऐसे क्रिया-कलापों का विकास किया जाना उचित होगा जो महायोजना के प्राविधानों के अनुरूप हो तथा खुली भूमि का स्वरूप यथावत् रखते हुए विभिन्न मनोरंजनात्मक क्रिया-कलापों हेतु हो। उपरोक्त भूमि का उपयोग बच्चों के क्रीड़ा संयंत्र की स्थापना करने, जल-क्रीड़ा, क्रीड़ा-संकुल, -तरणताल, एम्प्लेजमेंट पार्क, हेल्थ पार्क, थोम पार्क, आउटडोर थियेटर, ओपेन एयर सिनेमा, सांस्कृतिक केन्द्र, योगा केन्द्र, छोटा पुस्तकालय, क्लब-शवन/तामुदायिक केन्द्र, ओपेन एयर रेस्टोरेन्ट एवं क्लब हाउस जो क्रीड़ा स्थल/हरित पर्दिका के अनुरक्षण में सहयोगी हों, एवं विशेष अनुरोध पर प्राणी उद्यान एवं वनस्पति उद्यान के लिए किया जा सकता है। इन स्थलों पर माली एवं चौकीदार के आवास, पम्प हाउस एवं जन-सुविधाओं संबंधी निर्माण जैसे शौचालय आदि का निर्माण अनुमत्त किया जा सकता है। इन स्थलों पर प्रस्तावित योजना के अनुसार अलग-अलग भू-आच्छादन तथा एक.ए.आर. अनुमत्त किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा <sup>क्रमशः</sup> 5x तथा 10x होगी।

3. ल0वि0प्रा0 द्वारा कुर्तो रोड एवं सीतापुर रोड के मध्य लगभग 1650एकड़ भूमि पर अलीगंज एवं सीतापुर रोड आवासीय योजना का विकास किया गया है तथा 4250एकड़ भूमि पर कानपुर रोड एवं रायबरेली रोड शारदा नगर आवासीय योजना का विकास किया गया है। इसी प्रकार ते फेजाबाद मार्ग पर लगभग 5000एकड़ भूमि पर गोमती नगर आवासीय योजना का विकास किया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत अलीगंज योजना के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 33एकड़, कानपुर रोड योजना के अंतर्गत 265एकड़ तथा गोमती नगर योजना में लगभग 417एकड़ भूमि हरित-परिदृष्टका / मनोरंजनात्मक प्रयोग के अंतर्गत प्राविधानित की गयी है।
4. उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार हरित परिदृष्टका / मनोरंजनात्मक प्रयोजन की भूमि को आवंटित करने हेतु शर्त बनायी गयी है जो संलग्न है संलग्नक-1।
- उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है।

हरित-पट्टिका/मनोरंजनात्मक प्रयोजन को भूमि को आवंटित करने हेतु  
शर्तें

§1 § भूमि की स्थिति

प्राधिकरण को अलीगंज, गोमतीनगर तथा कानपुर रोड योजना में हरित-पट्टिका के विकास हेतु भूमि उपलब्ध है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्षेत्रफल

1. अलीगंज योजना . . . . .
2. कानपुर रोड योजना . . . . .
3. गोमती नगर योजना . . . . .

§2 § आवंटन हेतु भूमि का क्षेत्रफल/मात्रा

किसी भी पक्ष को न्यूनतम एक एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी।

§3 § पात्रता

सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/संस्थानों द्वारा - प्राप्त स्थानों एवं सांस्कृतिक संस्थायें भूमि आवंटन हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।

§4 § भूमि का अनुमन्य उपयोग

महायोजना में वर्णित अथवा समकक्ष उपयोग, जैसे:- बच्चों के क्रीड़ा संयंत्र की स्थापना, जल-क्रीड़ा, क्रीड़ा-तंगुल, तरणताल, एम्प्लूमेंट-पार्क, हेल्थ पार्क, थीम पार्क, आउटडोर-थियेटर, ओपेन एयर थियेटर, सांस्कृतिक-केन्द्र, योगा केन्द्र, छोटा पुस्तकालय, क्लब-भवन, सामुदायिक केन्द्र, ओपेन एयर रेस्टो-रेन्ट एवं किओस्क जो क्रीड़ा-स्थल/हरित-पट्टिका के अनुरक्षण हेतु सहायक क्रिया-कलाप के रूप में हों, विशेष अनुरोध पर प्राणी उद्यान एवं वनस्पति उद्यान। इन स्थलों पर माली एवं चौकीदार के आवास के साथ-साथ जन-

-सुविधाओं सम्बन्धी निर्माण जैसे: शौचालय आदि अनुमत्या किये जा सकते हैं।

१५१ भूमि के आवंटन की अवधि

भूमि अनुज्ञा/पट्टे पर 10 वर्षों की अवधि हेतु आवंटित की जाएगी। अनुज्ञाधारक/पट्टाधारक के अनुरोध पर सफलता-पूर्वक भूमि का विकास/अनुरक्षण करने पर तथा प्राधिकरण के संतुष्ट होने पर द्वितीय वृद्धि 10 वर्षों की अवधि हेतु 25% अनुज्ञा फीस/पट्टा शुल्क की वृद्धि के साथ दिया जा सकता है तथा अन्तिम बार तृतीय वृद्धि 10 वर्षों हेतु द्वितीय वृद्धि हेतु देय अनुज्ञा फीस/पट्टा शुल्क का 25% धनराशि लेकर प्रदान की जा सकती है, किन्तु अनुज्ञा/पट्टे की कुल अवधि 30 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

समयावधि की वृद्धि हेतु समय समाप्त होने से 3 माह पूर्व आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

१६१ अनुज्ञा/पट्टा की दर

सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/निम्नलिखित संस्थाओं को अनुज्ञा पर दिये जाने हेतु दरें निम्नवत् होंगी:-

१अ१ अनुज्ञा

१क१ योगा केन्द्र, तरण-ताल एवं क्रोडा-संकुल, प्राणी एवं वनस्पति उद्यान एवं छोटा पुस्तकालय, 5000/- प्रति एकड़-प्रति वर्ष।

१ख१ अन्य क्रिया-कलापों हेतु, जैसे: आउटडोर थियेटर, ओपेन एयर सिनेमा, सांस्कृतिक केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र हेतु ₹ 10,000/- प्रति एकड़ प्रति वर्ष।

१ब१ पट्टा

रम्य-क्षेत्रों वाले हेतु भूमि लीज पर आफर के आधार पर -

१ग मश:पेज-३, पार१. ....

-द्वारा प्राप्त सन्ध्याओं को 30 वर्षों की अवधि हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।

१७१ भूमि का आवंटन

अनुज्ञा/लीज पर जिसे निर्मित भूमि दी जाएगी, उसका उल्लेख करने पर अनुज्ञा/पट्टा एक माह की नोटिस पर उपाध्यक्ष, लॉक्वॉटो द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

१८१ आवेदन

आवेदन कार्या को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र पर आर्षोदत्त करना होगा। आवेदन पुस्तिका रू० ..... के भुगतान पर जन-सम्पर्क कार्यालय, लॉक्वॉटो से दिनोंक ..... से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तिका प्राप्त करने की अन्तिम तिथि ..... होगी तथा आवेदन-पत्र पूर्ण करके निर्धारित तिथि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

१९१ अनुज्ञा/पट्टे की फीस का भुगतान

5 वर्षों हेतु वॉरिंखित अनुज्ञा/पट्टे की फीस का भुगतान आवंटन-पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर करना होगा। यदि यह धनराशि प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा तथा आवेदन शुल्क जमा कर लिया जाएगा। शेष धनराशि अनुबन्ध से पूर्व जमा करना होगा।

११०१ अनुबन्ध/लीजडॉड का निष्पादन

अनुज्ञा/पट्टे की फीस का भुगतान हो जाने के उपरान्त 30 दिनों की अवधि के अन्दर अनुबन्ध/लीजडॉड का निष्पादन पक्ष को करना होगा। अनुबन्ध/लीजडॉड का न कराने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया

-जाएगा तथा आवेदन शुल्क जस्त करके अनुज्ञा/पट्टा की फीस की धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। अनुबन्ध/लीज़डोड के भुगतान हेतु समस्त व्यय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

### ४११४ भूमि का कब्जा

अनुबन्ध/लीज़डोड निष्पादित करने की तिथि से 30 दिन की अवधि में कब्जा प्राप्त करना होगा, यदि पक्ष द्वारा कब्जा 30 दिन के अन्दर नहीं लिया जाता है, तो अनुबन्ध/लीज़डोड निष्पादन की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने की अगली तिथि को कब्जा की तिथि मान ली जाएगी।

### ४१२४ स्थल का विकास

स्थल का विकास/अनुरक्षण कार्य कब्जा लेने की तिथि से 90 दिन के अन्दर आरम्भ कर दिया जाएगा तथा 2 वर्षों में स्थल पूर्णतः विकसित कर दिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि में विकास कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जस्त कर ली जाएगी।

### ४१३४ अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता

विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल तक पहुँच-मार्ग तथा केवल एल. डब्ल्यू. ड्रेन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। शेष वर्णित अवस्थापना सुविधाएँ पक्ष को स्वयं अपने व्यय पर करनी होंगी।

### ४१४४ आफर स्वीकृत करने का अधिकार

किसी भी आफर को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार उपाध्यक्ष, त्रिवेण्टी को होगा। उपाध्यक्ष-

-को कितनी भी आफर को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

§15§ विवाद को दशा में

कितनी भी विवाद को दशा में उपाध्यक्ष, लॉक्प्रॉड का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

§16§ वाद का क्षेत्र

कितनी भी वाद को दशा में कार्यक्षेत्र लखनऊ होगा।

§17§ शर्तों में संशोधन/  
परि रक्तिन/परि रवर्धन

शर्तों में संशोधन/परि रक्तिन/परि रवर्धन का अधिकार उपाध्यक्ष, लॉक्प्रॉड में निहित है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनागत हरित-पट्टिका/मनोरंजनात्मक भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र  
 =====

1. आवेदक का नाम . . . . .
2. संस्था का नाम . . . . .  
 . . . . .
3. संस्था का पता . . . . .  
 . . . . .
4. संस्था की पंजीयन संख्या . . . . .  
 रूप्रमाण-पत्र की प्रति सहित § . . . . .
5. संस्था के एम.ओ.डी. की प्रात . . . . .  
 . . . . .
6. योजना का नाम, जिसमें भूमि . . . . .  
 वर्णित है:- . . . . .
7. भूमि की मात्रा/क्षेत्रफल . . . . .  
 . . . . .
8. भूमि किस प्रयोजन हेतु आवेदित . . . . .  
 है:- . . . . .
9. अनुज्ञा/पट्टे की वर्णित अवधि . . . . .  
 . . . . .
10. पंजीकरण धनराशि . . . . .  
 बैंक-ड्राफ्ट नम्बर सहित § . . . . .  
 . . . . .
11. अनुभव सम्बन्धी विवरण जो . . . . .  
 संस्था स्वेच्छा से वर्णित करना . . . . .  
 चाहे:- . . . . .

विषय प्राधिकरण की योजनाओं में सफाई एवं अनुक्षण व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्ताव।

प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाएं जो नगर निगम को अब तक हस्तान्तरित नहीं हो सकी है एवं आवंटियों ने रहना प्रारम्भ कर दिया है उनके क्षेत्र की आवश्यकता एवं आवंटियों के अनुरोध पर अनुक्षण का कार्य जैसे सड़क, पार्क, सीवर, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट का अनुक्षण एवं नियमित सफाई एवं कूड़े, मलवे को हटाने का कार्य प्राधिकरण द्वारा करवा जा रहा/प्रस्तावित है। वर्तमान में अनुक्षण पर व्यय होने वाली घनराशि की वसूली का कोई प्राधिकरण नहीं है। प्राधिकरण बोर्ड की गत बैठक दिनांक 06.12.96 को विषय पर चर्चा हुई थी एवं इस व्यय को ठेकेदार के माध्यम से आवंटियों से वसूले जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत् है।

"प्रस्तुत प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया। उपस्थित, लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पर विचार कर लें कि सरचार्ज की वसूली प्राधिकरण द्वारा सीधे की जायेगी या ठेकेदार के माध्यम से। चर्चा के दौरान इस बिन्दु पर जोर दिया गया कि ठेकेदार से वसूली करई जाये और ठेकेदार को देय घनराशि का समायोजन इस प्रकार वसूली जाने वाली घनराशि को काट कर किया जाये ताकि प्राधिकरण पर वित्तीय भार न पड़े। इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप-रेखा बनाकर आग्रिम कार्यवाही की जाये।"

गोमती नगर योजना में वर्ष 96-97 में हुए व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :

|    |                                                  |                 |
|----|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | विद्युत विलो एवं स्ट्रीट लाइट के अनुक्षण पर व्यय | ₹0 - 30.27 लाख  |
| 2. | जलापूर्ति एवं अनुक्षण पर व्यय                    | ₹0 - 69.18 लाख  |
| 3. | सड़क, पार्क एवं सीवर के अनुक्षण पर व्यय          | ₹0 - 87.50 लाख  |
| 4. | वर्तमान सफाई में सम्मिलित सेक्टर की सफाई पर व्यय | ₹0 - 26.60 लाख  |
|    |                                                  | -----           |
|    |                                                  | ₹0 - 213.55 लाख |
|    |                                                  | -----           |

चूंकि अब अधिकांश सड़क, पार्क, सीवर इत्यादि के अपूरे कार्य लगभग पूर्ण हो गये हैं, अतः अनुक्षण पर निम्न व्यय प्रतिवर्ष सम्भावित है :-

|    |                                                  |                 |
|----|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | विद्युत विलो एवं स्ट्रीट लाइट के अनुक्षण पर व्यय | ₹0 - 30.27 लाख  |
| 2. | जलापूर्ति एवं अनुक्षण पर व्यय                    | ₹0 - 69.18 लाख  |
| 3. | सड़क, पार्क एवं सीवर के अनुक्षण पर व्यय          | ₹0 - 35.00 लाख  |
| 4. | वर्तमान सफाई में सम्मिलित सेक्टर की सफाई पर व्यय | ₹0 - 58.99 लाख  |
|    |                                                  | -----           |
|    |                                                  | ₹0 - 193.44 लाख |
|    |                                                  | -----           |

सफाई व्यवस्था के कार्य के अन्तर्गत विकसित खण्डों में कूड़ा/मलबा हटाने का कार्य भी कराया जा रहा है, किन्तु हटाये जाने वाला कूड़ा/मलबा गोमती नगर योजना के भरसई वाले क्षेत्र जैसे- पार्क, भूखण्ड इत्यादि में भरा जाता है। फलस्वरूप कूड़े/मलबे के डिस्पोजल पर होने वाला व्यय योजना के खर्च में समायोजित हो जायेगा। अतः इसे आवंटियों से वसूला जाना प्रस्तावित नहीं है।

इस प्रकार यदि अवासीय भवनों के आवंटियों से उनके भूखण्ड के क्षेत्रफल का रूपया 1.00 प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष, व्यवसायिक भूखण्डों पर 2.00 रूपया प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष एवं स्कूल/इंस्टीट्यूशनल इत्यादि भूखण्डों के आवंटियों से 0.50 पैसे प्रति वर्ग फिट वसूला जाये तो गोमती नगर योजना के आवंटियों से निम्नवत् वसूली सम्भावित है :-

|    |                                                   |     |            |
|----|---------------------------------------------------|-----|------------|
| 1. | आवासीय भूखण्डों से सम्भावित वसूली                 | रु० | 198.68 लाख |
| 2. | व्यवसायिक/स्कूल/इंस्टीट्यूशनल इत्यादि भूखण्डों से | रु० | 1.40 लाख   |
|    |                                                   | रु० | 200.08 लाख |

उपरोक्त वसूली का वर्तमान में प्राधिकरण को कोई अधिकार शासन द्वारा प्रदत्त नहीं है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं में जिन्हें नगर निगम लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं किया गया है, हस्तान्तरित होने तक क्रमशः आवासीय भूखण्डों के आवंटियों से प्रति वर्ष भूखण्ड के क्षेत्रफल का रूपया 1.00 प्रति वर्ग फिट, व्यवसायिक भूखण्डों से रूपया 2.00 प्रति वर्ग फिट, स्कूल/इंस्टीट्यूशनल भूखण्डों से रूपया 0.50 प्रति वर्ग फिट क्रमशः त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक व वार्षिक वसूले जाने का प्रस्ताव एवं वसूली को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वार्षिक भुगतान एक मुश्त किये जाने पर 5 प्रतिशत छूट, अर्द्धवार्षिक किये जाने पर 2 प्रतिशत तथा त्रैमासिक किये जाने पर छूट न दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित करने तथा तदोपरान्त शासन से स्वीकृति किये जाने हेतु प्रस्तुत है। प्रस्ताव शासन से अनुमोदित हो जाने पर वसूली ठेकेदार के माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

वर्तमान में गोमती नगर योजना के विकसित खण्ड, विश्वास खण्ड, विजय खण्ड, विराम खण्ड-1, विशाल खण्ड-2 एवं पत्रकारपुरम में सफाई का कार्य प्राधिकरण द्वारा मेसर्स प्रभू कंस्ट्रक्शन के माध्यम से कराया जा रहा है किन्तु गोमती नगर योजना के अवशेष आवादी वाले खण्डों में रह रहे आवंटियों द्वारा गोमती नगर जल कल्याण <sup>निर्माण</sup> मासमिति के माध्यम से उनके खण्डों में भी तत्काल सफाई व्यवस्था लागू किये जाने हेतु धरना/प्रदर्शन किया जा रहा है। अतः अवशेष आवादी वाले खण्डों में भी सफाई व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

विचारणीय बिन्दु :

1. गोमती नगर योजना के विवेक सण्ड, विश्वास सण्ड, विजय सण्ड, विशाल सण्ड-2, विरम सण्ड-1 एवं पत्रकारपुरम में जहाँ प्राधिकरण अन्य अनुदान कार्यों के साथ-साथ नियमित सफाई व्यवस्था भी करा रहा है, में रह रहे आवंटियों से अनुदान पर होने वाले व्यय की उपरोक्त निर्धारित दरों पर वसूली की अनुमति ।
2. उपरोक्त सण्डों में वर्तमान रिक्त भवनों/भूखण्डों में भाविय में जो आवंटि रहना प्रारम्भ करेंगे उनसे भी उपरोक्त निर्धारित दरों पर वसूली की अनुमति ।
3. गोमती नगर योजना के उपरोक्त क्रम संख्या-1 में सम्मिलित सण्डों के अतिरिक्त भी जहाँ पर आवंटियों ने रहना प्रसंग कर दिया है अथवा भूखण्ड का उपयोग किसी व्यवसाय/स्कूल/कार्यालय इत्यादि के लिये हो रहा है, उनमें अनुदान के अन्य कार्यों के साथ-साथ सफाई व्यवस्था कराये जाने तथा उपरोक्त निर्धारित दरों पर वसूली की अनुमति ।
4. प्राधिकरण द्वारा विकसित सीतापुर रोड योजना, कानपुर रोड योजना एवं शहर की अन्य योजनायें जो अब तक किसी कारणवश नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हो सकी हैं, में भी उपरोक्त सफाई सहित अनुदान व्यवस्था कराये जाने एवं उपरोक्त निर्धारित दरों पर वसूली की अनुमति ।
5. गोमती नगर योजना में अवशेष आवादी वाले सण्डों में आवंटियों के लगातार धरना, प्रदर्शन एवं मांग के आधार पर तत्काल सफाई व्यवस्था लागू किये जाने की अनुमति ।

RP  
18/2/8  
E-E-1

Am  
13/1/98  
A-E

DETAILS OF MAINTENANCE OF VIVEK, VISHWAS, VIRAM, VINAY, VIKAS,  
VIJAY & VISHAL KHAND, GOMTI NAGAR

| [A] <u>Expenditure</u>                        | Actual in 96-97<br>In Lacs | Proposed<br>In Lacs |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                                               | -----                      | -----               |
| [1] Electric bills and Electrical Maintenance | 30.27                      | 30.27               |
| [2] Water supply and Maintenance              | 69.18                      | 69.18               |
| [3] Maintenance of roads, parks sewer line    | 87.50                      | 35.00               |
| [4] Sweeping charges                          | 26.60                      | 58.99               |
| Total                                         | 213.55 Lacs                | 193.44 Lacs         |
|                                               | -----                      | -----               |

Note :

- 1- वर्ष 1996-97 में सफाई कुछ ही सेक्टरों में करई गई है। प्रस्तावित व्यय में गोमती नगर के समस्त विकसित राण्डों में सफाई का प्रावधान है।
- 2- प्रस्तावित व्यय में सड़क, पार्क एवं सीवर लाईन के अनुक्षण व्यय को ₹0 35.00 लाख तक सीमित रखा जाना प्रस्तावित है।

[B] Expected Recovery

|                                                                                                                              |     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| [i] <u>Residential</u> Occupied area in 7 sectors 18,46,489.30 Sqm.<br>or 1,98,68,224.80 Sq.Ft. @ Rs. 1/- sq.ft.<br>per year | Rs. | 198.68      |
| [ii] Commercial/School/Office etc. L.S.                                                                                      | Rs. | 1.40        |
| Recovery Total                                                                                                               | Rs. | 200.08 Lacs |
|                                                                                                                              |     | -----       |

Note : Charges will be recovered as per actual area of the plot.

*AS*  
13/1/98  
AS

*RPB*  
18/1/98  
EE-1

विषय: दण्ड व्याज एवं परिवर्तन शुल्क मफ किये जाने से सम्बन्धित,

उपरोक्त विषय प्राधिकरण की बैठक दि030-8-97 में विषय सं017 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

"प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की पूर्व बैठक दि0 9, नवम्बर, 1995 के अन्य प्रस्ताव के विन्दु 3 के अन्तर्गत "सेवारत या सेवानिवृत्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व केन्द्र व राज्य सरकार के निगमों व प्राधिकरणों के अधिकारियों, कर्मचारियों को आवंटित संपत्ति के परिवर्तन शुल्क ₹035,000.00 तक मफ किये जाने के अधिकार, उपपक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रदान किये गये हैं। अब इस सुविधा का लाभ, उपपक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जन सामान्य के परिवर्तन शुल्क मफ किये जाने के प्रकरणों में भी अपने विवेक से उचित सीमा तक गुण-अवगुण का परीक्षण कर प्रदान किया जा सकेगा। सशर्त अन्य विन्दुओं का विश्लेषण कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करने हेतु एक उप समिति का भी गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
  11. अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
  111. कास्ट एकाउन्टेन्ट-एवं-इकोनामिक प्लानर (संयोजक), "
2. उपरोक्त समिति द्वारा इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। उप समिति की संस्तुतियाँ निम्नवत् हैं :

क: दण्ड व्याज

विभिन्न योजनाओं में विकास कार्य समय के अन्दर न किये जाने के कारण आवंटियों द्वारा निर्धारित तिथियों तक देय धनराशि जमा नहीं की जाती है। कभी कभी भवन/मूखण्ड विवादित होने के कारण निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में 16 प्रतिशत वार्षिक की दर से दंड व्याज लिया जाता है। इसी प्रकार जितने आवंटियों को किराया क्रय पदाति पर भवन आवंटित किये जाते हैं और अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् यदि निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है तो 16 प्रतिशत वार्षिक की दर से दंड व्याज लिया जाता है। यह व्याज लिये जाने का औचित्य यह है कि आवंटियों द्वारा निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा न किये जाने के कारण हड़को अथवा द्वितीय संस्थाओं को समय के अन्दर मूलधन तथा व्याज की धनराशि का भुगतान करना पड़ता है जिसके लिये या तो बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेना पड़ता है अथवा अन्य श्रेणी की आय का उपरोक्त करना पड़ता है। वर्तमान में उपपक्ष को देय दंड व्याज का 50 प्रतिशत गुण अवगुण के आधार पर मफ करने का अधिकार प्रविधानित है। अतः यह अधिकार यथावर्त रखा जाय। जने वाले दंड व्याज की अधिकतम सीमा ₹050,000/-


जिन आवासीय /व्यवसायिक संपत्तियों का मूल्य फ्रीज कर दिया गया हो तो ऐसी संपत्तियों के आवंटन में निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा न करने पर जो दंड व्याज लगाया जायेगा वह संपत्ति के मूल्य का जोड़कर, संपत्ति के मूल्य से 110प्रतिशत से अधिक न होगा साथही इसकी अधिकतम समय सीमा 6 माह तक रहेगी । 6माह के पश्चात् आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा । यदि आवंटन निरस्त नहीं किया जाता है तो 6 माह के पश्चात् निर्धारित दर से पूरा दंड व्याज देय होगा ।


**सः परिवर्तन शुल्क**


1. यदि किसी व्यक्ति को भवन/भूखण्ड आवंटित हो जाता है और उसके पश्चात् यदि परिवर्तन किया जाता है तो पंजीकृत भवन/भूखण्ड से एक उच्च श्रेणी हेतु ही भवन/भूखण्ड का परिवर्तन किया जायेगा । जिस भवन / भूखण्ड के नम्बर में परिवर्तन होना है, उसका नम्बर उस आवंटि को सूचित किया जायेगा और भेजे जाने वाले पत्र में यह स्पष्ट किया जायेगा कि उपरोक्त नम्बर का परिवर्तन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर ही मान्य होगा । साथही उपरोक्त पत्र में उल्लेख किया जायेगा कि आवंटित संपत्ति की कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि उपरोक्त अवधि में जमा होने पर ही परिवर्तन किया जायेगा । यदि उपरोक्त अवधि में सहगत तथा 50 प्रतिशत धनराशि प्राप्त नहीं होती है तो दिया गया प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।

उपरोक्त परिवर्तन की पद्धति "कैश सेल" के अन्तर्गत आवंटित होने वाली संपत्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी ।

11. परिवर्तन शुल्क अधिकतम ₹035,000.00 तक गुण अवगुण के आधार पर माफ करने का अधिकार उपध्यक्ष को यथावत् रखा जाये ।

  
§ कै० वी० सक्सेना §  
लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता

  
§ भूपेन्द्र सिंह §  
अपर सचिव

  
§ आर० एन० सिंह §  
सचिव

विषय: मे0 सहारा डीडिया लि0 को अपेलो अस्पताल के निर्माण हेतु गोमती नगर योजना  
भूमि के आवंटन से सम्बंधित,

वर्ष 1989 में गोमती नगर योजना में नेहरू ऊर्जा योजना के समीप 10 एकड़  
भूमि अपेलो अस्पताल के निर्माण हेतु मे0 के0 सन्स लसनऊ को आवंटित करने का निर्णय  
प्राधिकरण {बोर्ड} द्वारा लिया गया था। उसके पश्चात् शासन द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई  
थी, परन्तु मे0 के0 सन्स द्वारा निर्धारित धनराशि जमा न किये जाने के कारण प्रस्ताव वर्ष  
1992 में निरस्त कर दिया गया।

2. मह प्रवर्षी, 96 में तत्कालीन प्रमुख सचिव, आवास के स्तर पर एक बैठक हुई  
थी जिसमें अपेलो अस्पताल के निर्माण के लिये 10 एकड़ भूमि, गोमती नगर योजना के  
भूमिगत सण्ड {टाउन सेन्टर} में दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया था। इसके साथही सर्वोच्च  
हार्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च सेन्टर तथा यू0पी0 हार्ट केयर फाउन्डेशन के लिये 5-5 एकड़ भूमि  
उपरोक्त सण्ड में ही दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया था। चूंकि उपरोक्त टाउन सेन्टर की  
भूमि व्यवसायिक है, अतः तत्कालीन प्रमुख सचिव आवास द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था  
कि उपरोक्त संस्थाओं को उपरोक्तानुसार जो भूमि दी जानी है, उसके साक्ष्य भूमि गोमती  
नगर योजना के किसी अन्य सेक्टर/सेक्टर्स में व्यवसायिक परिवर्तित कर दी जायें। तदनुसार  
विषय प्राधिकरण की बैठक दि0 23.2.96 में विषय सं04 के अन्तर्गत रखा गया था। बोर्ड  
की उपरोक्त बैठक में रखा गया विषय तथा लिये गये निर्णय की प्रतिलिपि संलग्न है  
{संलग्नक-1 तथा 2}। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि  
उपरोक्त भूमि के बदले विराज सण्ड के लिये भू-उपयोग संस्थागत से व्यवसायिक में परिवर्तित  
कर दी जायें।

3. प्रमुख सचिव आवास, उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र दि012.3.96 {संलग्नक-3}  
द्वारा मे0 के0 सन्स लसनऊ को गोमती नगर योजना के भूमिगत सण्ड {टाउन सेन्टर} में 10  
एकड़ भूमि आवासीय दर की 50प्रतिशत दर पर देने हेतु निर्णय सूचित किया। शासन का  
उपरोक्त पत्र प्राप्त होने के पश्चात् मे0 के0 सन्स को भूमि के आवंटन का प्रस्ताव भेजा गया,  
परन्तु उनके द्वारा निर्धारित तिथि तक वांछित धनराशि जमा नहीं की गई, जिसके कारण आवंटन  
का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। अतः अब अपेलो अस्पताल के निर्माण हेतु 10 एकड़  
भूमि मे0 सहारा डीडिया लि0, मे0 के0 सन्स के स्थान पर लेना चाहती है। इस सम्बन्ध में  
उपरोक्त कं0 के पत्र सं0एस0आई0/एम0एम0आर0सी0/97 दि024.11.97 की प्रतिलिपि संलग्न है  
{संलग्नक-4}। उपरोक्त संस्था लसनऊ में अपेलो अस्पताल का निर्माण करना चाहती है।  
यह अस्पताल 300 बेड्स का आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त होगा। मे0 सहारा डीडिया  
लि0 ने अपेलो ग्रुप से MOU पहले ही निर्धारित कर लिया है जो दि019.4.97 को  
निष्पन्न किया गया था, जिसकी क्रम सं013 में यह अंकित है कि यह MOU प्रस्ताव की

contd. . . . .

तिथि से 90 दिनों तक प्रभावी होगा, जब तक दोनों पार्टियों द्वारा परस्पर निर्णय लेकर इसको बढ़ा न दिया जायें। IHC अपेला ग्रुप द्वारा MOU की वैधता दि031.1.98 तक बढ़ दी गई है। उपरोक्त MOU की <sup>(A-11)</sup> बढ़ई गई वैधता की प्रतियाँ संलग्न हैं संलग्नक- व 6। शासन ने अपने पत्र सं0277818/9-आ-1-96 दि04.4.96 संलग्नक- द्वारा अपेला अस्पताल के निर्माण हेतु आवंटन के प्रस्ताव में निम्न शर्तें रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की थी :

1. ल0वि0प्र0 के वर्तमान अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके आश्रितों तथा प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके आश्रितों पर वाह्य रोगी चिकित्सा सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को अपेला अस्पताल में भर्ती और परीक्षण में प्रथमिकता प्रदान की जायेगी तथा परामर्श, परीक्षण, चिकित्सा एवं अस्पताल को भुगतान की जाने वाली धनराशि में 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जायेगी।
11. जिस क्षेत्र में भूखण्ड उपलब्ध है, वहाँ के लिये वर्तमान प्रचलित भू-आच्छादन तथा एफ0ए0आर0 नियमों के अनुसार विकास प्राधिकरण भू-आच्छादन तथा एफ0ए0आर0 की व्यवस्था अनुमोदित करेंगे। कार्यालय के वजह कार्यालय उपयोग के लिये जो भू-आच्छादन तथा एफ0ए0आर0 उस क्षेत्र के लिये स्वीकृत है, वह अस्पताल के लिये भी स्वीकृत किये जायेंगे।
4. इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि मे0 के0 सन्स को गोगली नगर योजना के विमूक्ति सण्ड में जिस स्थान पर 10 एकड़ भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई थी, उसमें से 7.5 एकड़ भूमि पुलिस भवन के निर्माण हेतु पुलिस विभाग को आवंटन हेतु प्रस्तावित की जा चुकी है। उपरोक्त भूमि की धनराशि के भुगतान का कॉम्प्लैट शासन स्तर पर हो चुका है। अतः अब मे0 सहारा इंडिया लि0 को अपेला अस्पताल के निर्माण हेतु 10 एकड़ भूमि उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के निकट ही उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसके लिये मे0 सहारा इंडिया लि0 सहमत है। मे0 सहारा इंडिया लि0 को अपेला अस्पताल के निर्माण हेतु 10 एकड़ भूमि शासन के पत्र 12.3.96 तथा दि04.4.96 में अंकित निर्देशों के अन्तर्गत आवंटित करने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं01034/प्र0अपे0/गी0ए0/97 दि06.12.97 द्वारा शासन को संदर्भित किया गया है तथा स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः उपरोक्त विषय प्राधिकरण के निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

-----  
[Handwritten signature and initials]

विषय संख्या: 4

1:- गोमती नगर योजना के टाउन सेक्टर 1 विभाजित संद 1 में प्रस्तावित संख्यागत भू-उपयोग के यदते विभाजित संद जिरफा भू-उपयोग संख्यागत के में से 50 एकड़ भूमि टाउन सेक्टर में पोरवांरत किये जाने के संबंध में।

अपीली हांरपटल एकां हांरपटल एवं यू० पी० हाट पं०३-देशन से-टर को गोमती नगर योजना में भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव संघन आरवा के कक्ष में विनॉफि० 20-02-76 को आरवा तथा प्रांफकण के अधिवांरगी के साथ विचार हुआ।

अपीली हांरपटल को आरवाीय दर की आधी दर पर भूमि देने का विचार मुख्य संघन की आरवाता में पढते ही कई जों में विचार जा मुक था तथा इसकी सूचना प्रांफकण द्वारा अपीली हांरपटल को दे दी गयी थी। इस हेतु जिरा स्यात के आरंठन का प्रस्ताव किया गया था वह विवांरत होने के कारण नहीं दिया जा सका तथा प्रकरण तंभित चतता रहा। तथा उक्त संख्या ने कोई धनसांश भी जमा नहीं की।

उपरोक्त संख्याको द्वारा गोमती नगर के टाउन सेक्टर में भूमि उपलब्ध कराने का आर-वार अनुरोध उस आधार पर किया जा रहा है कि टाउन सेक्टर की भूमि का स्यात अधिक उपयुक्त है। उपरोक्त संख्याकी को सांठ टाउन सेक्टर में भूमि किये जाने का विचार दिया जाता है जो उक्तकी भूमि टाउन सेक्टर की जयत पोरवांरत करनी होगी सांफ प्रांफकण को अधिक शक्ति न उठानी पड़े।

भूमि उक्त संख्याकी सांठिय रखात की है और उनके यदत आने से प्रदेश का तामन उ-की जनना को प्रदेश से बाहर हाट तथा अन्य गांरगी जीवांरगी के किये नहीं जाना पड़ेगा जिससे धन व समय दोनों की बचत होगी।

अतः यह विचार किया गया कि इन संख्याकी को टाउन सेक्टर में विभिन्न प्रकार भूमि उपलब्ध करायी जाय:-

|    |                          |         |
|----|--------------------------|---------|
| 1. | अपीली                    | 10 एकड़ |
| 2. | सकर्ट                    | 5 एकड़  |
| 3. | यू०पी०हाट पं०३-देशन सेटर | 5 एकड़  |

इसके आंठारवा विहित सांठिय हांरपटल आरवा के लिए 2-5 एकड़ भूमि विंथन स्यात में दिया जाना प्रस्तावित है। यह भूमि भी आरवाीय है।

टाउन सेक्टर में पूर्ण में अन्य आरवा का सांठिय हांरपटल के लिए 20 एकड़ भूमि आरवाीय दर की आधी दर पर दी जा कती है।

अतः उपरोक्त के बदले गोमती नगर के विसज संड जिसका भू-उपयोग वर्तमान  
हायोजना में संस्थागत है तथा इयकी वर आवासीय वर की आणी है, में से 50 पकव भूमि  
व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित कर दी जाय।

अभी तक टाउन रोडर जो व्यवसायिक है पक ही स्थान पर पेट्रीत है। यदि इसका  
यूज भाग विसज संड में परिवर्तित हो जाता है तो योजना के लिए लागवकी होगी। यहाँ यह  
उल्लेखनीय है कि 60 मीटर चौड़ी विंग रोड विसज संड के नजद से जायेगी जिस पर मंडी  
पोरपद वर गोमती नदी पर शहीद सेतु का निर्माण करवा जायेगा और यह सड़क मुत्तानपुर  
रोड को जोड़ेगी।

उपरोक्त पोरपेक्ष्य में निम्न प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित हैं:-


- 1. विसज संड जिसका भू-उपयोग संस्थागत है में से 50 पकव भूमि  
व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित कर दी जाय।
- 2. टाउन रोडर में उपरोक्त संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि का भू-उपयोग  
संस्थागत कर दिया जाय।
- 3. विद्यता समितीज कायदा को विपन संड में दी जाने वाली 2.5 पकव  
भूमि का भू-उपयोग आवासीय कर दिया जाय।

उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत होने पर शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा।

संसदके विभाग प्रोत्थरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 1996  
का कार्यपत्र

उपस्थिति:

|     |                       |                                                        |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | श्री अरवि प्रताप सिंह | प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग।            |
| 2.  | श्री नरेश दयाल        | आयुक्त, संसदके मण्डल एवं आवास, संसदके विकास प्रोत्थरण। |
| 3.  | श्री गंगादीन यादव     | उपायुक्त, संसदके विकास प्रोत्थरण, संसदके।              |
| 4.  | श्री प्रदीप गुप्ता    | जि.सो.सचिव, संसदके।                                    |
| 5.  | श्री संजय अग्रवाल     | मुख्य नगर अधिकारी, नगर विभाग, संसदके।                  |
| 6.  | श्री विजय बहादुर सिंह | संयुक्त सचिव, उ.प्र. शासन सित विभाग।                   |
| 7.  | श्री हरे कृष्ण शर्मा  | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश, संसदके।       |
| 8.  | श्री बी.एस. माथुर     | मुख्य अभियन्ता इ.म.प. क्षेत्र 8, उत्तर प्रदेश जलविभाग। |
| 9.  | श्री मुन्शीपर         | अपर निदेशक, उद्योग विभाग, संसदके।                      |
| 10. | श्री यशवीर सिंह चौहान | अपर आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास विकास परिषद।              |
| 11. | श्री सुयोग शंकर       | संसदके सार्वजनिक नियोजक, उ.प्र. आवास विकास परिषद।      |
| 12. | श्री एम.ए.ए. मान      | सचिव, संसदके विकास प्रोत्थरण।                          |



निर्णय गीर्वाणः। संसदके विभाग प्रोत्थरण की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 1995 के कार्यपत्र का पूर्णतः।

निर्णयः संसदके विभाग प्रोत्थरण की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 1995 के कार्यपत्र की पूर्णतः की गई।

कमलः-----

(L...)

॥ ५ ॥

यदि बिडर भूमि को व्यवसायिक में परिवर्तित करना जाहेगा तो भू-उपयोग में परिवर्तन की अधिकतम सीमा 25 फुट तक रहेगी।

१२१९ भू-उपयोग परिवर्तन के उपरान्त बिडर द्वारा प्रस्तुत प्लान सभी स्वीकृत किये जायेंगे तथा निर्माण की स्वीकृति सभी दी जायेगी जबकि प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत व्यय प्रोजेक्ट पर बिडर द्वारा किया जा चुका हो।

१२१९ इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि समाचार पत्रों में जो विज्ञापित प्रकाशित की गई है उसमें पुनः की विज्ञापित शीर्षक: सही नहीं दर्शायी गई है।

१२१९ उपरोक्त के अतिरिक्त बिडर डॉक्यूमेंट के अन्ध बिन्दुओं पर भी विचार विमर्श हुआ। निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार मुख्य अभियन्ता, बिडर डॉक्यूमेंट का रीरिपन कर, उपाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त पुनः समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित करायेगें। आफ्फर मांगने की अन्तिम तिथि 11 मार्च, 1996 तक रहेगी।

विषय संख्या: 4

गोमती नगर योजना के टाउन सेन्टर विभागीय सण्ड में प्रस्तावित संख्यागत भू-उपयोग के बदले विराज सण्ड जिसका भू-उपयोग संख्यागत है, में से 50 फुट भूमि टाउन सेन्टर में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

गोमती नगर योजना के टाउन सेन्टर में अपोलो, एगोर्ट, यू.पी. हार्ट प्ला. सेन्टर तथा विभिन्न सॉर्बिजेज टर्मिज्ड हारटल के लिये भूमि दिये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त संख्याओं को वर्तमान आवासीय दर की आधी दर पर तथा विभिन्न सॉर्बिजेज टर्मिज्ड हारटल के लिये आवासीय दर पर भूमि दी जायेगी।

(L-1)

74

11 6 11

उक्त भूमि के अदले विराज राष्ट्र में केवल 50 एकड़ भूमि का भू-  
उपयोग योजनागत से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने की राहगोति,  
दी गई।

*(Signature)*

*(Signature)*  
§ एम. ए. ए. खान §  
सीचिव

§ गंगावीर यादव §  
उपाध्यक्ष

अ नु मो वि त

1

§ नरेस दयाल §

आयुक्त, तमनाउर मण्डल पर्ये  
अध्यक्ष, तमनाउर विकास प्राधिकरण,  
तमनाउर।

ताप सिंह  
आई. ए. एस.



30 शा0प0सं0 205/23HS/96  
प्रमुख स  
आवास विभाग  
उ० प्र० शासक  
लखनऊ- 220 001  
दिनांक 12-3-96

खुला 3139/96

श्री गंगादीन यादव

के०सन्स अपोलो हास्पिटल लि० का प्रत्यावेदन संलग्न करते हुए मुझे कहना है कि वर्तमान आवासीय दर के 50 प्रतिशत पर उक्त संस्था को 10 एकड़ भूमि को आवंटित करने का अनुमोदन शासन स्तर पर हुआ है। उक्त भूमि विभूति सण्ड में आवंटित की जायेगी। स्थल के विषय में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने ही शासन स्तर की बैठक में सुझाव दिया था, उसे मान लिया गया है। कृपया नवशे में बैठक में इंगित स्थान पर उक्त संस्था को भूमि आवंटित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें। उन्हें यह भी सूचित कर दें कि पूर्व आवंटन का भी आधार आवासीय दर का 50 प्रतिशत था। नवशे पांच वर्ष में आवासीय दर बढ़ जाने के कारण धनराशि में परिवर्तन हुआ है। अन्य-शे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये पूर्व आवंटन के अनुसार ही रखे जाने में आपत्ति नहीं है।

3139/96  
15.3.96  
18.3.96

स्ट 2000 5-10

Add

CSM

done

भवदीय

॥ अलण्ड प्रताप सिंह ॥

134/0-2/18/9  
15.3.96

श्री गंगादीन यादव,  
उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

Ref.No.: SI/MARC/97,

From :

O.P. Srivastava,  
Director Worker.

November' 24, 1997

To,

The Vice Chairman,  
Lucknow Development Authority,  
Lucknow.Sub : Allotment of land for Apollo Hospital.

Dear Sir,

With reference to your letter No. 579/PA/135/97 dated 06/08/97 on the above subject I am to state that Plot No. TC/33-34-V measuring 10 Acres in Town Centre, Gouti Nagar had been allotted by Lucknow Development Authority to M/S Kaysons, Hazratganj, Lucknow for construction of Apollo Hospital. It is understood that M/S Kaysons, due to some reasons could not deposit the required amount before the specified date due to which the allotment of the plot was cancelled by LDA. Now Sahara India Group is very much interested to construct the Apollo Hospital for the benefit of the citizens of Lucknow in particular and of U.P. in general. The proposed hospital of 300 beds will be equipped with the most modern super speciality medical facilities manned by highly qualified specialists.

Sahara Group has already executed a MOU with the Apollo Group. The Apollo Group had signed the MOU after taking into consideration the technical feasibility and their Chairman, Dr. G.K. Reddy, had approved of the proposed site. It is understood that the proposed site has since been allotted to the Police Deptt., U.P. Therefore, it is requested that land very near to the above site may kindly be allotted to Sahara India for the Hospital. The terms of payment may please be kept the same as were offered to M/S Kaysons. It is assured that the

Contd...2.

**SAHARA** 


Command Office : Sahara India Bhawan, 1, Kapoorthala Complex, Lucknow - 226 020  
Tel: 378202, 373178 • Fax: 0522 - 378200 • Telex: 0535 - 287 INDA IN • Gram: 'SAHARAINDA'

77

(2)

first phase of the Apollo Hospital would be completed within a period of three months from the date of allotment/possession.


Yours faithfully,



( O.P. SRIVASTAVA )

संख्या-७४४७८ 78

20 Rs.



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) entered into this 19th day of April, 1997, one thousand nine hundred and ninety seven

BETWEEN


M/s SAHARA INDIA having its Principal Office at Lucknow represented by its Managing Worker & Chairman, Shri Subrata Roy Sahara (hereinafter referred to as 'SAHARA', which expression shall, unless repugnant to the context thereof, mean and include its successors and permitted assigns)

AND

M/s INDIAN HOSPITALS CORPORATION LIMITED, a Company registered under the Companies Act, 1956, having its registered office at No.22 Greams Road, All Towers, III Floor, Madras 600 006 and represented by its Chairman, Dr. Prathap C Reddy, hereinafter called 'IHC' (which expression shall, unless repugnant to the context thereof mean and include its successors and permitted assigns):

*Prathap C Reddy*      *Subrata*

79<sup>00</sup> 20RS.




(2)

WHEREAS SAHARA and IHC have decided to set up a 300-bed multi-speciality hospital at Lucknow, Uttar Pradesh, (hereinafter referred to as the 'Hospital') with the latest technology, at an estimated outlay of Rupees seventy-five crores only to be funded by SAHARA through equity/term loans.

WHEREAS SAHARA INDIA is a diversified group in the field of Para Banking, Infrastructure & Housing, Aviation, Mass Communication and Exports. Sahara to accomplish its social goal of its corporate philosophy has decided with IHC to arrange for the franchise of the 'Apollo Hospital' name from APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED (hereinafter referred to as "AHEL") as per a Franchise agreement with AHEL separately;

AND WHEREAS IHC, which has developed considerable and comprehensive knowhow and technical expertise of international standards in planning, commissioning and managing super-speciality hospitals shall provide necessary consultancy services for setting up the Hospital and for operating it as above for a period of 5 years from the date of commissioning which may be extended on mutual agreement.



(3)


THE PARTIES TO THIS MOU WITNESSETH:

1. SAHARA will set up a multi-speciality hospital with state-of-the-art technology at Lucknow, Uttar Pradesh, at an estimated cost of Rs. 75.00 crores (Rupees Seventy-five Crores only) to be funded by SAHARA through equity and term loans from banks/financial institutions.
2. IHC shall provide the following services for commissioning of the Hospital:
  - 2.1 Prepare and submit the following documents in relation to the Hospital:
    - a. Pre-feasibility report (submitted). Detailed Project Report (to be prepared after the Market Survey):
    - b. Functional brief:
    - c. Conceptual design:
    - d. Statement of site parameters:
    - e. Systems brief:
    - f. Personnel and training schedule and
    - g. Such other documents, plans, reports or guidelines as may be required for establishing the Hospital:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

81  
20 Rs.




(4)

- 2.2 Provide architectural brief.
  - 2.3 Advise on selection civil, electrical and other contractors for setting up the hospital building.
  - 2.4 Co-ordination of construction work during implementation of the project.
  - 2.5 Preparation of equipment schedule, procurement and co-ordination of installation of medical equipment.
  - 2.6 Assist in preparation of application to financial institutions/banks for obtaining term loan and assist in arranging the debt as well as 24% of the equity participation (NRI).
  - 2.7 Select and train key doctors, nurses and other para-medical staff required for the super-speciality departments of the Hospital.
03. IHC will be engaged by SAHARA for providing consultancy services for Project Management covering the above activities for commissioning of the Hospital and after commissioning, for providing services for Operations Management of the Hospital for next 5 years. For this purpose, SAHARA and IHC will separately enter into a detailed Project Manage-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



(5)

ment Agreement (PMA) defining the scope of project consultancy services and Operational Management Agreement (OMA) for Operational Management Services within sixty days of this MOU.

04. SAHARA shall pay to IHC, Project Consultancy Fee of 3% of the actual project cost (excluding provision for pre-operative expenses, working capital margin, contingencies and Land Cost):
- Rupees forty lacs only shall be payable at the time of signing of this MOU.
  - The balance in half yearly basis based on the progress and relevant investments from commencement of construction of work of the Hospital.
05. SAHARA shall meet all expenses on travel (by air, first class by train) from Madras/Hyderabad/Delhi/Bombay to Lucknow or to any other place as may be required to be undertaken by IHC for project purposes and the boarding and lodging expenses, local transport expenses and other out-of-pocket expenses.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

03-5

- Both parties agree that work on construction of the project shall commence within four months from the signing of the PMA herein above mentioned and the project shall be completed within 24 months from the date of commencement of construction.
07. The fee and scope of Operations Management consultancy service to be rendered by IHC shall be 3% of gross annual turnover of hospital on commissioning.
  08. IHC shall procure the approval of AHIL for franchising the name 'Apollo Hospitals' for the proposed Hospital on terms and conditions to be specified in the Franchise Agreement to be entered into separately by SAHARA and AHIL within sixty days of signing of the PMA.
  09. The name shall be 'SAHARA APOLLO HOSPITALS' for the proposed hospital or SAHARA HOSPITAL with collaboration with APOLLO HOSPITAL. This choice shall be of Sahara's for coining the words of course with consultation with Apollo Hospital.
  10. As a separate project IHC will join hands in establishing a modern Diagnostic Centre with very effective Preventive Measure Unit and with a small modern hospital in our ambitious new city Amby Valley, Sahara Lake City. A separate final agreement shall be drawn as in the case of Lucknow project on similar lines/terms.
  11. ARBITRATION:  
Any dispute or difference under or arising out of or in relation to this MOU will be referred to arbitrator to be appointed by SAHARA, and mutually agreed by both.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

12. LAWS & JURISDICTION:

This MOU is subject to the laws of India. The civil courts of Lucknow will have jurisdiction.

13. Both the Parties agree that this MOU shall remain valid for a period of ninety days from the date hereof, unless extended by the Parties for such period(s) as may be mutually decided upon.

CONCLUSION:

Notwithstanding anything contained in this MOU, both Parties shall strive their best and work in close co-operation for the successful completion of the project and offer their best to continuously operate the Hospital on international standards to enable it live up to a standard of - 'medical excellence with a human touch'.

IN WITNESS WHEREOF, both the PARTIES hereto have signed this MOU on the day, month and year mentioned above.

Signed by

Signed by

SHRI SUBRATA ROY SAHARA  
Managing Worker & Chairman  
for and on behalf of  
SAHARA INDIA GROUP  
LUCKNOW - 226 020.

DR. PRATHAP C. REDDY,  
Chairman  
for and on behalf of  
INDIAN HOSPITALS CORPORATION  
LIMITED  
MADRAS - 600 006

Witness:

Witness:


1. Vandana  
Vandana Bhargava  
Group Secretary  
Sahara India  
Lucknow
- 2.

1.   
H. M. MEHROTRA  
Group Secy. Sahara India  
Lucknow
- 2.


05

ADDENDUM TO MOU DATED 19.04.1997

- (1) Project cost means the cost of Project as disclosed by the Books of Accounts less preoperative expenses, interest during the preoperation period, Working Capital Margin, land cost and contingencies and Project Consultancy Fee.
- (2) Gross Annual Turnover on commissioning will not include all taxes payable to State Govt. and Central Govt. and other local authorities and sale from the Pharmacy in the premises of Hospital and reimbursement of fees paid on behalf of the patient to any Specialist or Outside Doctor(s) other than full time Doctors.
- (3) Team for providing services for commissioning of Hospital (as per Clause 2, Page 3 of MOU dated 19.04.97) shall be specified by IHCL.
- (4) If for any reasons including any order or regulation of statutory authority, the Hospital Project could not be commenced or there is any breach of agreement of IHCL, the amount of Rupees forty lacs advanced as per MOU dated 19.04.97 and any further amount received by IHCL shall be refunded to SAHARA by IHCL together with the interest @ 24% per annum (interest shall be charged only if the reason of refund arises due to any lapse of IHCL). Provided that in case all architectural designs, detailed project report etc. are furnished by IHCL, the question of refund of Rs. 40 lacs will not arise.



(SAHARA)



(IHCL)

Lipinon 5

86

# Indian Hospitals Corporation Limited

November 1, 1997


Mr. Suryavir Singh Dight  
Dy. Manager - Haro  
Sahara India  
Sahara India Bhawan  
1, Kapoorthala Complex  
LUCKNOW-226 020

FAX NO: 0522-078200

Dear Mr. Suryavir Singh,

I am happy to inform you that, the request of Sahara India for extending the validity of the MOU till 31.1.98, was considered in depth by our Management, keeping in view the various aspects mentioned in your letter of 27.10.97. The extraordinary situation created by the cancellation of the allotment of site previously identified for the Hospital as also the time expected to take for identification of fresh site and allotment thereof, were all taken note of and the Management has agreed to extend the validity of the MOU till 31.1.98 as requested by Sahara. The Management also conveyed its reassurance to Sahara India to extend all support and assistance from IHC to overcome problems of site location for the Project, so that the joint endeavor of IHC and Sahara India to establish a state of art our Super Speciality Hospital to benefit the entire Northern Region, is successfully completed.

With Regards,



A. CHANDRASEKAR  
GENERAL MANAGER (P&A) CUM  
COMPANY SECRETARY

नन्दन,  
त सचिव ।



अर्द्धशाओप० सं० : २१००१/१९८१/१९९६

आवास अनुभाग-1  
उत्तर प्रदेश शासन

तखनऊ: दिनांक: ५ अगस्त, 1996

प्रिय महोदय,

मेसर्स केमन्स अपोलो हास्पिटल को भूमि देने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिये जा चुके हैं। उसके अनुसार उन्हें आवासीय भूमि के आधे ढर पर 10 एकड़ भूमि का आवंटन होना है तथा अन्य कोई शर्तें नहीं लगायी जानी हैं। इसलिये उचित समझा गया है कि तखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगायी गयी शर्तों पर पुनर्विचार कर लिया जाये। संशोधित रूप में निम्न शर्तें रखने का अनुमोदन हुआ है:-

§ 1 § तखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्तमान अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके आश्रितों तथा प्रतिनियुजित पर आधे अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके आश्रितों को बाह्य रोगी चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को अपोलो हास्पिटल में भर्ती और परीक्षण में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी तथा परामर्श, परीक्षण, चिकित्सा एवं अस्पताल को भुगतान की जानेवाली धराराशि में 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

§ 2 § जिस क्षेत्र में गूण्ड उपलब्ध है वहाँ के लिए वर्तमान प्रचलित गू-आच्छादन तथा एफ०ए०आर० नियमों के अनुसार विकास प्राधिकरण गू-आच्छादन तथा एफ०ए०आर० की व्यवस्था अनुमोदित करेगा। कामर्शियल के वजाय कार्यालय उपयोग के लिए जो गू-आच्छादन तथा एफ०ए०आर० उस क्षेत्र के लिये स्वीकृत हैं वह अस्पताल के लिए भी स्वीकृत किये जायेंगे।

मुख्य सचिव की उती बैठक में इस्कोर्ट तथा हार्ट-फाउण्डेशन के लिए भूमि आवंटन का निर्णय भी हुआ था, उनके विषय में प्राधिकरण अपोलो की भूँति सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा। धराराशि के भुगतान तथा चिकित्सा सुविधाओं के स्तर के संबंध में आपके पत्र दिनांक 23 मार्च, 1996

कृपया:—2—

अर्द्धशाओप० सं०  
१०/१२  
०१५

ना. २१०१.  
ई. ज्ञा.  
8/8/96  
मुख्य सचिव  
तखनऊ विकास प्राधिकरण

88

:: 2 ::

में निर्धारित शर्तें उपित हैं और यह सभी आवंटनों पर वही शर्तें लागू की जायेंगी ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही कर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

मिस्टर

भवदीय उसके  
[Signature]

॥ जीवसा नन्दन ॥

श्री गंगादीन यादव,  
उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

श्री जीवसा नन्दन  
[Signature]

श्री जीवसा नन्दन  
[Signature]

श्री जीवसा नन्दन  
[Signature]

श्री जीवसा नन्दन  
[Signature]

श्री जीवसा नन्दन  
[Signature]

श्री जीवसा नन्दन  
[Signature]

श्री जीवसा नन्दन  
[Signature]

श्री जीवसा नन्दन  
[Signature]

11, 1936

विषय: अलीगंज योजना के सेक्टर "डी" में हेप्पी वर्ल्ड स्कूल को आवंटित भूमि में दण्ड व्याज ग्राफ किये जाने से सम्बंधित,

हेप्पी वर्ल्ड स्कूल को अलीगंज योजना के सेक्टर "डी" में एक स्कूल भूखण्ड 6604-75व0मी0 का आवंटित किया गया था। इसका अनुबन्ध दि021-9-88 को निष्पादित किया गया था। आवंटन पत्र के अनुसार कुल देय प्रिमियम की 25 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत करने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि 5 वार्षिक किश्तों में व्याज सहित देय थी। उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् दि021-9-88 को अनुबन्ध निष्पादित हो गया। उसके पश्चात् किश्तों की धनराशि जमा नहीं की गई। किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में समय समय पर अनुस्मरण भेजे गये। अवशेष धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल करने हेतु आर0सी0 भी जिला अधिकारी के माध्यम से निर्गत हुई, परन्तु अवशेष धनराशि जमा नहीं हो पाई।

2. सिटी मन्टेसरी स्कूल को कानपुर रोड योजना में स्कूल भूखण्ड आवंटित किया गया था तथा अनुबन्ध दिनांक 6-10-95 को निष्पादित किया गया था। किश्तों की धनराशि समय से जमा न करने पर तत्कालीन उपध्यक्ष द्वारा अवशेष धनराशि 10 छमाही किश्तों में लिये जाने हेतु ग्राह आगस्त 1995 में स्वीकृत प्रदान की गई, इसके आधार पर तत्कालीन उपध्यक्ष द्वारा सितम्बर, 1995 में उपरोक्त स्कूल के सम्बन्ध में उस समय तक देय धनराशि को 10 छमाही किश्तों में लिये जाने हेतु आदेश प्रदान किये गये। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि दि030-11-95 तक कुल देय धनराशि ₹018,31,376-00 आई, जिसमें ₹010,44,403-86 दण्ड व्याज तथा शेष मूल धन है। उपरोक्त धनराशि की 10 छमाही किश्तें कर दी गई। ₹01-00 तास उपरोक्त स्कूल के प्रबन्धक द्वारा जमा कर दिया गया था; अतः ₹083,138-00 दि030-11-95 तक गौंगा गया। शेष 9 छमाही किश्तें दि031-5-96 से प्रारंभ होकर 31-5-2000 तक रकी गई, परन्तु स्कूल के प्रबन्धक द्वारा धनराशि जमा नहीं की गई। बीच में उपरोक्त स्कूल के प्रबन्धक द्वारा ₹070,000-00 दि07-10-97 को तथा ₹030,000-00 दि012-11-97 को जमा किया गया। अब तक 5 छमाही किश्तें देय हो चुकी हैं; अतः दि031-12-97 भुगतान की तिथि मानते हुए 5 छमाही किश्तों में अवशेष धनराशि, दण्ड व्याज सहित निकाली गई है, जिनकी धनराशि ₹011,44,667-00 आती है; इसमें ₹01,81,638-44 दण्ड व्याज सम्मिलित है। इस प्रकार कुल दण्ड व्याज ₹012,26,042-30 आता है।

3. उपरोक्त स्कूल को आवंटित भूमि से संलग्न 838-12 व0मी0 भूमि पर उपरोक्त स्कूल के प्रबन्धक द्वारा कब्जा कर लिया गया। यह भूमि अब भी कब्जे में है। उपरोक्त स्कूल के प्रबन्धक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि संश्लेष देय दंड व्याज ग्राफ कर दिया जायें तथा जो अधिक क्षेत्रफल हैं, उनके कब्जे में है, उक्त स्कूल हेतु आवंटित कर दी जायें।

4. यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उपध्यक्ष, त0101010 द्वारा किसी भी स्कूल भूखण्ड के सम्बन्ध में कोई दंड व्याज अभी तक ग्राफ नहीं किया गया है। सिटी मन्टेसरी स्कूल को

कानपुर रोड योजना में आवंटित स्कूल भूखण्ड के सम्बन्ध में ₹017,07,093.00 दण्ड व्याज शासन द्वारा माफ किया गया था ।

5. अतः निम्न बिन्दुओं पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना है :

1. उपरोक्तानुसार <sup>2.05 लाख</sup> ₹012,26,042.30 माफ किये जाने के सम्बन्ध में,
11. जो अतिरिक्त भूमि 838.12 च0मी0 उपरोक्त स्कूल के कब्जे में है, उसको आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

-----

11/1/97  
C.F.A.

विषय: श्री गंगा चरन राजपूत सांसद, आवंटी भवन संख्या: 5/355 पर लगाये गये दण्ड व्याज की 50% अतिरिक्त धनराशि को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री गंगा चरन राजपूत, सांसद, को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-5 में एच0आई0जी0 भवन संख्या:5/355 स्वयत्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटित हुआ था। उक्त भवन की धनराशि समय से जमा न करने के कारण रु0 3,16,410=36 व्याज लगाया गया था। इनके प्रतिवेदन दिनांक:09.10.97 के क्रम में विराम खण्ड-5 में विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण दण्ड व्याज की 50% धनराशि रु0 1,58,205=18 उपाध्यक्ष महोदय द्वारा माफ किया जा चुका है। अब उक्त पत्र दिनांक 28.11.97 के माध्यम से श्री राजपूत द्वारा अनुरोध किया गया है कि अवशेष दण्ड व्याज की 50% धनराशि रु0 1,58,205=18 माफ किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है। चूंकि प्राधिकरण बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरार गुण एवं शेष के आधार पर 50% व्याज माफ करने का अधिकार बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष महोदय को दिया गया था, जिसके आधार पर 50% व्याज माफ किया जा चुका है। शेष 50% की धनराशि माफ करने का अधिकार बोर्ड में निहित है। इसी तारतम्य में शेष व्याज की धनराशि रुपया 1,58,205=18 माफ करने का विषय प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय:--दण्ड ब्याज माफ किये जाने से सम्बन्धित ।

श्रीमती नीरा गुप्ता को कानपुर रोड योजना के सेक्टर-एल में भवन संख्या बी-27 सम्पत्ति अनुभाग के पत्र दिनांक 11-1-91 द्वारा आर्नेटिड किया गया था। इस भवन का अनुमानित विक्रय मूल्य रूपया- 2,95,000/- था। पंजीकरण धनराशि रूपया 20,000/-को घटाकर शेष धनराशि 5 त्रैमासिक किश्तों में देय थी। प्रथम त्रैमासिक किश्त दिनांक 28-2-91 तक तथा पंचम त्रैमासिक किश्त दिनांक 28-2-92 तक देय थी। परन्तु श्रीमती गुप्ता द्वारा ऋण स्वीकृत न होने के कारण समय के अन्दर धनराशि जमा नहीं की गयी। बाद में श्रीमती गुप्ता के साथ उनके पति डा० बी०पी०गुप्ता का नाम भी जोड़ दिया गया। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29-6-93 में यह निर्णय लिया गया था कि सरकारी कर्मचारियों को ऋण विलम्ब से मिलने के कारण देय दण्ड ब्याज में छः माह की छूट दी जाये। माह दिसम्बर 1993 में जब गणना की गयी तो कुल देय दण्ड ब्याज की धनराशि रूपया 91,151-80 पैसा आती है। छः माह की छूट देने के उपरान्त दण्ड ब्याज की धनराशि रूपया- 86,893-70 पैसा निकाली गयी । प्राधिकरण की ही बैठक दिनांक 29-6-93 में उपाध्यक्ष को देय दण्ड ब्याज का 50 प्रतिशत माफ किये जाने का अधिकार प्रतिनिधित्वित किया गया था। अतः उपरोक्त अधिकारों के अन्तर्गत उपाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त दण्ड ब्याज के 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् 43,446-85 पैसा अक्टूबर 1994 में माफ कर दी गयी । शेष 50 प्रतिशत धनराशि माफ करने हेतु आर्नेटी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा शासन में प्रार्थना पत्र दिये जाते रहे। अनुसूचिय-आवास, अनुभाग 30प्र० शासन का पत्र दिनांक 29-9-95 प्राप्त हुआ जिसमें यह सूचित किया गया कि दण्ड ब्याज माफ करने का विषय प्राधिकरण की बैठक में रखकर निवमानुसार कार्यवाही की जाय। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13-5-95 में यह निर्णय लिया गया था कि कोई भी प्रकरण बोर्ड के समक्ष न रखा जाये। अतः विषय बोर्ड के समक्ष नहीं रखा गया।

आर्नेटी द्वारा उपरोक्तानुसार देय दण्ड ब्याज की 50 प्रतिशत धनराशि रूपया 43,446.85 दिनांक 5-9-97 को जमा कर दी गयी जबकि उपरोक्त धनराशि दिनांक 31-12-94 तक जमा करने हेतु आर्नेटी को सूचित किया गया था। अतः 1-1-95 से 5-9-97 तक, विलम्ब से धनराशि जमा करने के कारण दण्ड ब्याज निकाला गया जो 16 प्रतिशत वार्षिक की दर से रूपया 18,633.00 आता है। शासन के निम्नलिखित पत्रों द्वारा विषय बोर्ड में रखकर ब्याज माफ करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं:-

- 1- सं० 3393/11-5-85-1-33/डीए/85 दिनांक 2-7-85
- 2- अ०शा०प०सं० 295/9-आ-5-94-49डीए/94 दिनांक 3-2-94
- 3- सं० 5054/9-आ-5-94-49डीए/94 दिनांक 31-12-94

माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री के निर्देश दिनांक 30-8-97 द्वारा भी बोर्ड में विषय रखने हेतु निर्देश दिये गये ।

आवंटी का कहना है कि दण्ड ब्याज पर दण्ड ब्याज न लगाया जाये। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि एक निर्धारित तिथि तक धनराशि यदि जमा नहीं की जाती है तो वह भले ही ब्याज या दण्ड ब्याज की धनराशि हो, वह मूलधन बन जाती है और उसके पश्चात् उस धनराशि पर भुगतान की तिथि तक निर्धारित दर से दण्ड ब्याज देय होता है। अतः इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया जाना है कि डा0 गुप्ता से उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज की 50प्रतिशत धनराशि विलम्ब से जमा करने पर रूपया 18,633.00 दण्ड ब्याज लिया जाये या नहीं ।

विषय:—श्रीमती कल्पना सिंह, को आवंटित भूखण्ड सं० सी-1/42 डी, गोमती नगर विनीत खण्ड पर लगाये गये दण्ड व्याज को माफ किये जाने से सम्बन्धित।

आख्या:—

अलीगंज योजना में भूखण्ड संख्या बी-24 सेक्टर-ओ श्रीमती कल्पना सिंह को पत्र संख्या:मेमो/जे०एस०(ए)दिनांक 24.4.87 द्वारा आवंटित किया गया था तथा आवंटि के प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.5.87 पर विचार करके उक्त भूखण्ड के स्थान पर भूखण्ड संख्या:सी-54, सेक्टर-ई नियमानुसार परिवर्तन शुल्क के साथ परिवर्तित कर दिया गया था, तत्पश्चात् भूखण्ड संख्या:सी-142, सेक्टर-ई के आवंटि श्री परमेश्वर शरण सिंह से आपसी सहमति के आधार पर आवंटि ने भूखण्ड परिवर्तित कराया जिसके फलस्वरूप श्रीमती कल्पना सिंह को भूखण्ड संख्या:सी-142, सेक्टर-ई परिवर्तित हो गया तथा श्री परमेश्वर शरण को भूखण्ड संख्या:सी-54, सेक्टर-ई आवंटित हो गया। श्रीमती कल्पना सिंह को भूखण्ड संख्या:सी-142, सेक्टर-ई फिरोज गांधी सहकारी आवास समिति से स्थगनादेश के कारण विवादित हो गया तथा आवंटि को उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में धनराशि इत्यादि जमा करने की कोई सूचना भी नहीं दी गयी। श्रीमती कल्पना सिंह अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 9.4.92 द्वारा यह अनुरोध किया गया कि यदि प्राधिकरण उक्त भूखण्ड देने की स्थिति में न हो तो गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तित कर दिया जाय, इस अनुरोध पर श्रीमती कल्पना सिंह को गोमती नगर योजना में भूखण्ड उपलवध कराये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.7.94 में प्रस्ताव रखा गया था जिसमें विषय संख्या:33 पर श्रीमती कल्पना सिंह को गोमती नगर योजना में भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया गया, तदनुसार श्रीमती कल्पना सिंह को भूखण्ड संख्या:सी-6/269, विनीत खण्ड आवंटित कर दिया गया। आवंटि ने उक्त भूखण्ड के स्थान पर विपुल खण्ड में कोई भूखण्ड देने हेतु कई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु चूंकि विपुल खण्ड में कोई भूखण्ड आवंटन हेतु उपलवध नहीं हो पाया, इस स्थिति में विनीत खण्ड में ही संशोधित ले-आउट प्लान के अनुसार उपलवध भूखण्ड संख्या:सी-1/42 डी परिवर्तित कर दिया गया तथा भूखण्ड के प्रति देय धनराशि की कारिंग कराकर आवंटि द्वारा जमा धनराशि सम्पादित करके शेष धनराशि व्याज सहित रु० 82,578/- दिनांक 31.3.97 तक जमा करने की सूचना दी गयी थी। चूंकि अलीगंज योजना में आवंटि को विवाद के कारण धनराशि जमा करने की कोई सूचना नहीं निर्गत हो पायी थी इसलिए विचार करके 50 प्रतिशत व्याज माफ करने की संस्तुति उपाध्यक्ष स्तर से निर्गत कर दी गयी है परन्तु आवंटि द्वारा सम्पूर्ण व्याज माफ करने हेतु लगातार प्रार्थना की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में श्री गोमती यादव माननीय विधायक के अनुरोध पत्र पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिनांक 6.9.97 को यह आदेश दिये थे "वर्षित परिस्थितियों में दण्ड व्याज माफ करने हेतु समुचित कार्यवाही करें" तत्पश्चात् श्री राम कृष्ण प्रसाद, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश

शासन, आवास अनुभाग-1 अर्द्धशा0 पत्र संख्या: सी0एम0-350/9-आ-1-97 दिनांक 10.9.97 द्वारा भी इस सम्बन्ध में तत्कालीन कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। चूंकि उपाध्यक्ष स्तर से 50 प्रतिशत ब्याज माफ करने का अधिकार है। अतः इस प्रकरण में विचार करके सम्पूर्ण ब्याज माफी के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण बोर्ड कृपया निर्णय लेने की कृपा करें।

विषय संख्या: 17

पृष्ठ संख्या: 96

विषय: गोमती नगर योजना स्थित फेस-2 के भू-आवंटियों को कब्जा दिये जाने की तिथि के दो वर्ष तक विना लेवी शुल्क लिये भवन मानचित्रों पर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

---


प्रस्ताव: गोमती नगर योजना फेस-2 के किसानों के अवरोध के कारण आवंटियों को कब्जा मिल पाने के फलस्वरूप उनके द्वारा वर्तमान में भवन मानचित्र जमा करते समय लेवी शुल्क जमा करना पड़ता है, जबकि भू-आवंटियों को प्राधिकरण द्वारा कब्जा न दिये जाने के कारण विलम्ब से निर्माण किये जाने का दोष भू-आवंटियों का नहीं है, अतः ऐसी परिस्थिति में गोमती नगर योजना फेस-2 के भू-आवंटियों को कब्जा दिये जाने की तिथि के दो वर्ष तक विना लेवी शुल्क लिये भवन मानचित्र स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए ।  
अतः प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है ।


विषय: रायबरेली रोड योजना स्थित चेशायर होम के भवन मानचित्रों पर आरोपित मूवा शुल्क व जल व्यय शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में,

रायबरेली रोड स्थित शारदा नगर योजना के रत्नाकर सण्ड की भूमि प्राधिकरण के लाइसेन्सी बिल्डर्स में यूनिटेक लि० को आवंटित की गई थी। तदुपरान्त में यूनिटेक लि० द्वारा आवंटित भूमि का एक भू-विन्यास मानचित्र प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1990 में स्वीकृत कराया गया जिसमें ब्लॉक "ए" के अन्तर्गत एक प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 1.94 एकड़ स्वीकृत था, में एक पुराना भवन चेशायर होम स्थित था। उक्त पुराने भवनके अतिरिक्त और भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में दि० 22.10.94 को एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्लॉट वाली भूमि में जो चेशायर होम जिसका क्षेत्रफल 324.00 वर्ग मी० है, को यथावत समायोजित करते हुए 3402.20 वर्ग मी० अतिरिक्त भूमि विभाग द्वारा निशुल्क आवंटित कर, लीज पर दी गई है।

2. उपरोक्त संस्था का मानचित्र तकनीकी रूप से स्वीकृत करने के पश्चात् मूवा शुल्क ₹016,430.00 एवं जल व्यय शुल्क ₹07,200.00 जमा करने हेतु पत्र भेजा गया था, जिसके सम्बन्ध में अध्यक्ष, चेशायर होमस इंडिया लि० ने अपने पत्र सं० चे-27/95 दि० 05.7.96 द्वारा अनुरोध किया कि चूंकि चेशायर होम वृद्धो एवं दीन दुखियों की सहायता करता है, अतः मूवा शुल्क व जल व्यय शुल्क ₹023,630.00 उनसे न लिया जायें क्योंकि उक्त संस्था के पास स्वयं के कोई वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। अतः यह विषय प्राधिकरण {बोर्ड} की बैठक दि० 06.12.96 में विषय सं० 22 में अन्तर्गत रखा गया जिसमें विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

3. अध्यक्ष, चेशायर होमस इंडिया लि० ने पुनः अपने पत्र दि० 10.1.98 {संलग्नक- 1} द्वारा अनुरोध किया है कि उनसे मूवा शुल्क एवं जल व्यय शुल्क न लिया जायें। चूंकि भूमि निशुल्क दी गई है, अतः यह प्रस्ताव है कि उपरोक्त संस्था की मानवीय सेवाओं को देखते हुए उनसे उपरोक्तानुसार मूवा व्यय व जल व्यय शुल्क न लिया जायें।





For the relief of suffering  
(FOUNDER : Late GROUP CAPTAIN LORD L CHESHIRE VC OM, DSO, DFC)

CH 5/98  
9/21, Hans Pratap Marg,  
Lucknow - 226 001 - INDIA  
Tele. : (0522) 222304  
10 Jan 98

- Chief Patron :  
H. E. the Governor of U.P.  
Patron :  
Begum Hamida Habibullah  
Management Committee  
Chairman  
Brigadier V.K. Ghai, PVSM (Retd.)  
Vice Chairman  
Mrs. Indira Gupta  
Treasurer  
Mr. V.K. Gupta, CA  
Secretary  
Mrs. Sudha Khan  
Jt. Secretary  
Mr. V.P. Bhugra  
Members  
Mr. H.C. Bahri  
Mrs. Shiva Bhargava  
Dr. G P Bhargava  
Mr. J.C. Chopra  
Mr. I.R. Lamba  
Mr. Pradip Narain  
Mr. K.J.S. Sarna

Dear Hon. Mantriji,

You may be kindly aware, we are an international organization involved in the wholetime care of the disabled and chronically ill of all ages irrespective of any caste, creed or sex.

2. We are approaching your goodness for assistance to solve two of our pending problems with the LDA as stated below :

Waiving of Malba & Water Tax.-

3. Being a charitable institution and after a visit by HE the Governor to see the work being done, we were allotted land for further development at a nominal price by the LDA in 1994. Soon after, we submitted construction plans. These are still pending because of demand of LDA to deposit Malba and Water Tax amounting to Rs 16430/- and Rs 7200/- respectively, Total Rs 23630/-.

As we depend on volunteer contributions and donations for meeting our day to day needs and the fact that the land too was allotted after due consideration by the highest authority at a "Pepper Corn" price of Rs. one per year, we represented to the LDA to waive the demand. Unhappily, the LDA board has rejected our request. (Copy of LDA letter No. 170/LDA/HZ(GS) dated 3-6-97 enclosed). Presumably waiving of above tax is not allowed under LDA Rules.

4. With regard to Malba Tax we are disposing our Malba within our own area and do not dump any waste material outside for the past 10 years or so. Regarding water supply we have our own Tubewell which we are currently using.

5. Further considering the social and charitable work being done by our organization to help the poor, disabled, chronically ill and the destitute fellow human beings, we request the Govt. may consider it as a case needing special consideration and take a humanitarian view to waive the tax or if this not possible, charge us a nominal amount as done for the land allotted to us.

आपका धन्यवाद

प्रतिभा, सुदीर्घा, देवी

श्री प्रदीप भुग्रा

श्री एम.एस.एस.एस.

श्री एम.एस.एस.एस.

श्री एम.एस.एस.एस.

श्री एम.एस.एस.एस.

श्री एम.एस.एस.एस.

श्री एम.एस.एस.एस.

श्री एम.एस.एस.एस.



For the relief of suffering  
(FOUNDER : Late GROUP CAPTAIN LORD L-CHESHIRE VC. OM, DSO,DFC )

P/21, Rana Pratap Marg,  
Lucknow - 226 001 - INDIA  
Tele. : (0522) 222,304

Chief Patron :  
H. E. the Governor of U.P.  
Patron :  
Begum Hamida Habibullah  
Management Committee  
Chairman  
Brigadier V.K. Ghai. PVSM (Retd.)  
Vice Chairman  
Mrs. Indira Gupta  
Treasurer  
Mr. V.K. Gupta. CA  
Secretary  
Mrs. Sudha Khan  
Jt. Secretary  
Mr. V.P. Bhugra  
Members  
Mr. H.C. Bahri  
Mrs. Shiva Bhargava  
Dr. G.P. Bhargava  
Mr. J.C. Chopra  
Mr. I.R. Lamba  
Mr. Pradip Narain  
Mr. K.J.S. Sarna

- 2 -

Removal of Encroachment.

6. Secondly, the land allotted to us by LDA has not been completely handed over to us. A portion of our land measuring about 500 sq. metres was encroached by one Mrs. Malhotra who has ignored the approach to her house allotted by LDA and instead has built a wall stopping our access to one side of our area where we wish to extend plantation of Mulberry Trees for the sericulture project. This project is duly supported by the State Govt. (Dept. of Sericulture) for occupational therapy of disabled residents.

7. As the matter is pending since long, holding up further development,


(a) the Govt. may kindly approve our request in para 5 above &

(b) direct the LDA to remove the encroachment by Mrs. Malhotra immediately or adjust by allowing an equivalent area next to our plot in plot No. A 109 lying vacant. Kindly see sketch P enclosed.

Thanking you,

With kind regards,

Yours sincerely,

  
( V.K. GHAI )  
CHAIRMAN

To  
Mr Laljt Tandon,  
Minister for Housing & Urban Development,  
U.P. Govt.,  
Lucknow.

विषय संख्या:- 19

पृष्ठ संख्या: 100

विषय: विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवन्तित सम्पत्ति को एक योजना से दूसरी योजना के अन्तर्गत तथा उसी योजना में आवन्तित भवन के स्थान पर भूखण्ड एवं भूखण्ड के स्थान पर भवन परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।

आख्या:

एक योजना के अन्तर्गत आवन्तित सम्पत्ति को विभिन्न कारणों(जैसे- न्यायिक विवाद, विकास कार्य पूर्ण न होना, अवैध कब्जा हो जाने या प्रस्तावित भवनों का निर्माण न होने आदि)से उसी योजना अथवा अन्य योजना के अन्तर्गत सम्पत्ति परिवर्तित किये जाने के अनेक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण संलग्न तालिका में अंकित किया गया है।

चूँकि एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन प्राधिकरण की अनुमति से ही अनुमन्य हो सकता है, अतः संलग्न तालिका में अंकित प्रकरणों में दूसरी योजना/उसी योजना में परिवर्तन/समायोजन की अनुमति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

एक योजना से उसी योजना या अन्य योजना में सम्मिलित परिवर्तन से सम्बन्धित

| क्रम संख्या | जन्म का नाम                | योजना का नाम जहां सम्मिलित जावना है।              | योजना का नाम जहां परिवर्तन चाहते हैं। | परिवर्तन का कारण                  |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| १.          | श्री मारकण्डेय चन्द्र      | शारदा नगर में भूखण्ड<br>संख्या: १ २२, रुचि खण्ड-२ | गोमती नगर में भूखण्ड                  | विकास कार्य अपूर्ण होने के कारण।  |
| २.          | श्री शिव कुमार शुक्ल       | कानपुर में योजना में<br>भूखण्ड नं०: ए-१७०/एल      | गोमती नगर में भूखण्ड                  | विकास कार्य का अपूर्ण होना।       |
| ३.          | श्री शिव प्रताप शुक्ल      | गोमती नगर विराम खण्ड<br>भवन नं०: ५, ४०९           | गोमती नगर में भूखण्ड                  | भवन का आवश्यकता के अनुरूप न होना। |
| ४.          | श्रीमती शान्ती देवी मिश्रा | गोमती नगर विपुल खण्ड<br>४/९३ जो, आशीवाट           | गोमती नगर में भूखण्ड                  | भवन का आवश्यकता के अनुरूप न होना। |
| ५.          | श्रीमती अनीता राय          | गोमती नगर विराम खण्ड<br>एम. आर्. जी. - ५/१००१     | गोमती नगर में भूखण्ड                  | भवन का अनुपयुक्त होना।            |
| ६.          | श्री राज कुमार साहू        | विराम खण्ड में भवन<br>५/९९०, एल. आर्. जी.         | गोमती नगर में भूखण्ड                  | भवन का उपयुक्त न होना।            |
| ७.          | श्री एन. के. सिंह          | गोमती नगर विराट खण्ड में<br>४/१२, "अ" अर्धनिर्मित | गोमती नगर में भूखण्ड                  | भवन का उपयुक्त न होना।            |

एक योजना से उसी योजना या अन्य योजना में सम्पत्ति परिवर्तन से सम्बन्धित

| क्रम संख्या | आवेद्य का नाम      | योजना का नाम जहां सम्पत्ति आवंटित है।        | योजना का नाम जहां परिवर्तन चाहते हैं। | परिवर्तन का कारण       |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| ८.          | श्रीमती वीना कुमार | गोमती नगर विराम खण्ड में ५/३३१, एच.आई.जी.।   | गोमती नगर में भूखण्ड                  | भवन का उपयुक्त न होना। |
| ९.          | श्री मनोज सिंह     | गोमती नगर विनीत खण्ड में भवन संख्या-एल-१/१७४ | गोमती नगर में भूखण्ड                  | भवन का उपयुक्त न होना। |
| १०.         | श्री रुपक दत्ता    | गोमती नगर विराम खण्ड में ५/२१, एच.आई.जी.     | गोमती नगर में भूखण्ड                  | भवन का उपयुक्त न होना। |

विषय संख्या: 20

103

विषय: गोमती नगर योजना के अर्न्तगत नेहरू इक्लेव उप योजना में आवंटित प्लेट का परिवर्तन अन्य सण्ड के भवनो/भूसण्डो में करने पर परिवर्तन शुल्क न लिये जाने से सम्बन्धित,

गोमती नगर योजना के अर्न्तगत नेहरू इक्लेव उप योजना में भूसण्डो/भवनो का आवंटन किया गया था । इस योजना में वर्ष 1994 में सेना द्वारा कब्जा किये जाने के कारण न तो विकास कार्य पूर्ण हो सके और न ही भवनो का कब्जा आवंटियो को दिया जा सका । इनमें से कुछ आवंटियो ने आवंटित भवन/भूसण्ड का परिवर्तन अन्य सण्ड के भवनो/भूसण्डो में करा लिया । नियमानुसार एक सण्ड से दूसरे सण्ड में परिवर्तन होने में परिवर्तन शुल्क देय है परन्तु ऐसे आवंटियो को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवन/भूसण्ड उफालव कराये जाने की दशा में ही अन्य सण्ड में भवन/भूसण्ड परिवर्तित कराये गये हैं । चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ही उक्त योजना में भूसण्ड/भवन का कब्जा देने में असमर्थ है, अतः ऐसे आवंटियो से परिवर्तन शुल्क न लिया जायें । प्राधिकरण कृपया निर्णय लेने का कष्ट करे ।

-----  
6/2/90  
( I H )

विषय:- गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भूमि खसरा सं० 7 ग्राम उजरियांव क्षेत्रफल बीघा 0-4-14-0 का समायोजन करने के संबंध में।

आख्या:-

भूमि खसरा सं० 7 ग्राम उजरियांव रकबा बीघा 0-4-14-0 अथवा 594.60 वर्गमी० का अर्जन उजरियांव आवासीय योजना भाग-1 (गोमती नगर योजना भाग-1) के अन्तर्गत किया गया है। उजरियांव आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 व 6 के अन्तर्गत विज्ञापित क्रमशः दिनांक 19.1.83 व 28.1.83 को जारी की गई थी। इस भूमि का कब्जा विधिवत् रूप से प्राप्त कर दिनांक 23.9.86 को अभिनिर्णय भी घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार भूमि का स्वामित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण/राज्य सरकार में निहित हो चुका है।

यह भूमि गोमती नगर योजना के टाउन सेन्टर में पड़ती है तथा जिस स्थल पर यह भूमि पड़ती है उसे हिन्दुस्तान टाइम्स को आवंटित किया जा चुका है परन्तु श्री हरिदास कपूर द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 1605/90 दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है जिस कारण इस भूमि का कब्जा हिन्दुस्तान टाइम्स को नहीं दिया जा पा रहा है। प्राधिकरण द्वारा इस रिट याचिका में प्रतिशपथ-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है।

श्री हरिदास कपूर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि यदि प्राधिकरण द्वारा समझौता कर लिया जाता है तो श्री कपूर द्वारा अपनी याचिका वापस ले ली जायेगी। इस संबंध में शासन/प्राधिकरण की नीति के अनुसार श्री हरिदास कपूर का कुल 594.60 वर्गमी० भूमि का 60% भूमि 356.76 वर्गमी० गोमती नगर योजना भाग-2 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के साथ उपलब्ध कराई जा सकती है:-

- (क) कुल भूमि के बदले 60% भूमि ही उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ख) श्री हरिदास कपूर द्वारा भूमि का विकास शुल्क प्राधिकरण को देय होगा।
- (ग) श्री हरिदास कपूर द्वारा भूमि का प्रतिकर नहीं लिया जायेगा।
- (घ) श्री हरिदास कपूर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अपनी रिट याचिका वापस लेनी होगी।
- (च) श्री हरिदास कपूर द्वारा यदि भूमि विक्रय की जायेगी तो उसकी लीज डीड/रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। जिसमें उनका प्रतिनिधि सम्मिलित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों के साथ श्री हरिदास कपूर की भूमि खसरा सं० 7 ग्राम उजरियांव के समायोजन पर विचार कर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक हेतु प्रस्ताव

**विषय:** 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम [संशोधित] 1997 की धारा 26ए. 5 में उल्लेखित शक्तियों का प्रतिनिधायन नगर निगम लखनऊ की सम्पत्तियों हेतु नगर निगम अधिकारियों को किये जाने के सम्बन्ध में ।

नगर निगम की सीमाओं में समय-2 पर वृद्धि के फलस्वरूप नगर निगम सीमा में सम्मिलित गांवों की ग्राम सभा की भूमियों के अनुरूप निस्तारण का दायित्व नगर निगम का होता है । इस प्रकार नगर के लगभग हर क्षेत्र में नगर निगम की भूमियां छोटे-2 टुकड़ों में स्थित है जिनके रख रखाव की समस्या अत्यन्त गंभीर है । समय-2 पर इन भूमियों पर अतिक्रमण होने की सम्भावना भी बनी रहती है । इन अतिक्रमणों को हटाने के लिये नगर निगम अधिनियम में प्रभावी दिशा निर्देश न होने के कारण 30प्र0 ज० वि० एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 122बी के तहत मुकदमें दर्ज करने पड़ते हैं जिससे जहां एक ओर अतिक्रमणों को हटाने में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है वहीं दूसरी ओर समय के साथ-2 मुकदमों का व्यय भार भी नगर निगम पर आ जाता है ।

30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 में शासन द्वारा संशोधन करते हुए सरकारी सम्पत्ति पर किली भी प्रकार के अतिक्रमण किये जाने पर सजा व जुर्माना का प्रावधान न किया गया है । इसके साथ-2 प्राधिकरण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अर्द्धसह अधिकृत अधिकारी को विना नोटिस दिये इन भूमियों पर किये अनाधिकृत निर्माणों को जबा करने के भी प्रावधान है । इन धाराओं में उल्लेखित शक्तियों का प्रतिनिधायन हो जाने से भू माफियों का विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सकती है और सरकारी भूमियों को अतिक्रमणों से मुक्त कराने में प्रयोजित सफलता भी मिल सकेगी है ।

अतः 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम [संशोधित] 1997 की धारा 26ए में उल्लेखित शक्तियों का प्रतिनिधायन नगर निगम के निम्न अधिकारियों को किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

1. मुख्य नगर अधिकारी
2. अपर मुख्य नगर अधिकारी
3. उप नगर अधिकारी 1, 2 व 3
4. प्रभारी अधिकारी - सम्पत्ति

*(Handwritten signature)*

लखनऊ नगर निगम विचारार्थ आख्या

प्रस्ताव : नगर निगम की ग्राम बेखुर कौला स्थित खसरा सं०-96 पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माणों को अधिग्रहीत करने के सम्बन्ध में ।

ग्राम बेखुर कौला में नगर निगम की ग्राम समाज की खसरा संख्या-96 की 3 बीघा 11 बिस्वां भूमि स्थित है जिस पर समय-2 पर विभिन्न लोगों द्वारा अनाधिकृत कब्जे कर भवन निर्मित करा लिये गये हैं । उक्त भूमि को अनाधिकृत कब्जों से मुक्त कराने के लिए नगर निगम अधिनियम में प्रभावी उपाय नहीं है और 2090 ज०वि० एवं भू० व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 की के अन्तर्गत वाद ही दायर किये जा सकते हैं । इस प्रकार विवादों को निपटाने में काफी समय लग सकता है ।

2090 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम संशोधित 1997 की धारा 26ए-1 के अनुसार किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर सजा दिये जाने और 20 हजार रुपये तक का जुर्माना किये जाने का प्राविधान है । इसी धारा के विन्दु 5 में विकास प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सरकारी भूमि पर बनाये गये अनाधिकृत निर्माण को जब्त/कुर्क या अधिग्रहीत किये जाने के प्राविधान हैं ।

चूंकि नगर निगम की उक्त भूमि पर निर्माण किया जा चुका है उसे गिराने हेतु अधिग्रहण करना आवश्यक है । अतः ग्राम बेखुर कौला स्थित खसरा सं०-96 की भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जों को जब्त/कुर्क किये जाने हेतु धारा 26ए-5 में उल्लेखित शक्तियों का प्रतिनिधायन मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम को किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष आदेशार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

*(Handwritten signature)*

विषय : गोमती नगर योजना के विभिन्न खण्ड में प्राधिकरण भवन का निर्माण कार्य ।

तत्कालीन विकास प्राधिकरण का कार्यालय वर्तमान में चार भवनों में चल रहा है, जिसमें से मुख्य कार्यालय 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग पर तथा अभियन्त्रण खण्डों हेतु 3 कार्यालय क्रमशः विश्वास खण्ड-3 कार्मार्शियल कॉम्प्लेक्स, गोमती नगर, कपूरखला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अलीगंज तथा जनपथ में है । प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय जिस भवन में कार्य कर रहा है वह अत्यन्त जर्जर अवस्था में है साथ ही अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके फलस्वरूप कई अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्व निर्मित वाटर टैंक के नीचे भी अस्थायी रूप से बैठना पड़ रहा है, इसके अतिरिक्त प्राधिकरण कार्यालय विभिन्न भवनों में होने के फलस्वरूप अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है एवम् प्रशासनिक नियन्त्रण में भी बाधा पड़ती है ।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 1996 में गो0न0यो0 के विभिन्न खण्ड में ताज होटल के समीप तथा चीनी निगम कार्यालय के सामने 7200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक भूखण्ड प्राधिकरण भवन हेतु आरक्षित किया गया जिसका शिलान्यास 22 जनवरी 1996 को तत्कालीन राज्यपाल श्री मोती लाल बोरा द्वारा किया गया था । उस समय प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण इस अत्यन्त प्रार्थनीयता के कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जा सका । इसी मध्य में प्राधिकरण भवन की डिजाइन हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रतियोगिता कराई गयी जिसमें सर्व श्रेष्ठ डिजाइनर मेसर्स अक्षय जैन एवम् राका चक्रवर्ती, नई दिल्ली को चयनित किया गया । इस कार्य हेतु सितम्बर 97 में निविदा आमन्त्रित की गयी । प्राधिकरण भवन के निर्माण पर कुल रु0 743.00 लाख का व्यय प्रस्तावित है, जिसमें आर्किटेक्ट की फीस व समस्त विकास कार्य सम्मिलित है । प्राधिकरण भवन हेतु ऋण के लिये योजना हडको में प्रस्तुत की जा चुकी है तथा शीघ्र ही योजना की स्वीकृत हो जाने की सम्भावना है ।

इस योजना के अन्तर्गत चार ब्लॉकों वाले भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है इन चारों ब्लॉकों का सम्मिलित रूप से भूतल पर आच्छादित क्षेत्रफल 2165 वर्ग मीटर, प्रथम तल पर 1825 वर्ग मीटर, द्वितीय तल पर 1620 वर्ग मीटर तथा तृतीय तल पर 620 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कुल 6230 वर्ग मीटर प्रस्तावित है । प्राधिकरण में समय-समय पर भवनों/भूखण्डों की लाटरी, भवन मानाचक्र स्वीकृत किये जाने हेतु विशेष कैम्प, अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु कैम्प आदि के लिये एक बारादाशि भी इन ब्लॉकों के पृष्ठ भाग में बनाये जाने का प्रस्ताव है जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर प्रस्तावित है । प्राधिकरण हेतु कार्यालय भवन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये प्राधिकरण भवन का निर्माण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

विषय:- गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भूमि खसरा सं. 85 ग्राम विजईपुर क्षेत्रफल बीघा 1-1-0-0 का समायोजन करने के संबंध में।

आस्था:-

भूमि खसरा सं. 85 ग्राम विजईपुर रकबा बीघा 1-1-0-0 अथवा 2656.71 वर्गमीटर का अर्जन उजरियांव आवासीय योजना भाग-2 (गोमती नगर योजना भाग-2) के अन्तर्गत किया गया है। उजरियांव आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 व 6 के अन्तर्गत विज्ञप्तियां एक ही दिनांक 8.12.84 को जारी की गई थी। इस भूमि का कब्जा विधिवत् रूप से प्राप्त कर अभिनिर्णय भी घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार भूमि का स्वामित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण/राज्य सरकार में निहित हो चुका है।

उक्त भूमि फैजाबाद रोड से मिली हुई है तथा यह भूमि गोमती नगर योजना के विभिन्न खण्ड में पड़ती है। यह भूमि माननीय उच्च न्यायालय को आवंटित की जा चुकी है परन्तु इस भूमि पर मे0 आर0पी0 इण्डस्ट्रीज एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2838/85 एवं 2389/91 दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है जिस कारण इस भूमि को माननीय उच्च न्यायालय को नहीं दिया जा पा रहा है। रिट याचिका सं. 2389/91 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.7.91 को इसे अन्य रिट याचिका सं. 1081/91 के साथ सम्बद्ध करने हेतु आदेश दिये गये थे। रिट याचिका सं. 2338/85 तथा 1081/91 में एक ही तिथि में भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 व 6 की जारी की गई विज्ञप्तियों के विरुद्ध दायर अन्य याचिकाओं के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.97 को सुनवाई पूर्ण कर निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है परन्तु इस सूची में रिट याचिका सं0 2389/91 का उल्लेख नहीं है।

श्री पी0एन0 मेहरोत्रा/आर0वी0 इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि यदि प्राधिकरण द्वारा समझौता कर लिया जाता है तो श्री पी0एन0 मेहरोत्रा एवं अन्य द्वारा अपनी रिट याचिका वापिस ले ली जायेगी। इस संबंध में शासन/प्राधिकरण की नीति के अनुसार श्री पी0एन0 मेहरोत्रा/आर0वी0 इण्डस्ट्रीज की कुल 2656.71 वर्गमीटर भूमि का 60% भूमि 1594.00 वर्गमीटर भूमि गोमती नगर योजना भाग-2 के अन्तर्गत निम्न शर्तों के साथ उपलब्ध करायी जा सकती है:-

- (क) कुल भूमि के बदले 60% भूमि ही उपलब्ध कराई जाएगी।  
 (ख) श्री पी0एन0 मेहरोत्रा/आर0वी0 इण्डस्ट्रीज द्वारा भूमि का विकास शुल्क प्राधिकरण को देय होगा।

- ॥ग॥ श्री पी०एन० मेहरोत्रा/आर०वी० इण्डस्ट्रीज द्वारा भूमि का प्रतिफल नहीं लिया जायेगा।
- ॥घ॥ श्री पी०एन० मेहरोत्रा/आर०वी० इण्डस्ट्रीज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अपनी रिट याचिका वापिस लेनी होगी।
- ॥च॥ श्री पी०एन० मेहरोत्रा/आर०वी० इण्डस्ट्रीज द्वारा यह भूमि विक्रय की जाएगी तो उसकी लीज डेड/रीजस्ट्री प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। जिसमें उनका प्रतिनिधि सम्मिलित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों के साथ पी०एन० मेहरोत्रा एवं अन्य/आर०वी० इण्डस्ट्रीज की भूमि ख़रारा सं. 85 ग्राम विजईपुर के समायोजन पर विचार कर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ५ मार्च, १९९८ का  
कार्यवृत्त

उपस्थिति:

- |     |                        |                                                           |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| १.  | श्री देश दीपक वर्मा    | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं<br>अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।  |
| २.  | श्री आर.के.मिस्तल      | आवास आयुक्त,<br>उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद।               |
| ३.  | श्री जे.एस.मिश्र       | उपाध्यक्ष,<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण।                       |
| ४.  | श्री आर.पी.सिंह        | जिलाधिकारी,<br>लखनऊ।                                      |
| ५.  | श्री बीरेश कुमार       | विशेष सचिव, आवास विभाग।                                   |
| ६.  | श्री मुरलीधर           | संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग,<br>लखनऊ।                    |
| ७.  | श्री एम.पी.अनेजा       | वरिष्ठ नियोजक,<br>नगर नियोजन विभाग, उ.प्र.।               |
| ८.  | श्री अविनाश मिश्र      | आर.टी.ओ.,<br>प्रतिनिधि, निदेशक, पर्यटन।                   |
| ९.  | श्री बी.आर.गुप्ता      | अर्धाक्षण अभियन्ता,<br>प्रतिनिधि, मुख्य अभियन्ता, जलनिगम। |
| १०. | श्री बृजलाल रावत       | सभासद एवं सदस्य, ल.वि.प्रा.                               |
| ११. | श्री शिव कुमार         | सभासद एवं सदस्य, ल.वि.प्रा.                               |
| १२. | श्रीमती उमा शंकरि लोधी | सभासद एवं सदस्या, ल.वि.प्रा.                              |

*Amk*

*hm*  
*hpa*

१३. डा. सियाराम प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय,  
लखनऊ विश्व विद्यालय एवं  
सदस्य, ल.वि.प्रा.।
१४. श्री जयपाल सिंह सदस्य, ल.वि.प्रा.
१५. श्री राम अधार सिंह सदस्य, ल.वि.प्रा.
१६. श्री आर.एन.सिंह सचिव, ल.वि.प्रा.


विषय संख्या : १ लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३०.८.९७ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३०.८.९७ के कार्यवृत्त का पुष्टि निम्नांकित संशोधन के साथ किया गया।


विषय संख्या-६ में अंकित निर्णय "विचारोपरान्त कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर के स्थान पर लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता पदनाम रखे जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि शासन को इसकी सूचना भेज दी जाये" के स्थान पर यह निर्णय अंकित किया जाये कि " " कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर के स्थान पर लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता पदनाम रखे जाने हेतु शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अतः शासन को औपचारिक अनुमति हेतु प्रस्ताव भेज दिया जाये। " "

विषय संख्या : २ लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ३०.८.९७ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये-







१. चर्चाओं के पेनल का पुर्नगठन दिनांक ३० अप्रैल, १९९८ तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।
२. यह सुनिश्चित किया जाये कि बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में कर्मचारियों के जो स्थानान्तरण किये गये हैं उनका शत-प्रतिशत अनुपालन हो गया है। समस्त स्थानान्तरित कर्मचारियों द्वारा अपने प्रतिस्थानी को पूर्ण चार्ज उपलब्ध करा दिया गया है। किसी भी स्थानान्तरित कर्मचारी के पास पूर्व प्रभार से सम्बन्धित कोई पत्रावली अवशेष नहीं रह गई है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थानी को चार्ज उपलब्ध नहीं कराया गया है अथवा कुछ पत्रावलियां अपने पास रखे हुए हैं तो सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य अंकित करा दें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और उन्हे इस हेतु उत्तरदायी माना जायेगा।
३. यह भी निर्देश दिये गये कि सार्वजनिक सूचना देकर सर्वसाधारण को अवगत करा दिया जाये कि किन-किन कालोनियों का रख-रखाव प्राधिकरण स्तर से किया जाना है और किन-किन कालोनियों का रख-रखाव नगर निगम द्वारा किया जायेगा जिससे जन-सामान्य को असुविधा का सामना न करना पड़े कि वह नगर निगम से सम्पर्क करें अथवा प्राधिकरण से।

विषय संख्या : ३

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

निर्णय :



प्रस्तुत की गई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : ४

लखनऊ विकास प्राधिकरण का आय-व्यय विवरण एवं बेलेन्स-शीट वर्ष १९९२-९३, ९३-९४, ९४-९५ एवं ९५-९६ का अनुमोदन।

निर्णय :

प्रस्तुत की गई बेलेन्स-शीट का अवलोकन किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।



यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बैलेंस-शीट को शीघ्र ही निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग एवं तदुपरान्त महालेखाकार आडिट को परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाये।



विषय संख्या : ५

विकास प्राधिकरण के वास्तुकला एवं नियोजन के कार्यो में प्राइवेट वास्तुविदों की भागीदारी।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

१. नगर नियोजक/वास्तुविदों के प्रस्तावित पेनल का अनुमोदन दो वर्ष की अवधि के लिये किया गया।
२. हरदोई रोड योजना, सीतापुर रोड योजना एवं अनुपूरक विषय संख्या १० के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रयाग नारायण रोड योजना के नियोजन हेतु चयनित आर्किटेक्ट के पेनल से आर्किटेक्ट का चयन कर कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
३. भविष्य में किसी परियोजना हेतु निजी वास्तुविद से कार्य कराये जाने की आवश्यकता होने पर परियोजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर, निजी वास्तुविद से कार्य कराये जाने की आवश्यकता का अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त किया जाये। तदुपरान्त वास्तुविद का चयन उपर्युक्त पेनल से उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. द्वारा नियमानुसार किया जा सकेगा।
४. आर्किटेक्ट को भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन के अनुपात में ही आर्किटेक्ट को चरणबद्ध रूप से भुगतान किया जाये।
५. अन्य टर्म्स एवं कन्डीशन्स हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें वरिष्ठ नियोजक, उ.प्र. एक सदस्य होंगे तथा अन्य सदस्यों का मनोनयन उपाध्यक्ष द्वारा स्वयं किया जायेगा।



गठित समिति की संस्तुतियों का क्रियान्वयन, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।  
६. उपरोक्त काम में गह भी निर्णय लिया गया कि शासन एवं नगर नियोजन विभाग, उ.प्र. से कुछ अच्छे आर्कीटेक्ट्स प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त कर लिये जायें।

विषय संख्या : ६

पं० दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका में म्युजिकल फाउन्टेन के कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प. दीन दयाल स्मृतिका में म्युजिकल फाउन्टेन हेतु कोटेशन प्राप्त कर रु० ९.०० लाख ( रु० नौ लाख ) का कार्य कराने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।


विषय संख्या : ७


मल्टी स्टोरी कामर्शियल काम्पलेक्स के भू-तल को केवल पार्किंग हेतु प्रयोग किये जाने हेतु प्राधि. की बैठक दिनांक ३०.८.९७ के मद संख्या- १६ के अन्तर्गत गठित उपसमिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में।

निर्णय :

गठित उपसमिति की संस्तुतियों पर अध्यक्ष महोदय ने असहमति व्यक्त की और कहा कि नगर के व्यस्ततम क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी काम्पलेक्स का निर्माण हो रहा है जिनमें पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़को पर पार्किंग होने से जन सामान्य को असुविधा होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए यदि अधिनियम अथवा महायोजना के नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो निर्णायक समिति इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करे :-

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| १. सचिव, ल. वि. प्रा.                 | अध्यक्ष      |
| २. अपर मुख्य नगर अधिकारी<br>नगर निगम। | सदस्य        |
| ३. मुख्य नगर नियोजक                   | सदस्य/संयोजक |
| ४. एस. पी. ट्रेफिक                    | सदस्य        |
| ५. वरिष्ठ नियोजक, उ.प्र.              | सदस्य        |
| ६. एसोसियेट प्लानर                    | सदस्य        |
| ७. जिला प्रशासन के प्रतिनिधि          | सदस्य        |





उपरोक्त के अतिरिक्त यह समिति पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में पार्किंग का समुचित प्राविधान किये जाने तथा दृढ़ता से उसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने आदि समस्त बिन्दुओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी।

विषय संख्या : ८

लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में विभिन्न समुदायों के धार्मिक, अध्यात्मिक तथा उपासना भवनों/केन्द्रों की स्थापना के लिये आवास विकास परिषद में प्रचलित प्रणाली के अनुरूप भूमि आवन्टन।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचार के दौरान अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : ९

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हरित पॉटक/मनोरंजनात्मक भूमि के अनुरक्षण एवं उपयोग के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर एवं अन्य जानकारियां एकत्र कर अपनी संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु एक उपसमिति गठित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| १. उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. | अध्यक्ष,      |
| २. जिलाधिकारी, लखनऊ      | सदस्य,        |
| ३. विशेष सचिव, आवास      | सदस्य,        |
| ४. डा. सियाराम           | सदस्य,        |
| ५. मुख्य नगर निरीक्षक    | समन्वयक/सदस्य |

विषय संख्या : १०

प्राधिकरण की योजनाओं में सफाई एवं अनुरक्षण व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई तथा समिति की संस्तुतियों पर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया। समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे:-

१. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ।
२. सचिव/अपर सचिव, ल.वि.प्रा.।

विषय संख्या : ११

दण्ड ब्याज एवं परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

गाँठत समिति की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान में चल रही व्यवस्था के अनुसार अभी कार्यवाही की जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि ब्याज की दर एवं दण्ड ब्याज की दरों आदि के सम्बन्ध में पुनः यही समिति परीक्षण कर अपनी संस्तुतियाँ अध्यक्ष, ल.वि.प्रा. को प्रस्तुत कर दें। अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरान्त इसका क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

विषय संख्या : १२

मे. सहारा इन्डिया लि. को अपोलो अस्पताल हेतु गोमती नगर योजना में भूमि के आवन्तन से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। मे. सहारा इन्डिया को गोमती नगर योजना में अपोलो अस्पताल हेतु १० एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति विषयक शासन के पत्र दिनांक २४ जनवरी, १९९८ का भी अवलोकन किया गया। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मे. सहारा लि. द्वारा शासन द्वारा अनुमोदित एवं प्रतिनिधानित व्यवस्था में संशोधन विषयक प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि जो विशेष सुविधा का प्राविधान प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये करने हेतु मे. सहारा लि. को सूचित किया गया है उसमें प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में नामित जन-प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित कर लिया जाये।

विषय संख्या : १३


अर्लागंज योजना के संवर् "डी" में हेपी वर्ल्ड स्कूल को आवन्तित भूमि के दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।


निर्णय :

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में हिन्दी माध्यम का विद्यालय होने व क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के दृष्टिगत सहानुभूतिपूर्वक दण्ड ब्याज माफ़ करने पर विचार करने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।



अतिरिक्त भूमि का आवन्तन भूमि की तत्कालीन दर पर देय

- ब्याज का आंकलन करके कर दिया जाये।
- विषय संख्या : १४ श्री गंगा चरण राजपूत, सांसद, आवन्ती भवन संख्या- ५/३५५ पर लगाये गये दण्ड ब्याज की ५० प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकतम ५० प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ़ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई ब्याज माफ़ किया जाना सम्भव नहीं है।
- विषय संख्या : १५ श्रीमती नीरा गुप्ता को कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत आवन्तित भवन संख्या- बी-२७ पर लगाये गये दण्ड ब्याज की ५० प्रतिशत धनराशि विलम्ब से जमा करने पर लगाये गये ब्याज को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रकरण के गुण-अवगुण का परीक्षण करने के उपरान्त दण्ड ब्याज की धनराशि जमा करने में हुए विलम्ब के कारण लगाये गये ब्याज को माफ़ किये जाने की अपवाद स्वरूप स्वीकृति प्रदान की गई।
- विषय संख्या : १६ श्रीमती कल्पना सिंह को आवन्तित भूखण्ड संख्या सी-१/४२, डी, गोमती नगर विनीत खण्ड पर लगाये गये पूर्ण ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : निर्णय लिया गया कि दण्ड ब्याज के प्रकरण पर विषय संख्या- ११ के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की जायें।
- विषय संख्या : १७ गोमती नगर फेज-२ के आवन्तियों को कब्जा दिये जाने की तिथि से दो वर्ष तक बिना लेवी शुल्क लिये भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पांच वर्ष तक बिना लेवी शुल्क लिये भवन मानचित्र स्वीकृत किये जायें।







- विषय संख्या : १८ रायबरेली रोड योजना स्थित चेशायर होम के भवन मानचित्रों पर आरोपित मलवाशुल्क व जल व्यय शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यह एक चेरीटेबिल संस्था है। अतः आरोपित शुल्क माफ़ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- विषय संख्या : १९ एक योजना से दूसरी योजना में तथा उर्सा योजना में भवन के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव।
- निर्णय : संलग्न सूची के अनुसार कुल १५ प्रकरणों में परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई।
- विषय संख्या : २० गोमती नगर योजना के अन्तर्गत नेहरु इन्वलेव उपयोजना में आवन्तित भवनों का परिवर्तन अन्य खण्डों के भवनों/भूखण्डों में करने पर परिवर्तन शुल्क न लिये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नेहरु इन्वलेव के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में भी जहां प्राधिकरण स्वयं कब्जा देने में अस्मर्थ है, परिवर्तन शुल्क न लिया जाये।
- विषय संख्या : २१ गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भूमि खसरा संख्या- ७ ग्राम उजरियांव क्षेत्रफल बांघा- ०-४-१४-० के समायोजन से सम्बन्धित।
- निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या : २२ उ.प्र.नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९९७ की धारा २६ ए-५ में उल्लिखित शक्तियों का प्रतिनिधायन, नगर निगम की सम्पत्तियों हेतु नगर निगम अधिकारियों को किये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। साथ ही विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अधिकार प्रतिनिधानित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकार प्रतिनिधानित किये गये।



- विषय संख्या : २३ नगर निगम की ग्राम शेखापुर कसेला स्थित खसरा न०:१६ पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माणों को अधिग्राहीत करने से सम्बन्धित।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या : २४ गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में प्राधिकरण भवन के निर्माण कार्य से सम्बन्धित।
- निर्णय : उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण भवन के निर्माण के सम्बन्ध में किये जा रहे कार्य की प्रगति से बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया गया। विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। प्राधिकरण के भवन की आवश्यकता को देखते हुए कार्य को नियमानुसार शीघ्र पूर्ण कराया जाये।
- विषय संख्या : २५ गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भूमि खसरा संख्या- ८५, ग्राम विजयीपुर, क्षेत्रफल बीघा १-१-०-० का समायोजन करने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त समायोजन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
- अनुपूरक विषय संख्या: १ गाजियुद्दीन हेदर केनाल को एक्सप्रेस वं के रूप में विकसित किये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय : प्रस्ताव मे जनहित निहित होने को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रारम्भिक व्ययानुमान बनाये जाने हेतु विमर्श किया गया। ल.वि.प्रा. द्वारा सम्बन्धित विभाग, सिंचाई विभाग की अनापत्ति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
- अनुपूरक विषय संख्या: २ हजरतगंज थाने के व्यवसायिक उपयोग से सम्बन्धित प्रस्ताव।
- निर्णय : गृह विभाग की सहमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर सेध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।
- अनुपूरक विषय संख्या: ३ पार्क रोड पर पार्किंग व्यवस्था विकसित किये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय : लोक निर्माण विभाग से समन्वय कर जनोपयोगी प्रस्ताव होने के





कारण आग्रिम कार्यवाही किये जाने पर सेध्यान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुपूरक विषय संख्या : ४

रेड रोज स्कूल को गोमती नगर योजना के विनय खण्ड-४ में आवन्तित भूखण्ड से सम्बन्धित।

निर्णय :

विषय स्थगित किया गया।

अनुपूरक विषय संख्या: ५

श्री बी.एल.अग्रवाल को आवन्तित भूखण्ड पर लगाया गया दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

विषय संख्या- ११ के अन्तर्गत दण्ड ब्याज हेतु गठित उपसमिति प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करें।

अनुपूरक विषय संख्या: ६

श्री शीतलापाल सिंह, सहायक नगर अधिकारी के उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय का प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

अनुपूरक विषय संख्या: ७

शमन प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित उपसमिति की संस्तुतियां।

निर्णय :

उपसमिति की संस्तुतियों का अवलोकन किया गया। निर्णय लिया गया कि शासनादेश में किये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये। यदि किसी बिन्दु पर शासनादेश की व्याख्या से बिन्दु स्पष्ट न हो रहा हो तो शासन से उस बिन्दु पर मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये।

अनुपूरक विषय संख्या: ८

वर्जर हसन रोड की चोड़ाई के पुनर्निधारण से सम्बन्धित गठित उपसमिति की संस्तुतियां।

निर्णय :

उपसमिति की संस्तुतियों को टैफिक समस्या के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने हेतु पुनः सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

१. पुलिस अधीक्षक. यातायात

२. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अनुपूरक विषय संख्या: ९ श्रीमती दीपा कुमार को आवन्तित भवन संख्या: एल-६२९ के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तन/समाश्रोजन।

निर्णय : विषय संख्या: १९ पर प्रस्तुत अन्य परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों पर लिये गये निर्णय में सम्मिलित किया गया।

अनुपूरक विषय संख्या: १० प्रयाग नारायण रोड पर स्थित भूखण्ड पर प्राइवेट वास्तुविदों से डिजाइन बनवाने की अनुमति।



निर्णय : विषय संख्या- ५ में लिये गये निर्णय के अर्न्तगत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक विषय संख्या: ११ गोमती नगर फेज-२ के आवन्तियों को देय दण्ड ब्याज से छूट दिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में जो सुविधा फेज-१ के आवन्तियों को अनुमन्य है, वही सुविधा फेज-२ के आवन्तियों को भी अनुमन्य कराई जाये।


अन्य विन्दु : अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शहर में बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराये जितने बहुखण्डी भवनों का निर्माण हो रहा है, उन समस्त की सूची उपलब्ध कराई जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि ऐसे बहुमन्जिले भवनों की भी सूची प्रस्तुत की जाये जिनके भवन चित्र तो स्वीकृत हैं। परन्तु स्वीकृत भवन चित्र के अनुरूप पार्किंग व्यवस्था हेतु आवश्यक प्राविधान नहीं किये गये हैं अथवा समुचित पार्किंग व्यवस्था हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है।


सूचीवद्ध विषयों की समाप्ति पर उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न क्षेत्रों में की गई उपलब्धियों से अवगत कराया गया। विशेष तौर पर अनधिकृत अतिक्रमण से खाली कराई गई भूमि, जन सुविधा एवं समाप्ति निस्तारण के दृष्टिगत लगाये गये कैम्प तथा निराश्रितों को आवास उपलब्ध कराये जाने, रेन्ट के भवनों की बिक्री से अच्छी आय प्राप्त करने आदि के सम्बन्ध में अनौपचारिक रूप से अवगत कराया गया।




बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों को बधाई देते हुए जनोपयोगी प्रस्तावों के प्रस्तुत किये जाने पर हर्ष व्यक्त किया गया। उनके द्वारा प्राधिकरण की फाइनेन्शियल वायबिल्टी सुधारने के लिये किये गये कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा इसके लिये भी उपाध्यक्ष को बधाई दी गई।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

  
( आर. एन. सिंह )  
सचिव  
24.3.58

  
( जे. एस. मिश्र )  
उपाध्यक्ष  
24.3.58

अ म उ मो दि त

  
( देश दीपक वर्मा )

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं  
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

एक योजना से दूसरी योजना एवं उसी योजना में भवन के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धी सूची

| <u>क्रमांक</u> | <u>आवंटी का नाम</u>        | <u>किस योजना से</u>  | <u>किस योजना में परिवर्तन किया गया</u> |
|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 1.             | श्री गारकण्डेय नन्द        | शा0न0यो0 में भूखण्ड  | गोमती नगर योजना में भूखण्ड             |
| 2.             | श्री शिवकुमार शुक्ला       | का0रो0यो0 में भूखण्ड | "                                      |
| 3.             | श्री शिवप्रताप शुक्ला      | गो0न0यो0 में भवन     | "                                      |
| 4.             | श्रीमती शान्ती देवी मिश्रा | गो0न0यो0 में भवन     | "                                      |
| 5.             | श्रीमती अनीता राय          | गो0न0यो0 में भवन     | "                                      |
| 6.             | श्री राजकुमार साहू         | गो0न0यो0 में भवन     | "                                      |
| 7.             | श्री एन0के0 सिंह           | गो0न0यो0 में भवन     | "                                      |
| 8.             | श्रीमती बीना कुमार         | गो0न0यो0 में भवन     | "                                      |
| 9.             | श्री मनोज सिंह             | गो0न0यो0 में भवन     | "                                      |
| 10.            | श्री रूपक दत्ता            | गो0न0यो0 में भवन     | "                                      |
| 11.            | श्रीमती दीपा कुमार         | गो0न0यो0 में भवन     | "                                      |
| 12.            | श्री सुखपाल पाण्डे         | गो0न0यो0 में भवन     | "                                      |
| 13.            | श्रीमती नीलिमा मिश्रा      | का0रो0यो0 में भूखण्ड | "                                      |
| 14.            | डा0 वी0के0 गुप्ता          | गो0न0यो0 में भवन     | "                                      |
| 15.            | श्रीमती किरन यादव          | सी0रो0यो0 में भवन    | "                                      |

